

पालाकौं मों बाण्डर पाला

डॉ. शिवकुमार शर्मा

एम ए, एम एड पीएच डी (शिक्षा)

पूर्व सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

एव

अपर निदेशक शिक्षा राजस्थान



राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर
के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित

पुस्तक सदन

231 बापू बाजार उदयपुर-313001

द्वारा प्रकाशित / 525389

© सुरक्षित

मूल्य 85 रूपय

आवरण डॉ. धर्मवीर वशिष्ठ

कम्प्यूटर गणित दशरथ शर्मा विनाय माहेश्वरी

प्रथम संस्करण 2000

पुस्तक ऑफसेट उदयपुर द्वारा मुद्रित

/ 412580

PALKON MAIN BAND PAI

By Dr Shiv Kumar Sharma

Published By Pustak Sadan 231 Bapu Bazar UDAIPUR (Raj)

Rs 85

पूर्वकथन

समय एक अनन्त प्रवाह है आर मनुष्य की नियति यह कि कभी उसे उत्साह तो कभी अन्यमनस्कता से इस प्रवाह के साथ होना पडता है। मगर सदैव ऐसा नहीं होता। मनुष्य की जिन्दगी मे कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब वह इस काल-प्रवाह को साक्षी भाव से देखता है। एक तीसरे व्यक्ति की तरह से अपने को अलग करके देखना आसान नहीं है। जो हो रहा है—वह वर्तमान है जो हो चुका—वह भूत है और जो होने वाला है—वह भविष्यत काल है। इन तीनों की साक्षी कौन देगा एक साथ ?

जा अतीत हो चुका वीत गया व्यतीत हो गया वह स्मृति रूप में सुरक्षित रहता है हमारे पास। कभी-कभी ज्यो का त्यो कभी-कभी खण्ड रूप में अरपष्ट और धुधला-धुधला। सच कहा जाए तो वर्तमान की भी यही स्थिति है। वर्तमान पल-पल निवर्तमान हो रहा है फिर उसे हरतामलकवत देखने आर अहसासन का दम्भ कितना व्यथ है ? और भविष्य वह तो हमारी कल्पनाओ ऐषणाओ आर आतरिक ऊर्जा से प्रसूत ऐसा निराकार आकार है कि कभी हम उसके बारे में सोचकर प्रफुल्लित हो उठते है कभी उद्विग्न। सर्जक के लिये तीनों स्थितिया जो वस्तुत एक ही स्थिति की तीन प्रतिच्छायाए हैं सचमुच वरदान है। सृजन भी समय की तरह ही अनत प्रवाह है।

इस अनत प्रवाह में से कौन कितना चुनता है कितना बुनता है क्या बुनता है—यह सर्जक की व्यक्तिगत रुचि आर क्षमता पर निर्भर है। सृजन क इस समुद्र से किस मोती मिलता है किसे सीप आर किसे कवल रेत — ककड ? यह सयोग है सामर्थ्य है या प्रारब्ध नहीं कह सकता। लेकिन एक सृजनधर्मी हाने के नात प्रतिपल सागर-सतरण को प्रस्तुत रहना चाहता हूँ। कई बार कर्म के आनद का स्वाद विलक्षण होता है। इस स्वाद को चखते रहने का मन होता है।

गद्य-लेखन में मेरी रुचि आरम्भ से ही रही है। गद्य में भी डायरी आर सस्मरण विधा मेरी प्रिय विधाए रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि डायरी आर सस्मरण लेखक के अतस् में एक कथाकार भी अपनी सुषुप्तावस्था में

विद्यमान रहता है। यदि ऐसा न हो तो ये सस्मरण और डायरी के पन्ने लेखक की व्यक्तिगत जिन्दगी का हिस्सा मात्र बनकर रह जाए। यही सुप्त कथाकार घटनाओं को एक सूत्र में पिरोता है और परिवेशगत सच्चाइयों के साथ प्रस्तुत करने का हुनर सस्मरण लेखक को देता है। कदाचित् इसीलिये कुछ व्यक्तिगत घटनाएँ कुछ निजी पात्र कुछ नितान्त एकांत संवेदनाएँ सार्वजनीन होकर साहित्य की परिधि में 'सस्मरण' विधा के अन्तर्गत प्रतिष्ठित हो पाती हैं।

मेरे इन सस्मरणा को वह हुनर हासिल हुआ है या नहीं यह मैं नहीं जानता। इसका निर्णय सुधी पाठकवृन्द और समादरणीय समालोचक महानुभावों पर छोड़ता हूँ। मैंने जो जैसा प्रथमतः भोगा भोग हुए को स्मृतियों में पुनः पुनः जीया और इस जीये हुए में से जिसने मुझे स्पष्टित संवेदित आह्लादित आलोकित किया उसे मैंने शब्द दे दिए। शब्द भी मेरे नहीं परंपरा से प्राप्त अनुभव भी मेरे कहीं महज समय की पदचाम परिवेश का प्रक्षेपण इनमें कुछ भी मेरा नहीं है न शब्द न भाव न भय न अनुभव। मेरी यदि कोई भूमिका है तो केवल संयोजक की विनम्र भूमिका है।

यदि मैं अपनी इस भूमिका के साथ न्याय कर सका होऊँगा तो मुझे सतोष और प्रसन्नता की प्रतीति होगी।

अनुक्रमणिका

1	अतिम दिन	07
2	नई शुरुआत	12
3	अनेक आयाम	16
4	मित्रों की मैत्री	22
5	निवृत्तों का निवृत्तों से जुड़ाव	27
6	प्रवृत्ति भी निवृत्ति भी	32
7	आदिलोक में	42
8	एक आयाम यह भी	52
9	लेखन का लेखा	62
10	डायरी का दायरा	72
11	मैत्री-नये नये समीकरण	78

अंतिम दिन

मुझे अपनी सेवा का अंतिम दिन याद है । उस अंतिम दिन मैं अपने कार्यालय गया । अपनी कुर्सी पर बैठा । मैंने अपने सहायको से कहा ऐसी फाइले जिनको प्राथमिकता से निपटाना है मेरी टेबिल पर प्राथमिकता के आधार पर भेजी जाये । ऐसा होता गया । करीब बारह बजे होंगे । मेरे कक्ष में एक जटाधारी अध्यापक आये । एक बंद लिफाफा मेरे हाथ में दिया । मैंने लिफाफा खोला । मेरे ही पदधारक पूर्व अधिकारी जी का पत्र था । लिखा था - ये मेरे निकटतम व्यक्ति है । इनकी सेवाओं का प्रकरण है । मैं अपने समय में सरकार को अग्रहित न कर सका । मुझे हार्दिक कष्ट है । आज आपका भी अंतिम कार्य-दिवस है । मैं आपकी कार्यकुशलता का लोहा मानता हूँ । इनके प्रकरण को सुलझाते हुए आज ही सरकार को भेजेगे तो अनुगृहीत होऊंगा ।

मेरे मन में सकल्प उठा । इस पत्र को भी आज ही आना था । अब आ ही गया है तो कुछ न कुछ तो करना ही होगा । ये न कर सके इसका हार्दिक कष्ट वे भोग रहे हैं । मैं भी न करके क्या वैसा ही कष्ट भोगू ? इससे अच्छा यह है कि मैं प्रकरण की रिश्ति तो देखू । भावी कष्ट से अगर बच सकूँ तो अच्छी बात है । इस पत्र में इन्होंने लोहा मानने की बात भी तो लिख डाली । यह सच हो या झूठ पर जाचू तो सही कि मैं लोहा मनाने लायक हूँ भी या नहीं ।

मैंने घटी बजाई । मेरे निजी सहायक को बुलाया । वे आये । मैंने कहा तुम ऐसा कर सकते हो ? ये मेरे अग्रज कहते हैं - इस काम को न कर सकने का इनको हार्दिक कष्ट है । आज सध्या अगर ये मेरे घर आ जाये तो मैं इनसे धन्यवाद प्राप्त करने लायक रहूँ ऐसा कुछ करना है ।

यह कहकर वह पत्र मैंने उनकी ओर बढ़ा दिया । साथ ही कहा - यह फाइल तत्काल प्रेषित कीजिये । यह भी याद रखिये यह प्रकरण आज सरकार को प्रेषित होना है । उन्होंने पत्र पढ़ा । एक पलक मेरी ओर झाँके । मैंने उनका वधा थपथपाया । हो जायगा । फाइल मगवाओ तुम तो । वे चले गये ।

मैंने अध्यापकजी से पूछा पड़ितजी । ये जटा क्यों बढ़ा रखी है ? उत्तर मिला यह प्रकरण जिसके लिए पत्र लाया हूँ उसका निपटारा नहीं होगा तब तक की मनौती बोल रखी है श्रीमाता । मैंने कहा अरे भाई । दो चार दिन

पहले आते तो ठीक था । आज तो मैं स्वयं जल्दी में हूँ । उत्तर मिला आज उधर चला गया था । मैंने उनको अपना दुखड़ा दुहराया । वे बोले — अभी आफिस जाओ । पत्र लिख देता हूँ । यह आदमी चाहे तो तुम्हारा काम आज का आज आगे बढ़ सकता है ।

मैंने कहा अच्छा तो यह बात है ।

इतनी देर में फाइल मेरी टेबिल पर आ गई । मैंने उसका अध्ययन किया । प्रकरण की स्थिति देखी । संबंधित व्यक्तियों को बुलाया । पत्र उनके सामने रख दिया । मैंने कहा उनका हार्दिक कष्ट दूर करने और इनका अनुग्रह प्राप्त करने में हमको सहयोग कीजिये । देखिये न इन्होंने मनीषी बोली हुई है ।

मेरी इस शैली ने उन सबमें सकारात्मक दृष्टि जाग्रत की । वे तत्पर हुए । शेष कार्यवाही हर हालत में चार बजे तक पूरी करने का उन्होंने वादा किया । शेष कार्यवाही के पश्चात् मेरे हस्ताक्षरों से राज्य सरकार का पत्र जाना था । उन सबकी उपस्थिति में ही उस पत्र का डिक्लेशन मैंने मेरे निजी-सहायक को दिया । फिर मैंने उनसे पूछा 'ठीक है ?' उन्होंने कहा जी हाँ साहब । मैंने कहा बस तो अब आप लोगों का जिम्मा रहा । अब मैंने मास्टरजी से कहा आप यहाँ कब तक बैठे रहेंगे । जाइये । चार बजे आपका काम पूरा होगा । चार बजे आइये । यह कार्य आपको सम्पन्न हुआ मिलेगा । आपको अब तो विश्वास हो गया न । वे चले गये । चार बजे तक सारी कार्यवाही पूरी हुई । कागजात उधे आगे लेजाने को प्राप्त हुए । जटाधारी मास्टरजी हृदय से कतझ थे ।

इसी बीच मैंने मेरे निजी सहायक से कहा था मेरे चार्ज हेडिंग ओवर के कागजात तैयार कर लीजिये । मेरे नाम पर यहाँ प्राप्त सभी अर्धसरकारी पत्रों को और भी देख लीजिये । ऐसा न हो कि उनमें कुछ ऐसे हों जिनकी मुझे ही कार्यवाही करनी है और आज यह रह जाये ।

मैं काम में लगा रहा । मेरे सहकर्मी अधिकारी सहायक और कर्मचारी मेरे कक्ष में आते । अपने-अपने तरीके से अपनी अपनी भावनाएँ व्यक्त करते चले जाते । इस प्रकार निर्देश देते पूछ-ताछ करते काम करते और मिलते-जुलते घड़ी का काटा 5.00 बजे के निकट आ पहुँचा । जिन अधिकारी को कार्यभार सौंपने के आदेश थे उनको मैंने बुला भेजा । इस बीच मैंने कार्यालय-सहायक से कहा था देखो भाई ! कोई ऐसी जरूरी फाइल या पत्र अब बाकी तो नहीं है जिस पर मेरे हस्ताक्षर होने जरूरी हों । एक बार और देख लीजिये । बाद में मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा । बस कार्यमुक्त हुआ कि हुआ । उन्होंने सतोपजनक उत्तर दिया ।

कार्यभार सभलाने सम्बन्धी पत्रो पर मैने ठीक 500 बजे (राध्या) हस्ताक्षर किये। कार्यभार सभलाने वाले अधिकारी ने यथारथान अपने हस्ताक्षर किये। अब मै कार्यमुक्त था। सेवा नियुक्त था। स्वतंत्र था। यह नवम्बर 30 1978 की बात है। तब मै पचपन वर्ष का था। तब सरकारी नियम ही यह था। अच्छा नियम था। आदमी काम का रहता था। स्वाधीनता का मजा ले सकता था।

उसी रात मै रेल से रवाना हुआ। रेल वहा से आठ बजे छूटती थी। इष्टमित्र स्टेशन पर बिदाई देने आये। उनसे अभिवादन और मालाए स्वीकारते-स्वीकारते समय हो गया। गाडी रवाना हो गई। मेरे केबिन मे अकेला मै। अकेला होना बहुत अच्छा। खास कर तब जब कोई काम करना हो। आफिस का काम। वह भी रूटीन का काम। पर आज कोई काम नहीं। अकेलापन मुझे अखर रहा था। बतियाने को भी कोई नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा।

मैने अपना बिस्तर फैलाया। सामान व्यवस्थित किया। केबिन की चिटकनी बद की। बिस्तर पर लेट गया। नींद आती नहीं थी। आज की यात्रा विशेष यात्रा थी। विशेष सरकारी यात्रा। प्रथम बार कार्यभार सभलाने को व्यक्ति अपने खर्चों से पहुँचता है। परन्तु विदाई पर सरकार अपने खर्चों से भेजती है। इस प्रकार यह यात्रा भी अंतिम यात्रा थी। सेवानिवृत्ति से जुड़े अनेक सकल्प-विकल्पो मे खोया मै यात्रा कर रहा था। अनेक अच्छी-बुरी सभावनाए साथ लिए आती है सेवानिवृत्ति। सभावनाए ही नहीं एक तूफान भी। विचारो का एक तूफान।

मै विचार करने लगा - बालक के जन्म से ही उसकी अच्छी सभाल की बात माताओ को बडे समझाते हैं। उसके 3-4 वर्ष का होते ही कहा जाने लगता है मुन्ना स्कूल जाएगा। उसकी स्कूल की प्रगति पर पूछ-ताछ की जाती है। वह ऊँची कक्षाओ मे पहुँचता है। मा-बाप कहते हैं तुम्हारी कालेजी पढाई का आधार यहा की मेहनत है। डिवीजन नहीं आया तो वहा प्रवेश नहीं होगा। कालेजी शिक्षा मे बार-बार याद दिलाया जाता है नौकरी यहाँ की उच्च सफलता पर निर्भर है। पूरी मेहनत करना। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ मे है। जीवन के प्रत्येक पडाव पर अगले पडाव के लिए व्यक्ति को सचेत - सावधान किया जाता है। परन्तु सबसे बडा अजूबा यही कि जीविकोपार्जन या नौकरी करते हुए को कोई यह नहीं कहता - भावी जीवन के तुम्ही निर्माता हो। इस जीवन की ऐसी रचना करना कि भावी जीवन को सतोष सुख और आनंद से भोग सको। यह भावी जीवन सेवा निवृत्त जीवन ही तो है। इस जीवन को महत्व नहीं देने का क्या कारण है? क्या इस कारण कि इसकी अवधि बहुत कम होती है? मुझे लगा - यह सही बात है। आज के 60 वर्ष पहले भारत मे सामान्य आयु 27 वर्ष थी। तब 40 वर्ष जी लेना बडी बात थी। आज भी पिछडे

क्षेत्रों में यही स्थिति है। मुझे एक डराने वाला विचार आया। बचपन में मैंने बुजुर्गों को कहते सुना था पशु होने पर कब्र में पैर लटक जाते हैं। यह राजशाही युग था। मवाड के महाराणा फतहसिंहजी के सम्मरणों में से एक उद्धरण याद आया। उन्होंने एक नये दीवान का नियुक्ति दी। दीवान को अपनी कारगुजारी दिखानी थी। राज्य के प्रशासन को चुस्त करना था। इस उद्देश्य से दीवान ने कई बुजुर्ग अधिकारियों को पेशन देने की योजना बनाई। योजना महाराणा साहब को प्रेषित की गई। महाराणा साहब और दीवान में चर्चा हुई। दीवान की मान्यता थी कि बुजुर्गों की बजाय युवा अधिकारियों की नियुक्ति से प्रशासन चुस्त होगा। महाराणा साहब का अनुभव था कि सहिष्णुता विश्वसनीयता परिपक्वता दूरदर्शिता सन्न और तहजीब जैसे गुण परिपक्व आयुवर्ग के लोगों में अधिक होते हैं। इसलिए प्रशासन के लिए ऐसे लोग जरूरी हैं। तभी महाराणा साहब ने दीवान से उनकी उम्र पूछी। महाराणा साहब ने दीवान से यह भी पूछा हमारी उम्र आप कितनी मानते हैं। अब महाराणा साहब ने दीवान साहब को उन सबकी उम्र भी फाइल पर से पढ़ने को कहा जिनकी पेशन का प्रस्ताव था। स्थिति यो स्पष्ट हुई कि महाराणा साहब दीवान और वे जिनको निवृत्त करने का प्रस्ताव था सभी की आयु न्यूनाधिक रूप में बराबर थी। अब तो दीवान साहब खाना होने का सतूना बाधने लगे। महाराणा साहब ने उनको रोका। आदेश दिया कि इन सभी परिपक्व अनुभवी अधिकारियों को बनाये रखा जाये। इनको एक-एक युवा सहायक दिया जावे। अनुभवियों की सलाह से युवक कार्य करे। परिपक्वता और चुस्ती का तालमेल बिठाया गया। बुजुर्ग अधिकारियों के पाव कब्र में लटकने से बचा लिया गया।

उस युग में राजामहाराजाओं की सूझबूझ के लागू कायल थे। आज भी मेरे जैसे लोग तो कायल हैं। खास कर वे जिन्होंने उनको राज करते देखा है। उनके राज में नौकरी भी की है। कल्पना ससार में खोया मैं तब की अब से तुलना करने लगा। वे धीमे चलते थे। जल्दबाजी नहीं करते थे। दूरदर्शी थे। चमत्कारों से उनका वास्ता नहीं था। अब तो चमत्कार दिखाने में विश्वास है। अब तो जगलों को काटकर उनको बचाने जाया जाता है। जगली जानवरों को मारकर उनको बचाने का नारा लगाया जाता है। जलाशयों को सुखा कर बून्द-बून्द बचाने के चर्चे चलते हैं। आजादी को उच्छिखलता में बदलने देकर लोगों को समझाने के कार्यक्रम चलते हैं। आचार संहिता की बातें होती हैं। हडताल का अधिकार देकर उसके हद से गुजरने पर वापस लौटने के उपाय सोचे जाते हैं। मैं ऐसे ही इधर-उधर के विषयों पर सोचता रहा।

मेरे चितन का घक्र चलता चला जा रहा था । गाडी पटरी पर दौड रही थी । मुझे एक और विचार आया । सेवानिवृत्ति के पहले मैंने सेवानिवृत्ति पर एक अध्ययन पढा था । पढे लिखे होने का यही तो कष्ट है । कब कौनसी बात चुभ जावे । लग जावे । मुझे लगा कि मैं न पढता तो अच्छा था ।

इस अध्ययन को मैंने पढा क्यों ? पढा नहीं पढवाया गया । मेरे एक मित्र प्रकाशक ने उस रचना को भेजा था । लिखा था - यह आपके काम की है । सेवानिवृत्ति पर मार्गदर्शन देगी । परन्तु मेरी बडी खराब आदत । नया साहित्य मिला तो पढन पर जुट पडा । पढ डाला । उसकी चुभन वाली बात थी - सेवानिवृत्ति के प्रथम तीन वर्ष सकटपूर्ण (क्रूसिएल) होते हैं । इस अवधि मे व्यक्ति स्वय का नई परिस्थितिया से तालमल बिठाता है । मैं चितन करन लगा - क्या कन्न मे पाव तीन साल तक लटके रहेगे ? मैंने देखा कि मैं एक अध कूप के किनारे पर हूँ । मेरे पाव बहुत भारी-भारी है । कूप मे लटके हैं । हाथ पीछे जमीन पर है । इनके जोर पर मैं जमीन की ओर खिसकने की कोशिश कर रहा हूँ । जोर लगा रहा हूँ । जोर लगता ही नहीं । बार-बार कोशिश कर रहा हूँ । पल-पल यह लग रहा है कि अब गिरा - अब गिरा । इसी सघर्ष मे मेरी आखे खुलीं । शरीर पसीने मे लथपथ था । मैं उठ बैठा । कलेजा धक-धक कर रहा था ।

मैं कब तक जगा रहा । कब तक चितन चला । कब नीद आई । मुझे याद नहीं पर जगने पर समझ मे आया कि नीद मे था । स्वप्न देखा था । सवेरा हो रहा था । गाडी जोधपुर जक्शन पर पहुँची थी । मेने अपने डिब्बे का दरवाजा खोला । मेरे वहाँ के मित्र मिलने आये थे । पिछली सारी बात भूल कर मैं उनसे मिलने मे अभिवादन स्वीकारने मे लग गया । वहाँ गाडी काफी समय रुकती थी । मैं प्रात कालीनचर्या से वहीं निवृत्त हुआ । दोस्तो के साथ नाश्ता किया । गाडी रवाना होने का समय आया । मेरे एक स्नेही मित्र ने लच पेकेट मुझे थमा दिया । कहा - इसका आनद लेते जाना ।

मेरी गाडी रवाना हो गई । दिन भर की यात्रा थी । रात 10.45 बजे रेल मेरे गृहस्थान पर पहुँची । मेरे कुटुम्बी मित्र और हितेच्छु बाट जोह रहे थे । कुछ हल्की-फुल्की बाते हुई । मैंने भी कहा लोट के बुद्ध घर को आये । घर पहुँचते-पहुँचते मध्यरात्रि का समय हो गया । घर के सभी सदस्य परम प्रसन्न । मेरी माता अत्यत प्रसन्न । कुछ खाना खाया । सो गया ।

चोतीस साल बाद इतना निश्चित होकर सोया था ।

नई शुरुआत

प्रातः जगा । स्वतंत्रता का नया सवेरा । मेरे घर पर मेरे लिए यह प्रथम सवेरा था । मुझे नजर आया कि शौचालय की कमोड सफाई मागती है । स्नानागार से निकलने वाली नालिया गंदी हो रही हैं । मैंने इनकी सफाई का काम बड़े इत्मीनान से किया । कमोड को चमका दिया । नालियाँ बिल्कुल साफ । सफाई को देख मेरा मन प्रसन्न हुआ । मैंने माना कि घर के लिए स्वयं को उपयोगी सिद्ध करने को यह कार्य अच्छा है । फिर प्रातः कालीन चर्चा से निवृत्त हुआ । स्नान किया । पूजा-पाठ सम्पन्न किया । भोजन किया । अब मैं अपने मन व मर्जी का मालिक था ।

मेरी अपनी एक मोपेड थी । वह भी ऐतिहासिक मोपेड । उदयपुर में वह पहली 'सुवेगा' थी । जयपुर से खरीद की थी । चौदह-पंद्रह साल पहले की बात है । बाद में बजाज स्कूटर आ गया । पर मैंने उसको चलाने से निवृत्ति लेली । सुवेगा हल्की-फुल्की गाड़ी । घर पर कभी कभार काम आती । उसकी झाडा-फूकी की । कुछ हिस्से रगड़-रगड़ कर साफ किये । घर से बाहर निकाली । कई दिन बाद उस पर सवार हुआ । उस चौराहे पर पहुँचा जहाँ सध्या को हम मित्र मिला करते थे । आज दोपहर थी । टोडावत पान वाले की दूकान पर पहुँचा । दूकान से सटी एक बैच थी । उस पर सेवानिवृत्त अगज मेरे मित्र चौधरी जी बैठे थे । पुराने स्वतंत्रता सेनानी । गौर वर्ण लम्बा कद सिर के बाल पके हुए खादी का कुर्ता इकलगी धोती कोल्हापुरी चप्पले तम्बाकू का पान मुह में दबा हुआ प्रसन्न मुद्रा और उनकी जबान पर हमेशा कोई न कोई चुटकला जो मुलाकात में रस घोलता रहता है । मुझे देखकर कहकहा लगाया । हमने एक दूसरे का अभिवादन किया । वे बोले - निपटा आये । मैंने कहा - हाँ ! सरकार के काम निपटा आया । उत्तर मिला तब फिर ठीक है । आपका स्थान खाली पडा है । इस स्थान को ग्रहण (एर्यूम) कीजिये । मैं बैच पर बैठ गया ।

चौधरी जी ने मजाकिया लहजे में पूछा - क्या खोया क्या पाया ?

मैंने उनको गिनाना शुरु किया । मैंने कहा - खोने को मात्र तीन बातें हैं- सरकारी नौकरी उससे जुड़ा दायित्व बोझ और सरकारी काम । परन्तु मुझे मिला बहुत है । मैं अपने नगर में आ पहुँचा । अपने पैतृक गृह में स्थाई रहना मिला है । ऐसा रहना जिसके लिए पहले तरसता था । मैं अपने सयुक्त कुटुम्ब का स्थाई

सदस्य बन गया । इसकी सेवा का मुझे पूर्णकालिक अवसर मिला है । मुझे आप जैसे पुराने मित्र मिले । इन सबका साथ मिला । मुझे वे सभी बाग-बगीचे गोष्ठीस्थल धार्मिक स्थान शैक्षिक-सस्थाएँ और साधु-संतों की धूणियाँ जिन पर सत्संग का लाभ और आनन्द दुर्लभ हो चुके थे अब सहज प्राप्त हैं । इनके अलावा भी मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है कहीं तक गिनाऊँ । इनमें भी सबसे बड़ी प्राप्ति तो यह कि प्रतिदिन सबेरे तैयार होकर कार्यालय पहुँचने की बदिश से मुझे मुक्ति प्राप्त हुई है । इन प्राप्तियों से मैं प्रसन्न हूँ । आनन्दित हूँ । आह्लादित हूँ ।

चौधरी जी ने कहा बस बस बस ! अब मेरी सुनलो । यहाँ आने वालों का अपना चेटक-क्लब है । सदस्यता-शुल्क मात्र इतना कि सदस्य को रोजाना यहाँ आना पडता है । यो तो जब चाहो तब आ जाओ पर सध्या सात बजे ज्यादातर सदस्य यहाँ मिलते हैं ।

मैंने उत्तर में कहा सूचित हुआ ।

लोग आते रहे । जाते रहे । हसी मजाक होती रही । मैं वहाँ काफी देर तक बैठा । फिर सीधा घर आया ।

मैं चेटक-क्लब में शामिल होने लगा ।

दो दिन बाद मेरे जैसे सेवानिवृत्त अग्रजों के सुझाव पर मैंने अपने आवास पर जलपान का आयाजन किया । सध्या चार बजे सभी इकट्ठे हुए । उनकी संख्या 8-9 होगी । आठ बजे तक कार्यक्रम चला । समय बड़ी मस्ती से गुजरा । चलते-चलते एक मित्र ने कहा - अब काम वाले यहाँ नहीं आवेगे । हम जैसे बेकार लोग आवेगे । जमे रहेंगे घटो । मकान के पेसेज में खुलने वाला यही कमरा अच्छा है । इसमें सब सुविधाएँ जुटाइये । दूसरे ने कहा - अब यही आपका कार्यालय है । तीसरे ने कहा - कार्यालय नहीं आश्रम । चौथे ने कहा- आश्रम नहीं तपोभूमि । लोग विसर्जित हुए । उनका सुझाव व्यावहारिक था । मुझे भी अच्छा लगा । मैंने अपनी बैठक को सुविधाजनक बनाना तय किया । यह सच था कि मित्र अब तन्वे समय तक बैठेंगे । उनको सुविधा तो मिलनी चाहिए । इस बैठक में पूजास्थल व्यासासन जरूरी फाइले सदस्य साहित्य लायब्रेरी 'कंपबोर्ड' शायिका लेखन सामग्री आगन्तुकों के लिए स्थान पानी की मटकी पानदान टेलीफोन आदि की सुविधाएँ सहज एवं व्यवस्थित रूप से उपलब्ध हो । एक ही कक्ष में ये सारी सुविधाएँ जुटानी थी । उनको ऐसा अवस्थित करना था कि बार-बार जरूरत की सामग्री सन्निकट और कभी कभी उपयोग की सामग्री उनके उपयोग के अवसरों के आधार पर इतनी निकट या दूर हो कि जरूरत पडने पर न्यूनतम श्रम से वे उपलब्ध हो सकें । ऐसा करना टेढ़ी खीर था । पर करना था । मेरा मस्तिष्क इस दिशा में चिंतन करने लगा ।

चायपार्टी के दूसरे दिन प्रातःकाल में नाथद्वारा खाना खाया गया। वहाँ मेरे इष्टदेव श्रीनाथजी का मंदिर है। वहाँ से 50 किलोमीटर की यात्रा थी। राजभोग के दर्शन में दर्शनार्थी बना। दर्शनार्थी के रूप में आज का मेरा स्वरूप भिन्न था। आज मैं दर्शनार्थी के अलावा एक प्रार्थी भी था। मैंने इष्टदेव से निवेदन किया

प्रभु ! अब तक आपके आर मेरे बीच में सरकार थी मैं उसका सेवक था। उसकी सेवा करता था। बड़े मनोयोग से उसकी सेवा करता। आनंद भोगता था। अब बीच में वह सरकार नहीं है। अब आपका मेरा सीधा सम्बन्ध है। अब आपकी शरण में हूँ। आपका सेवक हूँ। आपकी सेवा भी पूरे मनोयोग से करूँगा। आपकी कृपा का आनंद भोगूँगा। हर साल जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपको उपस्थिति दिया करूँगा। वह मेरी साल भर की हाजिरी होगी। अब आपको मेरी चिन्ता करनी है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता। सुन लिया ?

और मैंने मान लिया कि सुन लिया। इस मान लेने में मेरा अनुभव रहा है। जब कभी इन दर्शनो में मैंने प्रार्थी हुआ। मैंने कोई प्रार्थना की। जरूर सुनवाई हुई। श्रीनाथजी का राजभोग में स्वरूप राजा का होता है।

मैं मंदिर से बाहर आया। नाथद्वारा के कई मित्रों से मिला। वही नाथद्वारा में एक सिद्ध सत भूरी बाई का स्थान है। स्थान का नाम अलख आश्रम है। मैं अलख आश्रम गया। महात्मा बाई के दर्शन किये। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। मैंने अपनी कहानी सुनाई। श्रीनाथजी को जो कुछ सुना आया उनको भी सुनाया। वे गंभीर प्रकृति की थीं। परन्तु मेरी बात पर वे भी हँस पड़ीं। बोली — वे हाऊ कीदो। मैंने मेवाड़ी बोली में उत्तर दिया — और जदी कई करता। उन्होंने मुझे भोजन करने को कहा। मैंने आदेश का पालन किया। भोजन करने बैठ गया। भोजन करते हुए मैं सोचता जाता था — सेवा निवृत्ति के पश्चात् भोजन स्थल किसी आश्रम के अलावा और कोई हो ही कैसे सकता है।

मैं आश्रम से खुशी-खुशी विदा हुआ। वापस मंदिर गया। मंदिर में चढाई भेट के उपलक्ष में प्रसाद वहाँ से प्राप्त किया। वहाँ से स्टैड गया। खाना हुआ। आठ बजे रात घर आया।

मुझे दिली खुशी थी। सरकार ने तो मुझे अपनी सेवा से निवृत्त कर दिया था। परन्तु आज पाचवें दिन मैंने एक बड़ी सरकार प्राप्त करली थी। खोई हुई से बहुत बड़ी। इतनी बड़ी कि जिसके पास मेरी खोई हुई सरकार भी नाना रूप में और नाना विधि से अपनी खैर मनाने हाजिर होती है। मेरे अन्तर्मन का एक बड़ा खालीपन भरा-भरा महसूस होने लगा।

मुझे मित्रों की जलपान के दिन कही बातें बार-बार याद आती। अब आपके यहाँ बेकार लोग आयेगे। घटो जमे रहेगे। मकान के पसेज में खुलने वाले कमरे में सब सुविधाएँ जुटाइये।

मैं इसी काम में लग गया। पूरी सूझबूझ से काम किया। इस काम में काफी समय लगा। परन्तु मैंने कार्यालय को सम्पन्न और व्यवस्थित बनाया। जो सुविधाएँ सरकारी कार्यालय में थीं मैंने यहाँ जुटाईं। मैंने और भी बहुत कुछ जुटाया। वह भी जो वहाँ नहीं था। एक ही कमरे में बार-बार जरूरत की वस्तुएँ हाथ बढ़ाते ही मिले। वस्तुओं की दूरी उनके उपयोग के अवसरों की दृष्टि से अवस्थित की गईं। बार-बार उपयोग की वस्तुएँ सब से नजदीक। कभी-कभी उपयोगी की सबसे दूर। मेरा आसन छ फुट लम्बा। तीन फुट चौड़ा। दो फुट ऊँचा। ऊपर एक गद्दा। बीच में एक तकिया। पीछे एक रंगीन पर्दा। सामने एक टेबिल। पान-दान आसन के बाईं ओर। उससे आगे पानी की मटकी दो-तीन गिलास। आसन की दाईं ओर स्टेशनरी। दाईं ओर आगे दीवार पर एक कबोर्ड। इसमें बार-बार जरूरत की सभी वस्तुएँ। इसी में शब्द कोश। नीचे एक टी-टेबिल। आसन की बाईं ओर एक गद्दीदार सीट और सोफा अगन्तुको के बैठने के लिए। दाईं ओर एक दीवान। दीवान पर दो गोल तकिये दीवाल के सहारे रखे हुए। मेरे शयन और आराम के लिए। आसन के सामने दीवान की खुली अलमारी। इसमें कई देवताओं की मूर्तियाँ और चित्र। जैसे दरबार लगा हो। उस अलमारी के बगल की दीवार सिद्धगणपति का बड़ा रंगीन चित्र। अगल-बगल की अलमारियों में पुस्तकें और फाइले तरतीबवार। बीच में खाली जमीन पर लिनोलियम का बिछौना। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही दाईं ओर मेरे इस कार्यालय का प्रवेश द्वार था। अगन्तुको से घर वाला का कोई असुविधा नहीं। प्रवेशद्वार की बाईं ओर टेलीफोन का स्थान। मेरे आसन से सबसे दूर। कोई टेलीफोन करने आने घर का हो या बाहर का टेलीफोन करे। घला जाये। मुझे कम से कम विक्षेप हो।

मेरा आवास चौराहे पर। मुख्य द्वार पूर्व की ओर। मुख्य द्वार के बाईं ओर श्रीनाथजी की हवेली का मार्ग आगे सब्जी मंडी फिर आगे किराणा बाजार। दाईं ओर सत्यनारायण-मार्ग। आगे गुलाबबाग। और आगे उदयपुर की झीलों को जाने वाला रास्ता। दाईं ओर बगल से पीछे की ओर पुरानी बस्ती के कई मुहल्ले। फिर आगे महाराणाओं के ऐतिहासिक महलों को जाने वाले रास्ते। सामने सूरजपोल मार्ग बापू-बाजार बैंक रोड और आगे विश्वविद्यालय। मित्रों और हितैषियों के लिए सहज पहुँच का स्थान मेरा आवास। आते-जाते मित्रों को मिलने के लिए मैं सदैव ही सुलभ। आवास के मुख्य द्वार पर घटी का स्विच। मेरे कार्यालय की अपनी एक ओर घटी। मुख्य द्वार की घटी की शुक जैसी आवाज। वह बजे तो मैं द्वार पर पहुँचता हूँ। मैं कार्यालय की घटी बजाता हूँ तो कोई अन्दर से आता है। मेरी आवश्यकता पूछता है। आवश्यकता ज्यादातर चाय-नाश्ते की होती है। वह पूरी की जाती है।

उदयपुर नगर में ऐसे अवस्थित आवास में अपने आपमें सुसम्पन्न परिपूर्ण और स्वतंत्र मेरा कार्यालय था।

श्रोताओं को एक निश्चित दृष्टि बिन्दु की ओर ले चलूँगा और फिर कैसे समाहार करूँगा। इतनी मशक्कत किये बिना आज तक कभी मैं भाषण देने नहीं गया। किसी सभा—सोसाइटी में मेरा नाम बोलने के लिए अप्रत्याशित रूप में घोषित हो जाता तब भी नाम की घोषणा होने और स्टेज पर पहुँचने के अन्तराल में मैं कुछ सकेत अवश्य लिख लेता। मेरी आदत है कि घर के बाहर जब कभी निकलूँ कागज और पेन मेरी जेब में जरूर हो। ऐसा मैंने उस दिन से शुरू किया जिस दिन किसी विचारक के ये शब्द मैंने पढ़े थे — अनमोल विचार जब कभी तुमको सुनने या पढ़ने को मिले तत्काल उनको कागज पर कैद कर लो बाद में अवसर आवे न आवे।

मैं आसन पर बैठकर पत्र व्यवहार करता। जिस किसी का पत्र आता उसका उत्तर देता। दीपावली नये साल और सालगिरह पर शुभकामनाओं के पत्र आते। ध्यान से उनके उत्तर देता। ऐसे उत्तर कि भेजने वाले का पत्र लिखना उसके आनंद का कारक बने। उत्तर से मैं उनको उनके प्रति मेरे सम्मान का अहसास कराता। मेरी मान्यता है कि पत्रोत्तर के द्वारा उत्तर देने वाले का व्यक्तित्व पत्र पर उतर कर सामने वाले तक पहुँचता है। जब ऐसा होता है तो पत्र व्यवहार जीवन्त रहता है। बना रहता है।

मैं स्वाध्याय करता। पुस्तकें खरीद के पढ़ता। माग के पढ़ता। खरीदवा कर पढ़ता। इनके पढ़ने का उद्देश्य स्वयं का विकास था। खासकर आध्यात्मिक विकास। इसके लिए सिद्धो और सतो की जीवनियाँ और अनुभव मुख्य थे। पुस्तकें मुझसे पढ़वाई जातीं। राजस्थान साहित्य अकादमी मुझे साहित्यिक पुस्तकें भेजती। ये मुझे समीक्षार्थ प्राप्त होतीं। इनको मैं ध्यान से पढ़ता। समीक्षा लिखता। ये समीक्षा उनकी मुख पत्रिका में प्रकाशित होती। मुझे शिक्षा विभाग (राजस्थान) पुस्तकें भेजता। विभाग उन पुस्तकों की मुझसे समीक्षा करवाता। इस समीक्षा का उद्देश्य होता यह बतलाना कि पुस्तक का स्तर कैसा है। कौन सी पुस्तक शिक्षण सस्थाओं के किस या किन स्तरों के लिए उपयोगी होगी। इस समीक्षा में यह बतलाना जरूरी होता कि पुस्तक में कहीं कोई अश्लील साम्प्रदायिक या राष्ट्रविरोधी पक्तियाँ या पृष्ठ तो नहीं हैं। इसके लिए पुस्तक का एक—एक शब्द पढ़ना जरूरी होता। मैं ऐसा ही करता।

अध्ययन का एक आयाम और भी था। हम लोग भारतीय दर्शन के ग्रन्थों का वाचना करते। रामायण कथ्यायन भागवत योगवासिष्ठ ईशावास्योपनिषद् आदि कई ग्रन्थ बारी—बारी से पढ़े। इनके हमने दो—दो तीनों—तीन पारायण कर डाले।

स्वाध्याय और सोपा हुआ अध्ययन मैं अकेला करता था। अतः जब भी समय मिलता पढ़ने लगता। परन्तु दर्शन ग्रन्थों के वाचन का समय भोजन के पश्चात् रात्रि का होता था। यह दस-ग्यारह बजे तक चलता।

मानसिक दृष्टि से स्वरथ रहने हेतु मैं साधना करता। साधना एकान्त में होती है। ऐसा एकान्त जहाँ विक्षेप न हो। साधना शुद्ध वातावरण में होती है। ऐसा शुद्ध जैसा पहले आश्रमों में होता था। साधना में स्थान विशेष मदद करता है। ऐसा स्थान विशेष जहाँ पहले साधना हुई हो। ऐसा स्थान मेरे आवास से थोड़ी दूर पर गुलाबबाग है। मैं शुरु में वहाँ जाया करता था। बीच में जाना छूट गया। सवेरे जल्दी जाता। अकेला जाता। तैयार होकर जाता। इतना तैयार कि जेब में परिचय कार्ड भी होता। कागज-पेंसिल होती। कुछ सिक्के होते। जाप की गिनती के लिए माला होती। अतिसामान्य पोषाक -- कुर्ता पायजामा। घर से निकलते ही प्रणव मंत्र का जाप शुरु करता। वायुसेवन करता। जाप करता। कोई बात करने आता तो इशारे से उसे खाना करता।

वहाँ एक कमल तलाई है। उसमें कमल खिले रहते। उसके आस-पास कड़ पत्थर की बेंचे। ऊपर आम्रवृक्ष। हरियाली ही हरियाली। आश्रम जैसा वातावरण। मैं वहाँ जाकर बैठता। नादब्रह्म की उपासना करता। करीब एक घंटा लगाता। मेरा मन आनन्द से भरपूर हो जाता। आत्मविश्वास लेकर घर लौटता।

रात्रि को शयनपूर्व 'ध्यान' करता। सकल्प रहित स्थिति बनाता। आत्मस्वरूप में स्थित होने का यत्न करता। मन को शांति प्राप्त होती। आन्तरिक आनन्द की अनुभूति होती। सो जाता।

मेरी शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति भी सजग था। स्वास्थ्य का मोर्चा सर्वोच्च है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन। स्वस्थ शरीर से इच्छा-शक्ति का विकास। साधना और सिद्धि की प्राप्ति इसीसे। स्वरथ शरीर के द्वारा ही सामाजिक सम्बन्ध। समाज सेवा का भी यही माध्यम। स्वस्थ शरीर ही जीवात्मा का सर्वप्रथम सेवक। इसी के द्वारा स्वावलम्बन संभव। यही दिग्दिगन्तर में विजय का माध्यम। स्वस्थ शरीर ही उसके सार्थक उपयोग का साधन। यह सब मैं समझता था। मैं यह जानता था कि नौकरी ने मेरे शरीर को खुरद-बुर्द किया है। आखिर चौंतीस वर्ष की नौकरी थी। मैंने सोचा कि इस खुरद-बुर्दगी का भी लेखा जोखा होना चाहिए। सेवानिवृत्ति के तीसरे-चौथे दिन मैं चिकित्सालय पहुँचा। मुख्य चिकित्सक मेरे पूर्ण परिचित थे। मेरे पूर्व अधिकारी के जामाता थे। इस कारण निकटता रखते थे। सामान्य शिष्टाचार पूरा हुआ। उन्होंने पूछा -- आप कैसे पधारे ? मैंने कहा -- डाक्टर साहब। आप जानते हैं मैं सेवानिवृत्त हो चुका। मेरी स्वास्थ्य-जाँच कीजिये। मुझे मार्गदर्शन दीजिये। डाक्टर ने पूछा -- आपको कोई बीमारी ? मैंने

कहा - कुछ नहीं। उन्होंने पूछा - आप कैसा महसूस करते हैं ? मैंने उत्तर दिया - बिल्कुल ठीक। डाक्टर ने कहा - तब आपको जाच की जरूरत क्यों पड़ी। जाच तो जाच होती है। कोई न कोई कमी या बढ़त तो जरूर निकलेगी। आप यहा से किसी बहम को लेकर लौटेंगे। आप पधारिये। स्वरथ है। स्वस्थ रहिए। मैं लौट आया।

यह प्रकरण स्वास्थ्य का था। मुझसे न रहा गया। मेरे एक महरबाब वैद्य थे। वैद्य भागीरथ जी। वे नाडी वैद्य थे। उनके घर गया। उनसे नाडी परीक्षण कराया। उन्होंने तीन नुस्खे बताये। पच रत्नानी घूर्ण - सध्या को भोजन पूर्व लेने के लिए। दूसरा बिना परहेज का नीम। हर साल चैत्र मास मे तीन दिन पीने के लिए। तीसरा नुस्खा ठडे जुलाब का। इर साल सर्दी मे लेने के लिए। तीनो नुस्खा को मैंने डायरी मे लिखे। आभार व्यक्त किया। चला आया। वैद्यजी के सुझाव पर पालन शुरू किया।

मैं सौघता प्राकृतिक चिकित्सा का भी लाभ लेना चाहिए। कई दिनों से वाष्प-स्नान की इच्छा थी। प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र गया। उनकी एक क्रमिक व्यवस्था है। पहले नीबू का एनेमा लगा। शरीर की मालिश की गई। वाष्प स्नान दिया गया। इसमे 15 मिनट लगे। फिर ठडे पानी का स्नान शुरू हुआ। इसके पश्चात् मुझे कम्बल ओढाई गई। पलग पर सुलाया गया। पद्रह मिनट मैंने आराम किया। मेरा शरीर हल्का हो गया। मन प्रसन्न हुआ। यह अनुभव मजेदार रहा।

सेवानिवृत्ति का दूसरा वार्षिकोत्सव निकट था। इन्हीं दिनों स्वामी नित्यमुक्तानंद सरस्वती उदयपुर पधारे। ये पूर्ण योग केन्द्र (हरिद्वार-ऋषिकेश) के सस्थापक थे। इन्होंने एक योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। अवधि पद्रह दिन थी। मैंने भी इस सुयोग का लाभ लिया। इसमे आसन प्राणायाम नैति त्राटक योगनिद्रा मानस यात्रा आदि का अभ्यास दिया गया। शख-प्रक्षालन क्रिया का अतिम स्थान था। यह आमाशय और आतो की सफाई की प्रक्रिया है। आतो की ऐसी सफाई कि मुह से पानी पीने पर शौच के रूप मे वैसा ही पारदृश्य पानी बाहर निकलने लगा। इस प्रक्रिया के पश्चात एक विशेष प्रकार का दलिया खिलाया गया। शिविरार्थियों ने यहीं आराम किया। प्रमाण-पत्र दिये गये। सध्या को घर लौटे। मेरी काया शुद्ध और चुस्त हो गई। इस शिविर से स्वास्थ्य की देखभाल मे विशेष कुशलता प्राप्त हुई।

सतदर्शन और सत्संग मे मेरी रुचि पुरानी है। मैं सरकारी यात्रा पर जाता। किसी नई जगह पर पदस्थापित होता। वहा के सतो का पता लगाता। दर्शन को जाता। किसी किसी के पास बार-बार भी जाता। ऐसा करना मेरे जीवन का अग

है। इसकी शुरुआत बहुत बचपन में हुई थी। मैंने प्रथम दर्शन बालजी महाराज के किये थे। परमहंस योगी थे। लम्बा कद। दुर्बल शरीर। श्याम वर्ण। पूर्णतः निर्वस्त्र। घुटनों को सीने से अड़ाये बैठते। दोनों हाथों को घुटनों पर से आगे लटकाने रखते। गर्दन झुकी हुई। कभी कभी चलते। उनकी कमर झुक कर कमान जैसी। ज्यादातर बैठे रहते। खाना वे खुद नहीं खाते। उनको खाना खिलाया जाता। कोई अपने हाथ से न खिलाये तो उनको खाने की जरूरत नहीं। जाति से हिन्दू थे। उनके दो भक्त थे। एक मुसलमान थे। नाम था मौलवी नैरग। दूसरे हिन्दू थे प्यारे लाल फोटोग्राफर। एक की राजदरबार में बड़ी इज्जत। दूसरे धन से मालामाल। यह सबकुछ बालजी महाराज की कृपा से हुआ। सब लोग ऐसा मानते। ऐसे सत के दर्शन मुझे मेरे पिताश्री ने कराये थे। तब मैं पाच - छ वर्ष का था। दर्शन भी क्या यो कहिये कि वे मुझे उनके चरणों में धोक दिलाने ले गये। ऐसे व्यक्तित्व को धोक मेरे लिए एक अजीबोगरीब घटना थी। मैं कई दिनों तक इस पर बातें करता रहा। आज भी बालजी महाराज मेरे दृष्टिपटल के सामने हैं। तब से आज तक मैं सतदर्शन करता रहा हूँ। कई रातों के दर्शन किये। किस-किस के नाम गिनाऊँ।

एक अंग्रेजी कहावत मैंने पढ़ी थी। उसका हिन्दी रूपान्तर है - भाई भगवान देता है मित्र इसान चुनता है। व्यक्तियों के आपसी चयन से मित्रों का एक अनापचारिक समूह बनता है। कोई बड़ा। कोई छोटा। ऐसे समूह के सदस्यों में कुछ बातें समान होती हैं कुछ विशेष। समान बातें समूह को जुड़ा रखती हैं। विशेष बातें समूह को विशिष्ट बनाती हैं। प्रत्येक सदस्य की अपनी विशेष प्रतिभा सम्पन्नता समूह को अद्वितीय भी बना देती है। हमारे देश में राजा भोज महान हुए हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य महान् कहलाये। मुगल सम्राट अकबर को महान् कहा जाता है। इनकी महानता का मैं एक गुर मानता हूँ। इनके दरबार में नवरत्न थे। अपने-अपने फन में माहिर। नौ दिग्गज। उनकी सलाह से वे राज करते। जिसको जिस काम में महारत उसको वह काम साँपा जाता। सफलता हासिल होती। नतीजतन सम्राट महान कहलाये। साधारण इसान भी ऐसा कर सकता है। ऐसे मित्र वह चुन सकता है। न चुन सके तो ऐसे से मित्रता कर सकता है। आपसी लगाव आवभगत सुखदुःख में साथ हसी मजाक पिकनिक - आनन्द का दरिया बहा सकते हैं। जीवन में रंग भर सकते हैं। मैं जहा कही रहा ऐसे अनापचारिक समूह को महत्व दिया। उसका सदस्य रहा। उसके लिए समय निकाला। समय निकल जाता था। सिर्फ एक ही काम करता। आफिस का काम आफिस में मशकत से करता। घर का समय घर के लिए बचाता। उस समय में मित्रों के साथ का भी लाभ लेता। अब मित्रों के साथ के लिए बहुत समय है। इनमें

प्रत्येक एक-एक रत्न है। मात्र एक मित्र के साथ के लिए भी मैं चलते काम को लबित कर देता हूँ। साथ हो जाता हूँ। अधिक मित्र हो तो कहने ही क्या।

धीरे धीरे लोगो को पता लगने लगा। एक व्यक्ति है। सेवानिवृत्त है। सुना है - नौकरी नहीं करेगा। एक-दो प्रस्ताव ठुकरा चुका है। काम का है। फुरसत में है। स्वायत्तशासी शैक्षिक सस्थाओं तक जानकारी पहुँची। सदस्य बनाने आने लगे। कुछेक का सहर्ष सदस्य बना कुछेक का मजबूरन सदस्य बनना पडा। सस्थाओं से जुड गया।

समाज के कार्यक्रमो में भाग लेने लगा। शादी-ब्याह मगनी और बारात तक में जाना जरूरी हो गया। नौकरी नहीं थी। लोग समझते - यह फुरसत वाला है। आग्रह करते। जाना पडता। शहर में। बाहर भी।

कुछ चुनौती भरे काम मेरे कधो पर आ गिरे। एक-दो सगठन खडे करने का जिम्मा आ पडा। निभाना पडा। कुछ चुनौती पूर्ण दायित्व सामने आये। मित्र कहते - अगर आप ना करेगे तो कहा जावेगा ये कोरी बाते करते हैं। इन शिक्षा सेवा निवृत्तो में कोई भी ऐसा दम-खम वाला नहीं है जो दायित्व सभाले। कुछ कर दिखाये। मित्रो का आग्रह स्वीकारना पडा। ऐसे दायित्व भी सभाले। घरेलू काम तो करता ही था। बाजार के काम भी में ही करता। बीमारी में दवादारु की व्यवस्था भी मेरे जिम्मे थी।

वैसे मैं बिल्कुल बेकार था। परन्तु फुरसत एक मिनिट की नहीं। नये सेवानिवृत्त मित्र पूछते - डाक्टर आप समय कैसे काटते है ? मैं उत्तर देता - मुझे तो समय कटा-कटाया ही मिला है।

सच है। सम्पूर्ण सेवारत जीवन उस प्रकार के सेवानिवृत्त जीवन की तैयारी है जिस प्रकार के जीवन को वह जीना चाहता है।

और मैं सकटकालीन अवधियो को पार करने लगा।

सार घटना क्रम की एक-एक कहानी है। उसमें स कुछक की कहानियाँ आगे कहूँगा। कुछेक को यह मान कर टाल दूंगा कि अब तक जा कुछ कहा उससे पाठक अदाजा लगा लेंगे।

आखिर ये पाठक हैं।

मित्रों की मैत्री

मेरे यहाँ मैत्री समूह तो हर कभी बनता रहता। एक दिन मे दो-दो तीन-तीन बार। मेरा आवास सहज सुलभ स्थाप पर। कोई भी मित्र सामने से गुजरता तो मुझे अनुगृहीत करता। आवास में प्रवेश करते ही मेरी बैठक। यह बैठक मेरी कार्य स्थली है। पढ़ना लिखना या बातचीत इसके मुख्य अंग। आगतुक कभी निराश नहीं होता। किसी एक मित्र के आते ही युग्म बन जाता। यह युग्म मैत्री-समूह कहा जाता है। यही सबसे छोटा अनौपचारिक समूह। कभी दो मित्र साथ-साथ आते। तब त्रिक बन जाता। त्रिक सबसे अच्छा अनौपचारिक समूह होता है।

कभी ज्यादा मित्र भी मेरी बैठक में इकट्ठे होते। तभी हम लोग पिकनिक तय कर डालते। ऐसी पिकनिक में 10 से 15 तक मित्र एकत्रित होते। अनौपचारिक समूह का यही व्यापक रूप था। सभी एक-दूसरे के मित्र। कुछ सदस्य आपस में निकट के मित्र। उनमें भी कुछेक एक-दूसरे के अतरंग मित्र। मेरे भी एक-दो अतरंग मित्र हैं। मित्रों में सबसे पुराने मित्र। एक समय था जब यहाँ पाणी-बिजली की व्यवस्था नहीं थी। कुएं-बावडी से पानी लाते। उससे घरेलू जरूरत पूरी करते। नहाना-धोना घर के बाहर होता। इस काम के लिए ताल-तलैया थे। हम लोग कपड़े तालाब पर धोते थे। हम तीन-चार मित्र साथ-साथ तालाब पर जाते। रविवार का सवेरा सामान्यतः इसके लिए निश्चित था। कभी-कभार किसी दूर के तालाब पर जाते। तब खाना बनाने का सामान भी लेते जाते। कपड़ धोकर फैला देते। फिर खाना बनाते। नहाते। धुले कपड़े पहिनते। खाना खाते। साईकिले दौडाते हुए घर आते। इस प्रकार मनोरंजन हाता। मेले कपड़ों की धुलाई होती। पिकनिक होती। सुखद सम्पर्क से अतरंग मित्रता बनी थी। हमारे बड़े अनौपचारिक समूह में तब वे मेरे भी दो-तीन अतरंग मित्र आज भी हैं। ऐसे ही कई-कई अतरंग मित्र। कई निकट के मित्र। सभी मित्र तो हैं ही।

मेरे मेवाड अचल में कई प्राकृतिक स्थल हैं। प्रत्येक स्थल का अपना ऐतिहासिक महत्त्व। उसका आध्यात्मिक महत्त्व और अधिक। महत्त्व का आधार यहाँ के किसी सत के चमत्कार। उनकी कहानिया आज भी जाश्रुति का अंग है। पूर्व मेवाड राज्य के महाराणाओं के वे सत मान्य और पूजनीय थे। ऐसे स्थानों को राज्य से अनुदान और संरक्षण प्राप्त था। उन स्थानों का समाज में सम्मान था। लोग सत्संग के लिए यहाँ जाते। भक्ति करते। ज्ञान प्राप्त करते। ज्ञान को

हृदयगम करते। वैसा व्यवहार करते। सत्तागी बुजुर्ग घर और समाज को प्रभावित करते। चरित्र निर्माण का काम सहज रूप से चलता। चरित्र निर्माण के ऐसे कई स्रोत थे। इनका नाम वहाँ के पूज्य देवता ग्राम या पर्वत से शुरू होता। उससे पीछे तपस्या का प्रतीक शब्द धूणी जुड़ा था। हम लोग ऐसी ही किसी धूणी पर पिकनिक करते। स्थान तय करने के पहले यह देखते कि कैसे चलेंगे। चलने का माध्यम अपने-अपने दुपहिया वाहन है तो निकट का स्थान तय करते। दूर के स्थान पर जाना होता तो 'यजमान को पहले टटोलते। वे जिस दिन गाड़ी ले चलते उस दिन जाते। कभी कभार रोडवेज की बस से भी जाना तय करते। पर पिकनिक जरूर करते। शुरू-शुरू में पिकनिक जल्दी-जल्दी करते। साल भर में छ सात बार तो सामान्य बात थी।

पिकनिक तो पिकनिक है। पिकनिक का मजा पिकनिक में ही है। पिकनिक करने की बात मेरे कार्यालय में ही उठती। जब चार-पाच मित्र इकट्ठे होते तो बात-चीत का एक विषय पिकनिक अवश्य होता। पिछली पिकनिक पर चर्चा करके मजा लेते। पिछली पिकनिक को कुछ समय बीता होता तो आगामी पिकनिक की योजना बनती। स्थान और दिन तय होने पर हमारा 'कोर ग्रुप' सक्रिय हो जाता। कौन-कौन चलेगा कितनी सख्या होगी क्या-क्या बनेगा सामान कौन जुटायेगा कहाँ इकट्ठे होंगे कितनी बजे खाना होंगे चलने का माध्यम क्या होगा आदि आदि। गन्तव्य स्थान पर पहुँचने पर साथियों की सक्रियता देखते ही बनती थी। सबसे पहला काम स्थान पर अधिकार जमाने का होता। अपनी जाजम बिछा देने से यह काम हो जाता। तब इत्मीनान से हम उस पर अपना-अपना सामान रख देते। फिर बातूनी मित्र बातें करने लगते। कोई घुटुका सुनाता। कोई किसी घटना का जिक्र करता। कुछ आपस में ही हसी-मजाक करते। तभी कोई सचेतक की भूमिका अदा करता। कहता —
 उठो-उठो ! कडे-लकड़ी बीनने चलना है। एक-दो खडे होते। तब वे ही महाशय किसी के सामने दाल की थैली रखते और कहते — अरे यार ! जरा देखलो। ककर-वकर हो तो बाहर निकाल दो। वे ही शेष साथियों के बीच हरी सब्जी और हरा मसाला रखकर कहते — "बाते करते जाओ। सब्जी काटते जाओ। मसाला साफ करते जाओ। तभी कोई सीनियर सम्मानित सदस्य किसी की ओर फबती करसता इन्होंने नौकरी में ही काम नहीं किया तो आज कैसे करेगे ! और उत्तर मिलता अब ये मेरा जमारा (जन्म) बिगाडने को क्यों तुले हैं ! आप इनको समझाओ न साहब। इस पर सभी खिल-खिला कर हँस पडते।

थोड़ी देर में कडे-लकड़ी बीनने वाले साथी लौट आते। वे चूल्हा बनाने के लिए स्थान चुनते। ईंट पत्थर से चूल्हा बनाते। जलाते। उस पर दाल की पतीली चढा देते। दो-तीन साथी और उनके साथ जुड़ जाते। वे सभी भोजन

श्री गुरुजी काशी यूनिवर्सिटी

मित्रों की मैत्री/23

11843

पुस्तकालय एवम् ग्रन्थालय

वातों में मादिर। तयशुला सामग्री वातों का प्रम शुरू होता। वाणी व मित्र गुप्त न कुछ करते रहते। ताश व शौरी ताश खेलते। अतरंग मित्र दुःख-सुख की बातें करते। ऐसे अवसर पर मैं अपना पान-दान ले जाता। मुझे बताया गया काम करता। पर पान की सेवा भी करता जाता। एक-दो ऐसे भी थे जो जाजम पर लेटे रहते। सबके क्रिया-कलाप देखते। ठिठोली करते। हँसते-हँसते रहते।

भोजन तैयार हो जाता। उरा रथा पर मंदिर या सत को भोग सबसे पहले भेजते। फिर हमारे भोजन की तैयारी होती। हम लोग गोलाकार बैठते। बीच में सारी सामग्री रखी जाती। भोजन परोसा जाता। सहायकवतु मंत्र का उच्चारण होता। फिर हम लोग शुरू करते। भोजन की प्रत्येक वस्तु पर टिप्पणी होती। वैसे बनी ? क्या कमी रही ? बिस-बिस ने मिलकर बनाई ? कौन अगुआ था ? आदि आदि। भोजन के महत्वपूर्ण अंग - मिठाई से लेकर घटनी तक की समीक्षा होती। भोजन का पूरा आनंद लिया जाता। स्वाद से और समीक्षा से। तब सूर्यास्त हो जाता। बर्तनों की सफाई करते। सामान इकट्ठा करते। वापसी यात्रा शुरू होती। घर लौटते। गत पिकनिक के चर्चे चलते। तब तक जब तक नया आयोजन होता। अगर कोई विशेष घटना घटती तो वह बार-बार दुहराई जाती।

कुछ दूरी के स्थानों में गौतमेश्वर हमारा परादीदा स्थान है। रोडवेज की बसे उधर से गुजरती है। यह सड़क से कुछ दूरी पर है। गौतम ऋषि की तपोभूमि है। भोजन बनाने के यहाँ कई स्थल हैं। एक सिद्धसत यहाँ रहते थे। सतसग का लाभ भी वहाँ मिलता था। कुछ दूरी पर जाना होता तो हम इस स्थान पर जाते। यहाँ की एक पिकनिक हमें आज भी याद है। उस दिन हम सात मित्र थे। लड्डू बाटी दाल-भात का भोजन बनाना था। हमने वहाँ पहुँच कर कड़े इकट्ठे किये। उनको व्यवस्थित जमाया जलाया और दाल चढा दी। तभी एक वृक्ष से मधुमक्खियाँ उड़ी। हमारे द्वारा प्रज्वलित अग्नि के पास आईं। आस-पास मडराने लगी। सौभाग्य से हम लोग वहाँ से दूर थे। उनमें से चार-पाँच मधुमक्खियाँ हमारे तीन मित्रों तक पहुँचीं। वे और भी दूर एक तिबारी में बैठे थे। गप्पे टोक रहे थे। जब वे वहाँ पहुँचीं तो हमको मजाक सूझी। किसी ने कहा वाह भाई वाह। खूब पहिचाना। ये काम से बचने को दूर बैठे हैं। इनको आप ही समझाओ देवी भ्रामरी। साथ ही हम उन मित्रों को निर्देश देते निश्चल शांत बैठे रहो। हिलने-डुलने पर डक मार देगी। उन्होंने प्रयत्न तो किया। परन्तु एक तो शिकार हो ही गये। उनकी आँख पर एक मक्खी छत्ता बना गई। यह तूफान करीब पाँच मिनट तक चला। फिर शांत हो गया। मधुमक्खियाँ चली गईं। शेष सबकुछ शांति से सम्पन्न हुआ। पर यह पिकनिक यादगार पिकनिक बन गई।

जलबुज की एक पिकनिक भी यादगार है। उस दिन सब ठीक-ठाक था। भोजन बन चुका था। हम लोग खाना शुरू करने को थे। तभी एक पुराना शिष्य आया। बोला गुरुदेव। गारगी मे छाती है। थोड़ी-थोड़ी ठडाई तो लेनी पडे। तीन-चार शौकीन साथियो ने थोड़ी-थोड़ी ठडाई ली। शेष ने मात्रा दस्तूर किया। भोजन किया। प्रत्येक के पास अपना अपना दुपहिया वाहन था। हम लोग रवाना हुए। थोड़ी दूरी पर ये तीन-चार साथी रुक गये। ये कहने लगे भग तो कई बार पी है। पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हेण्डिल डगमगाता है। रास्ता तक नजर नहीं आता। तय किया कि हम आगे चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा धीमी गति से चलेंगे। ये हमारा मात्र पीछा करेंगे। इस प्रकार ज्यो-त्यो घर पहुँचे। गनीमत यह थी कि इस स्थान की दूरी शहर से मात्र एक किलोमीटर ही है।

एक आख्यान और। इम लोगो मे एक सबसे सीनियर बुजुर्ग हैं। समृद्ध हैं। उदार हैं। मित्रो को निमा कर चलने मे माहिर हैं। उनके घर पर श्रद्धालुओ का ताता बधा रहता है। प्रत्येक की समस्या का समाधान उनकी जबान पर रहता है। जिसको कोई समस्या नहीं उसको सन्मार्ग के उपदेश वे बडी शालीनता से देते हैं। परन्तु इनसे हमारी एक ही गिकायत है। ये पिकनिक मे शामिल होते। परन्तु तब पहुँचते जब भोजन परोसा जा रहा होता। एक दिन नहीं हमेशा ऐसा होता। हम लोगो से इस बात पर खूब फुस-फुसाहट होती। परन्तु पिकनिक को हम इनके बिना बेरग भी नहीं कर सकते थे। अलबत्ता हमने एक रास्ता ढूँढ लिया था। पिकनिक तो घडे से ही होती थी। पर एक पिकनिक के खर्च के वहन के लिए हम इनको पटा लेते। ऐसी ही एक पिकनिक का टीचर्स कालेज डबोक के गेस्टहाउस मे आयोजन था। हमारा कोरग्रूप सारी तैयारी के साथ वहाँ पहुँचा। करीब साढे-ग्यारह बजे होंगे। हमने अग्रिम व्यवस्थाएँ की। गेस्ट हाउस के रसोइया सेवा के लिए सहज उपलब्ध थे। लडडू बाटी दाल-भात का भोजन बनना था। यह काम हमने उनको सौंप दिया। अब हमे फुरसत थी। थोड़ी देर बाते की। फिर ताश खेले। शहर से आने वालो का इन्तजार किया। दो बजे तक कोई नहीं आया। गन्तव्य स्थान पर पहुँचकर हम चाय बनाते थे। चाय-नाश्ता करते। फिर काम पर लगते थे। पिकनिक की यही हमारी शैली थी। किसी को न आता देख एक सदस्य ने कहा नाश्ते की तलब हो रही है। चाय जब पिलाओ तब पिला देना। हम पाच किलो रबडी लाये हैं। इसका नाश्ता तो हो ही सकता है। दूसरे ने कहा हम छ व्यक्ति अभी हैं। दो-तीन मुश्किल से और आवेंगे। ये रबडी और इतना सारा खाना बन रहा है। मामला भारी है। अभी से ही शुरू करेंगे तब काम निपटेगा। सभी सयाने एक मत। रबडी का नाश्ता किया गया। तृप्त हुए। अब शांति से ताश खेलने लगे। छ बजे वहाँ के सस्थान के प्रमुख पधारे। आज के यजमान अब तक भी नदारद थे। सात बजे तक

दुना तार दिया। फिर तब दिया कि भोज। शुरू दिया जा। रक्त पतल लगाई गई। मात्र सात। मुझे पारी याद है। लम्बू बाटी तान-भात खड़ी परोस गये। तभी एन जीप वहाँ पहुँची। गाँव से भार व्यक्ति उतर। एन हमारे यजमान और तीन उनके मेहमान। चार पतले और लगाई गई। भाजन शुरू हुआ। हल्दी-पुल्की मजारा धलती रही। सारा वाग सातद सम्पन्न हुआ। बर्तन सामान वगैरा एकत्रित किये। बनी हुई भाजा सामग्री यजमान की जीप में रखा दी गई। खड़ी वाला पात्र एन तरफ रखा था। यजमान ने खनी का परोसना देखा था। उनका क्यास था कि खड़ी तो बहुत बची होगी। उन्होंने सर्वेत्त करके कहा ये पात्र भी लेता जाऊँ। हम में से किसी ने कहा ले पधारिये। उन्होंने पात्र उठाया। उनके मुख से हठात निकला अरे ये तो खाली है। क्या किया तुम लोगो ने? एन मसखर ने तबिक निकट जाकर कहा एन पारी हमने दो बजे निकटा ली थी। सारा लोग हस पड़े। या यह विकीक यादगार विकीक बन गई।

हम लोग कभी-कभी मटर-गहरी पर निकल पड़ते। ऐसा कार्यक्रम आना-फाना में जाता। एन अपने स्कूटर पर चलता। दूसरे स्कूटर या मोपेड वाले के घर जाता। यह मिला १ मिला तो तीसरे के घर। फिर चौथा और पाचवा मित्र। जो मिले साथ हुए। चल पड़ते। उदयपुर शहर के सन्निकट दधतलाई पहुँचते। फिर आगे बढ़ते खाराओदी सीतामाता शिशारमा महादेव अम्बामाता महाकाल और घेटव घौराहा पार कर घर आते। शहर की आधी परिक्रमा हो जाती। ऐसे कार्यक्रम जब तब बन जाते। कभी नाश्ता भी साथ लेते। इसका उपयोग किसी रमणीक स्थान पर करते। लौट आते।

इस प्रकार उदयपुर मडल के आसपास के दर्शनीय स्थल हम बारी-बारी से नापने लगे। यह क्रम शुरूआती वर्षों में खूब चला। परन्तु इस अनौपचारिक समूह में घुसपैठ होने लगी। यह घुसपैठ औपचारिक समूहों की ओर से थी।

निवृत्तों का निवृत्तों से जुड़ाव

सेवा-निवृत्ति के बाद कई सगठनों ने मुझे सदस्यता के लिए आमंत्रित किया। ये शैक्षिक सारथाए थी। इन्ग्रे से कुछेक मुझे पसंद थीं। मैं उनका सदस्य बन गया। ये अपने-अपने उद्देश्यों के लिए काम कर रही थी। मैं भी उनको सहयोग करने लगा। उनकी दिशा में चलने लगा। यह काम आसान था। वैसे ही जैसे किसी बनी-बनाई सड़क पर चलना आसान होता है। या यो करे कि किसी चलती गाडी में बैठने पर यात्रा आसान होती है। परन्तु नया सगठन खड़ा करना कठिन काम है। उसमें भी निवृत्तों का निवृत्तों से जुड़ाव चुनौती भरा काम। उनको निश्चित उद्देश्यों पर चलाना असमय जैसा काम। लोगों को जुड़े रखना जीवट का काम। उनको गतिशील बनाये रखना बडी सूझबूझ का काम। सगठन को कायम रख लेना चमत्कारिक काम है।

मित्रों के आग्रह से मैं ऐसी भूलभुलैया में फँस गया। सेवा निवृत्त अधिकारी एक सगठन में गठित हो यह बात करीब डेढ़ वर्ष से चल रही थी। तब से जब मैं सेवानिवृत्त हुआ। स्थानीय मित्रों में यह बात चलती। जब मैं बाहर जाता जब भी यह बात चलती। स्थानीय मित्रों के सकल्प को देखकर एक बैठक बुलाने का विचार बना। सहज सुलभ मित्र आमंत्रित किये गये। बैठक हुई। भावी सगठन पर विस्तार से चर्चा हुई। यह एक अनौपचारिक बैठक थी। खुल कर विचार व्यक्त किये गये। कहा गया कि पहले तो किसी न किसी बहाने से सरकार मिला देती थी। अब तो मिलना दूभर हो गया। शहर में तो आपस में मिल सकते हैं। पर बाहर वालों से मिलने को तरसते हैं। कोई माध्यम चाहिए। जब हम ऐसा सोचते हैं तो शहर वाले भी ऐसा सोचते होंगे। सगठन बनाओ। जिला स्तर के से काम नहीं चलने वाला। राज्यस्तरीय होना चाहिए। किसी ने कहा - यह कुभ पुष्कर में होना चाहिए। तीर्थ करेगे। सत्सग करेगे। हसी मजाक करेगे। पुरानी बातें याद करेगे। वर्तमान को आनंदमय बनाने का रास्ता खाजेगे। भविष्य की कोई अच्छी बुनियाद रखेगे। सभी ने विचार को सराहा। सक्रिय भागीदारी का वचन दिया। इस आधार पर एक तदर्थसमिति का गठन किया गया। सम्मेलन की तिथिया भी तय कर ली गई। अजमेर शहर के एक उत्साही सेवानिवृत्त उपनिदेशक को - प्रथम पुष्कर सम्मेलन का सयोजक बनाया गया। उनको अधिकत किया गया कि वे सम्मेलन के लिए आमंत्रण भेजे। सभी आवश्यक व्यवस्थाए भी करे। काम चल पडा।

श्री जुबला नागरी भण्डार

निवृत्तों के सुनिश्चित लेकड़ाएँ 1. 2. 3. 4.

स्ते शान्त मोक्ष श्री

सम्मेलन का आधार पत्र बनाना मेरे जिम्मे आया। स्थानीय साथियों से चर्चा की। कुछ साहित्य इकठ्ठा किया। पढा। कुछ विचार सूचीबद्ध किये। उन पर बातचीत की गई। कदम-कदम पर सावधानी बरतनी थी। यो तो मैंने राज्य शिक्षा सरथान मे काम किया जा। सेवारत पाठयक्रमो के आधार-पत्र बनाये थे। विभिन्न विषयो के शिक्षक विभिन्न स्तरों के शिक्षक विभिन्न प्रकार के अधिकारी विभिन्न स्तरों के अधिकारी-वहा आमनित होते। सेवारत पाठयक्रमो मे भाग लेते। मुझे ऐसे पाठयक्रमो के निदेशन के भी अवसर मिले थे। वह अनुभव मेरे पास था। पर वह मात्र सेवारत व्यक्तियों से सम्बन्धित था। सेवारत व्यक्ति से सम्बन्धित था। सेवारत व्यक्ति हुकुम से आते। ड्यूटी पर आते। कुछ नया जानने की भावना से आते। कुछ नियमित कार्यभार से सहित मिलने के विचार से आते। कुछ पूर्वाग्रहों से ग्रसित आते। कुछ ऐसे पाठयक्रमो को सरकारी चोचला मान कर चल आते। परन्तु सब यह मान कर आते कि सारा भार सरकार उठायेगी। उनको वृत्ति नी प्राप्त होगी। परन्तु जो कार्यक्रम मैं रच रहा था - वह अलग तरह का था। उसके लिय यात्रा ठहराय वापसी सारा भार खुद को उठाना था। वह भी तब जब उनकी वृत्ति बन्द हो चुकी थी। सब लोग निर्वृत्ति थे। ऐसी यात्राओं के वे अभ्यासी नहीं थे। प्रश्न था-क्या लोग आयेगे ? फिर भी सोचा गया कि तय किया है तो करना चाहिए। एक नया अनुभव होगा।

अब तो सम्मेलन का आधार-पत्र बनना ही था। लिखना शुरु किया। प्रथम सम्मेलन का आयोजन था। इसमें कई बातों को शामिल करना था। प्रस्तावों की शुरुआत उस पत्र की विषय वस्तु से की गई जो पहले भेजा गया था। उसके बाद कतिपय पक्षों के छुआ गया। इनके द्वारा सगठन की आवश्यकता प्रतिपादित की गई। याद दिलाया गया कि सेवानिवृत्ति पर अधिकारी अपने घर चला जाता है। चार-पाच साल तक वह अपने लोगों को याद रहता है। फिर लोग उसको भूलने लगते हैं। क्रमश वह भुला दिया जाता है। अकेला पड जाता है। अकेलेपन मे आदमी बूढा होने लगता है। बूढा कौन होता है ? जवान कौन रहता है ?

प्रश्न का उत्तर है - सेवानिवृत्ति जीवन की सक्रियता मे विराम ला देती है। विराम का अर्थ है - जडता निष्क्रियता। निष्क्रियता मे किसी भी वस्तु पर जग चढता है। जग वस्तु को भगार बनाती है। जो भगार बन गया। वही बूढा है।

दूसरे का उत्तर है - जीवन की सक्रियता मे आनेवाले विराम को रोकना। सक्रियता को बनाये रखना। सक्रियता का विकास करना। सक्रियता के द्वारा चेतन बना रहना। जीवन्त बना रहना। जीवन्त व्यक्ति ही जवान होता है।

हमारा दुर्भाग्य रहा है। हमने अपने वैयक्तिक जीवन को जीवन्त बनाये रखने का जिम्मा भी सरकार का माता। हमारे सामाजिक सम्मान की धात्री भी हमने सरकार को माता। सरकार या नियोजक के कारण ही हम उपयोगी थे समाज हितकारी थे। इसका अर्थ यह निकला कि हम अपने आप अकेले कुछ नहीं थे। यह सश्लेषण भ्रान्तिपूर्ण है। सचाई कुछ और है।

सचाई यह है। आप योग्य थे। इसी कारण नौकरी मिली। नौकरी ने आपका अनुभव बढ़ाया। काम को सीखने के अवसर मिले। कुछ नया दिखाने के लिए सरकार ने यात्राएँ कराईं। आपकी कार्य कुशलता बढ़ाई गई। अभिनव प्रशिक्षणों में भेजा गया। आपकी काबलियत और बढ़ी आपको ऊँचे-ऊँचे पद दिये गये। सरकार या नियोजक ने आप पर कितना निवेश किया इसका कभी आकलन कीजिये। आपको लगेगा कि आप बहुत मूल्यवान् हैं। इतना मूल्यवान् बनाकर आपको सेवानिवृत्त किया गया है। अतः आप अब भी उपयोगी हैं। अपने लिए घर के लिए। समाज के लिए। शिक्षा के लिए सबको आपका लाभ मिले। आप शारीरिक दृष्टि से सतुलित हो। यह सबकुछ अकेले हो सकना कठिन है। इसलिए एक सगठन की आवश्यकता है। जिससे बीते जीवन की तुलना में आपका भावी जीवन व्यापक रूप से हितकारी सिद्ध हो।

इसी भावना से सम्मेलन के उद्देश्य तय किये गये। तीन दिन का दैनिक कार्यक्रम बनाया गया। कार्यक्रम के विशेष पक्षों के लिए विशेषज्ञों को चर्चा भाषण और मार्ग दर्शन के लिए आमंत्रित किया गया। योजनानुसार सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन की कार्यसूची में पाच पक्षों को स्थान दिया गया। वे थे—सेवानिवृत्ति जीवन की उपयोगिता समसामयिक शिक्षा के मुख्य आयाम जीवन में आध्यात्म का महत्त्व सहभागियों के आपसी अनुभवों का आदान-प्रदान और अनुरजनात्मक कार्यक्रम।

इस सम्मेलन में तीन दिन तक विभिन्न सत्रों के अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि के रूप में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के तत्कालीन अध्यक्ष एवं दो पूर्व अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। वे सभी पधारें। उन्होंने सगठन का सम्मानित सदस्य होना स्वीकारा। सम्मेलन का गौरव बढ़ा। कार्यवाही का स्तर समुन्नत हुआ। अपेक्षित फलित गहन हुए। व्यापक बने। मूल्यवान् और दूरगामी बनाने में मदद मिली।

सम्मेलन में कई काम हुए। कई निर्णय लिये गये। सगठन का नामकरण हुआ। शिक्षा सेवा निवृत्त अधिकारी सघ - राजस्थान नाम रखा गया। विधान स्वीकारा गया। सस्था को रजिस्टर कराना तय किया। कार्यकारिणी चुनी गई। सारे राज्य में प्रसार निश्चित हुआ। जिले-जिले में शाखाएँ खोलने का निर्णय लिया गया। राज्य स्तर पर दो साल में एक बार सम्मेलन की बात तय हुई।

धमका। चुपके से कक्षा में आया। आखिरी कतार में बैठ गया। निरीक्षक को जो उसे देखना था। निरीक्षक ने कक्षा से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न का उत्तर किसी से न बना। घसीटा बार-बार हाथ ऊँचा करे। अंत में उसका भी नम्बर आया। घसीटा ने सही उत्तर दिया। उसने कक्षा की लाज बचाई। उच्चरुखल कुशाग्र बुद्धि होते हैं। यह बात वे कहानी से प्रमाणित करते। ऐसी ही अनेक कहानियाँ वे सुनाते। हसी ठटठा म माहिर। सेवा निवृत्तों में इस स्तर के जिन्दादिल वे मात्र एक थे। ऐसे अध्यक्ष की कार्यकारिणी के सदस्य भी किसी से किसी कदर कम नहीं। एक-एक का अपना-अपना करीना। हर एक अपने-अपने फन में माहिर।

इस सम्मेलन में कई कार्यक्रमों के आयोजनों की सभावनाएँ जागृत कीं। जिनके केन्द्रीय बिन्दु तीन थे -- शैक्षिक आध्यात्मिक और अनुरजनात्मक। इसके अतिरिक्त राजस्थान पेशनर समाज द्वारा राज्य सरकार और वेतन आयोग को प्रेषित भागों का समर्थन किया गया। यह तो हुई औपचारिक कार्यवाही की बात। साथ ही तीन दिनों का अनौपचारिक सामूहिक जीवन अपने आप में अनमोल था। इसने प्रसन्नता और आनन्द का संचार किया। वर्षों के बाद मिले थे। ऐसा मिलन जिसमें सभी ने एक दूसरे को ठहाके लगाकर अभिवादन किया। चौबीसों घंटे साथ रहना। पुष्कर ताल पर सबका सामूहिक स्नान। देवदर्शन को साथ-साथ जाना। जलपान-गृहों पर नारता करना। प्रीतिभोजों के नमूनों का भोजन सबेर-शाम लगातार तीन दिन तक। वर्षों से न सुने हुए चुटुकला और आख्यायिकाओं का श्रवण। हसी-मजाक। इस सम्मेलन के ऐसे अनुरजनात्मक पक्ष थे जिन्होंने सम्मेलन की सफलता में धार धाद लगा दिये।

सम्मेलन समाप्त हुआ। सहभागी सक्रियता के द्वारा जीवन्त बने रहने के कर्तव्यबोध के साथ विदा हुए। मेरा कार्यालय अब शिक्षा सेवा निवृत्त अधिकारी सघ राजस्थान का कार्यालय भी बन गया। मैं महामंत्री चुना गया था।

श्री जुबली नागरों भण्डार

पुस्तकालय एवं वाचनालय

स्टेशन रोड, बीकानेर

तीन दिवसीय आवासा - बागड सरस्कत कालेज मे। सरस्कत कालेज एक ऐतिहासिक स्थल बना। सरस्कत भारत की पुरानी भाषा। राहभागी शिक्षा विभाग के पुराने अधिकारी। मणि-काचन सहयोग। एक और बडी बात। सेवा निवृत्त पढने नही जाता। क्यों जावे ? पर यहा असभव सभव बना। नय सेवानिवृत्तो ने अपने अग्रज सेवानिवृत्तो से 'सेवानिवृत्ति समझी। सदुपयोग का मार्ग जाना। सुखी बनने का अहसास जगाया। आगे पढाई चालू रखने का रास्ता खोला।

एक बडी बात और हुई। विछडे साथी सगठन-सूत्र मे बधे। अपना नेता चुना। ऐसा नेता जो ऐसा का होना चाहिए। आयु मे सबसे ज्यादा लम्बा कद बलिष्ठ देह फुर्ती से भरपूर। किसी पहलवान से कम नही। उनकी पोशाक सफेद पेट और शर्ट थी। फुरसत मे वे सफेद कुर्ता और पायजामा पहिनते। उन्नत नासिका प्रणस्त ललाट नेत्रो से तेज बरसता था। उनकी दन्तपक्ति शुभ्र मुक्तापक्ति के समान चमकती थी। हमारे सबके बाल शुरु-शुरु मे काले फिर खिचडी और बाद मे चादी के समान सफेद होते हैं। परन्तु ये जन्म से ही बाल रहित जन्म जात महर्षि थे। मस्तक और मुखमडल अनवरत चमचमाता रहता। उनके गौरवर्ण को श्रेष्ठ स्वास्थ्य ने गुलाबी बनाया हुआ था। इसका राज बताते हुए वे कहा करते - मुझे पहले 'हार्ट अटेक हुआ था। तब से मैं आधे गिलास पानी मे 8-10 सूखे आवले रात को गलाता हूँ। सवेरे वह पानी रेड ब्लड जैसा हो जाता है। उसको छान कर पीता हूँ। उसी का यह चमत्कार है। उनका अंग्रेजी भाषा पर अधिकार था। स्ट्रक्चरल एप्रोच के महारथी थे। कई पुस्तके लिखी थी। काफी रायल्टी प्राप्त होती थी। अपना ही एक 'पब्लिक स्कूल चलाते थे। आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न थे। उनका हसना किसी कहकहे से कम नही। बोलते तो शेरों-शायरी मे। उनकी याद से जुडे दो शेर याद आते हैं

डिनर खाते है नेता हुक्काम के साथ।

गम तो बहुत है कौम का पर आराम के साथ।।

हजारो साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है।

तब कही होता है चमन मे कोई दीदावर पैदा ।।

उनको असख्य कहानिया याद थी। हर बात का तालमेल व किसी कहानी से बिठाते। उरी से नतीजे निकालते। उनकी कहानी 'घसीटा' वे बडे लहजे से सुनाते। हम भी सुनते। बार-बार सुनते। सुनते सुनते पेट मे बल पड जाते। घरीटा एक उच्छखल विद्यार्थी। शिक्षा अधिकारी का निरीक्षण था। निरीक्षण के दिन अध्यापक ने उसको स्कूल आने से मना किया। पर ऐन वक्त पर वह आ

धमका। चुपके से कक्षा में आया। आखिरी कतार में बैठ गया। निरीक्षक को जो उसे देखना था। निरीक्षक ने कक्षा से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न का उत्तर किसी से न बना। घसीटा बार-बार हाथ ऊंचा करे। अंत में उसका भी नम्र आया। घसीटा ने सही उत्तर दिया। उसने कक्षा की लाज बचाई। उच्छ्वसल कुशाग्र बुद्धि होते हैं। यह बात वे कक्षा से प्रमाणित करते। ऐसी ही अनेक कहानियाँ वे सुनाते। हसी ठट्ठा में माहिर। सेवा निवृत्तों में इस स्तर के जिन्दादिल वे मात्र एक थे। ऐसे अध्यक्ष की कार्यकारिणी के सदस्य भी किसी से किसी कदर कम नहीं। एक-एक का अपना-अपना करीना। हर एक अपने-अपने फन में माहिर।

इस सम्मेलन ने कई कार्यक्रमों के आयोजनों की सभावनाएँ जागृत कीं। जिनके केन्द्रीय बिन्दु तीन थे - शैक्षिक आध्यात्मिक और अनुरजनात्मक। इसके अतिरिक्त राजस्थान पेशानर समाज द्वारा राज्य सरकार और वेतन आयोग को प्रेषित भागा का समर्थन किया गया। यह तो हुई औपचारिक कार्यवाही की बात। साथ ही तीन दिनों का अनौपचारिक सामूहिक जीवन अपने आप में अनमोल था। इसने प्रसन्नता और आनंद का संचार किया। वर्षों के बाद मिले थे। ऐसा मिलन जिसमें सभी न एक दूसरे का ठहाके लगाकर अभिवादन किया। चौबीसों घंटे साथ रहा। पुष्कर ताल पर सबका सामूहिक स्नान। देवदर्शन को साथ-साथ जाना। जलपान-गृहों पर नाश्ता करना। प्रीतिभोजों के नमूनों का भोजन सवेर-शाम लगातार तीन दिन तक। वर्षों से न सुने हुए चुटुकलों और आख्यायिकाओं का श्रवण। हसी-मजाक। इस सम्मेलन के ऐसे अनुरजनात्मक पक्ष थे जिन्होंने सम्मेलन की सफलता में चार चाद लगा दिये।

सम्मेलन समाप्त हुआ। सहभागी सक्रियता के द्वारा जीवन्त बने रहने के कर्तव्यबाध के साथ विदा हुए। मेरा कार्यालय अब शिक्षा सेवा निवृत्त अधिकारी सघ राजस्थान का कार्यालय भी बन गया। मैं महामंत्री चुना गया था।

श्री जुबली नागरी भण्डार

पुस्तकालय एवं वाचनालय

स्टेशन रोड, बीकानेर

प्रवृत्ति भी निवृत्ति भी

सम्मेलन को साथियो ने खूब सराहा। एक नई शक्ति का संचार हुआ। उदयपुर के साथी वहा सबसे ज्यादा थे। यापसी यात्रा साथ-साथ हुई। घर लौटने पर भी वही की बातें होती। जब तब होती रहती। चातमीत को एक नया आयाम मिला। भावी कार्यक्रम सोचा जा चुका था। फिर भी कई प्रश्न थे। उनका समाधान करना था। हम मिन-जुल कर करते थे। मेरा कार्यालय वैसे ही काफी व्यस्त। पुस्तको और फाइलो से भरपूर। रख रखाव की क्रमबद्ध व्यवस्था। जब चाहे वांछित पत्र या साहित्य का मिलन। ग हाथ वा खेल।

ऐसे में मेरे यहा एक नया काम शुरू हो गया। निवृत्तो का निवृत्तो से जुड़ाव का काम। कई नये काम और भी जुड़े। सम्मेलन के रेकार्ड का रखरखाव। सम्मेलन का प्रतिवेदन तैयार करना। पत्र व्यवहार करना। आवक-जायक रजिस्टर रखना। वित्त सग्रह करना। आय-व्यय का ब्यौरा रखना। कार्यकारिणी की बैठके बुलाना। उपसमितियो की बैठको की व्यवस्था करना। बैठको की सूचना निर्धारित अवधि के अनुसार प्रसारित करना। आवश्यकतानुसार अल्पकालिक सूचना पर भी बैठके बुलाना। ऐसी बैठको के पूर्व व्यक्तियो से सम्पर्क करना। सदस्यो की सुविधा की जानकारी रखना। सघ के उद्देश्यो के अनुसार कारगर कार्ययोजना की तैयारी। ऐसी तैयारी में सदस्यो के विचारो को आमत्रित करना। सदस्यो के विचारो को क्रमबद्ध करके आलेख तैयार करना। ऐसी व्यावहारिक कार्ययोजना से सदस्यो का अवगत करना। जिला स्तर पर प्रभावशाली व्यक्तियो को खोजना। उनके सयोजक मनोनीत करना। इकाई गठित करने हेतु प्रेरित करना। उनसे सदस्यता अभियान चलवाना। सदस्यो-को-आश्वस्त-करने हेतु साहित्य भेजना। कार्ययोजना उपलब्ध करानी। सगठन के रजिस्ट्रेशनके कौयवाही आरम्भ करना। दो वष के बाद सम्मेलन बुलाना।

यह एक बड़ा काम था। एक आदमी के बस का भी नहीं। फिर भी सगठन खड़ा करने का विचार मौलिक था। स्थानीय साथी जोश से भरपूर थे। हम लोग मिल-जुल कर काम में जुट गये। कभी-कभी एक-के-अधिक और कभी स्थानीय सभी सदस्य इकट्ठे होते। मिलते। हसी-मजाक करते। काम करते। अच्छा काम होने पर अपनी कारगुजारी को आपस में सराहते। आनंद में वृद्धि करते।

कार्य आगे बढ़ने लगा। हमने पहला काम सघ की विज्ञप्ति तैयार करने का किया। इसको अति सक्षिप्ट बनाया। इसमें सघ की स्थापना की बात लिखी। सघ के उद्देश्य अंकित किये। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के नामों को स्थान दिया। यह भी लिखा कि सैकण्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापक से ऊपर निदेशक के पद तक के राजकीय सेवानिवृत्त अधिकारी इसके सदस्य होंगे। स्वायत्तशासी और निजी संस्थाओं के समकक्ष पदों से सेवानिवृत्त अधिकारी भी इस सघ के सदस्य बन सकेंगे। निवेदन किया कि आप स्वयं सघ की सदस्यता स्वीकारें। अपने साथियों को प्रेरित करें। विज्ञप्ति को मुद्रित कराया। उदयपुर शहर में सदस्यता अभियान शुरू किया। बाहर के सदस्यों को भी ऐसा करने को निवेदन किया। मुद्रित प्रतियाँ राज्य के सभी जिलों के सयोजकों को भेजी गईं। सगठन की पहुँच सारे राजस्थान में हो गई।

हम लोग असल में एक ही काम कर रहे थे। सारे यत्न के मूल में एक ही समस्या थी। वह थी पूर्व पदस्तर का बन्धन। सेवानिवृत्त इसी बन्धन से ग्रसित थे। इसी से दूर-दूर थे। उन्हें इसी बन्धन से मुक्त कराना था। यह मुक्ति पदस्तर की विस्मृति से ही संभव थी। ऐसी विस्मृति बड़ा कठिन काम। पर मुक्ति का भी यही आधार था। तभी वे समान धरातल पर उतर सकते थे। उनकी मुक्ति इसी में संभव थी। तभी उनका समरस होना संभव था। तभी वे एक सगठन में जुड़ सकते थे। उनके वर्तमान को आनंद का आगार बनाने का यही मार्ग था।

इस पक्ष पर हम खूब बातें करते। चिंतन करते। किसी-किसी को याद करते। हम कहते — कितने प्रयत्न से ये बड़े बने थे। साहब — बने थे। कोई साहब कह कर सम्बोधित न करता तो इनकी भ्रौंहे चढ़ जाती थी। आज भी बड़ा होने का भ्रम पाल रखा है। उसी नशे में जी रहे हैं। हम कैसे आदमी हैं। इन्हे नीचे खींच रहे हैं। कोरा एक व्यक्ति बना रहे हैं। सबकी कतार में इनको रखा करने को यत्नशील हैं। हम इनके प्रति गुनाह कर रहे हैं या सेवा? ऐसी बातें कर करके हम मजा लेते। काम भी करते। हम साथियों ने भी अपना भ्रम पाल रखा था। भ्रम न हो शायद यह बात सही हो — हम एक धरातल पर हैं। तभी तो समरस होकर काम करते हैं। काम सगठन का है। सभी ने अपना मान रखा है।

हम काम करते चले गये। सम्मेलन हुए छ मास गुजर गये। कार्यकारिणी के निर्देश लेने की कई बातें इकट्ठी हो गईं। जो कुछ किया उसका ब्योरा प्रस्तुत करने की जरूरत महसूस हुई। अजमेर में एक बैठक करना तय किया। बैठक का स्थान रखा सघ के सयुक्त मंत्री का आवास। चर्चा का प्रथम मुद्दा था जिला इकाइयों का गठन। छ मास की अवधि में इस कार्य की प्रगति प्रस्तुत की गई। दस जिलों से जीवन्त सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। छ में सघ क्रियाशील हो

घुका था। शेष चार में सयोजक नियुक्त किये जा चुके थे। उनके प्रयत्नशील होने की जानकारी प्राप्य थी। शेष को भेजे गये पत्र अनुत्तरित थे। प्रगति की प्रशंसा की गई। तय रहा कि पत्र व्यवहार चलता रहे। यह सोचे हुए को जगाने का काम नहीं है। वरन् उससे भी मुश्किल काम है। विस्मृति के गर्भ से लोगों को बाहर निकालना है। जीवन्त बनाना है। सक्रिय करना है। सगठित करना है। बहुत बड़ा काम है। लगातार सम्पर्क से बनने वाला काम है। यह प्रयत्न चलता रहना चाहिए। तभी हम कुछ न कुछ कर सकेंगे।

परन्तु दूसरा मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण था। शायद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। हम लोग सदस्यता - अभियान चला रहे थे। नये व्यक्तियों को सघ के उद्देश्य बतलाते। समझाते। उनको हमारी बात गले नहीं उतरती। वे कहते - कुछ दिलाओ भी तो सही। हम कहते - आपको जीवन उपयोगी लगने लगेगा। आप शिक्षा के मामले में जागरूक होंगे। आपका आध्यात्मिक विकास होगा। आपका अनुरजन होगा। साथियों के साथ से आपकी सुरक्षा बढ़ेगी। वे कहते - कुछ अर्थ की बात भी तो करो। हम कहते - हमने इतनी बातें जो बताई हैं वे क्या अनर्थ की हैं। उत्तर मिलता - अजी! रुपय-पैसे प्राप्त हो कुछ ऐसी बात।

इस मुद्दे पर बैठक में विचार हुआ। इस पर कार्यकारिणी में दो मत थे। प्रथम मत का आधार - भारतीय सस्कृति का वानप्रस्थ जीवन। जिसमें व्यक्ति अपने अहम को घटाते-घटाने शून्य पर लाता था। फिर सन्यासी होकर निर्द्वन्द्व विचरण करता था। यह सतयुगी विचारधारा है। दूसरे मत का आधार था - सुखी जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक है। लोगों को सगठित करना है। सगठन से जुड़ने में लोगों का आर्थिक लाभ भी नजर आना चाहिए। आर्थिक लाभ की आशा-अपेक्षा दिखाना आवश्यक है। तभी लोग इससे जुड़ेंगे। सगठन की शक्ति का एक आधार उसकी सदस्य संख्या है। आर्थिक मृग-मरीचिका को इसमें स्थान देना आवश्यक था। हम लोगों ने इस पक्ष पर चिंतन शुरू किया। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संस्थाओं से राज्य और जिला स्तर तक कार्यरत संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया। इन स्वायत्तशासी संस्थाओं को प्रधानता दी गई। खासकर वे जो पारिश्रमिक एवं मानदेय देकर कार्य कराती हैं। इनके अलग-अलग कार्यक्षेत्र थे। परन्तु सर्रा एक या अधिक कार्यक्षेत्रों में कार्यरत थीं। ये क्षेत्र थे - शिक्षण प्रशिक्षण सर्वेक्षण अनुसंधान योजना-निर्माण साहित्य-सर्जन समीक्षा सस्कृति परीक्षा मूल्यांकन सदर्भ-सेवा वार्ता चर्चा साहित्य-अनुवाद निरीक्षण आदि आदि। कौन संस्था क्या काम करती है इसकी हमको जानकारी थी। परन्तु कौन किस काम का है यह जानकारी नहीं थी। व्यक्ति को संस्था से जोड़ने के लिए यह जानना जरूरी था। अतः तय किया गया कि प्रत्येक सदस्य का 'बायोडेटा' मंगाया जावे। इसका प्रारूप तैयार किया गया। इसमें विशेषज्ञता

को मुख्य रथा दिया गया। इसके अनुसार सूचना मगाई जाने का निर्णय लिया गया। सूचनाओं को सकलित किया जाये। विशेष दक्षताओं के आधार पर व्यक्तियों के अलग-अलग पेनल्स तैयार किये जाये। ऐसे पेनल्स सम्बद्ध सस्थाओं को भेजे जाये। उनमें समाविष्ट व्यक्तियों का लाभ लेने हेतु निवेदन किया जाये। ऐसी कार्यवाही सघ का केन्द्रीय कार्यालय करे। जिला स्तर कार्यालयों को भी ऐसे कदम उठाने को प्रेरित किया जाये। बैठक में निर्णित दोनों मुद्दों पर कार्य करना था। मेरे कार्यालय के कार्यों का विस्तार होता जा रहा था। हम लोगो ने मिलजुल कर काम करने की शैली विकसित की थी। इससे काम होता। काम भार नहीं लगता। काम आपसी मेल-मिलाप का एक जरिया था। जब-जब मिलते तो काम होता। काम करने का मजा आता। मनोरजन होता। सम्मेलन हुए आठ-नीं महीने हुए होंगे। हमने उदयपुर के शिक्षा-सेवा-निवृत्त-अधिकारियों का एक 'कन्वेंशन' आयोजित करना तय किया। यह उदयपुर में ही करना था। उदयपुर की साधारण सदस्य संख्या सब से ज्यादा थी। केन्द्रीय कार्यकारिणी में भी उदयपुर के सदस्य सबसे ज्यादा। 'कोरम' मेरी बैठक में ही जब तय पूरा होता रहता था। हमने स्थान दिनांक और समय तय किये। कार्यकारिणी के बाहर के सदस्यों को भी निमन्त्रण भेजे। निश्चित कार्यक्रमानुसार कन्वेंशन आयोजित किया गया।

हमें इसे रुचिपूर्ण बनाना था। कुछ पिछले सम्मेलन की झलकियाँ प्रस्तुत की। सदस्यता अभियान का जिक्र किया। सदस्यों को लाभकारी काम से जोड़ने की प्रक्रिया बताई। उनको 'वायोडेटा' भेजने का विशेष आग्रह किया। सघ क रजिस्ट्रेशन की प्रगति का ब्यौरा दिया। सघ स्थानीय इकाइयों को सक्रिय करना चाहता था। प्रथम सम्मेलन में इस दाबत दो विद्वानों ने 'पत्र-वाचन' किये थे। उनका एक सश्लिष्ट प्रारूप तैयार किया गया था। उस प्रारूप को यहाँ प्रस्तुत किया गया। सदस्यों के सुझाव प्राप्त किये गये। प्रयत्न इस कार्ययोजना को व्यापक बनाने का था। व्यावहारिक बनाने का था। इतना कि प्रत्येक स्थानीय इकाई को अपने यहाँ अपनाने की काफी प्रवृत्तियाँ उसमें मिलें। यह विचार सदस्यों ने बहुत पसंद किया।

अब परस्पर प्रशंसा एवं सम्मान अभिव्यक्ति का दौर चला। 'कन्वेंशन' सम्पन्न हुआ। इससे हम लोगो की हौसला-अफजाही हुई। काम करने को कुछ नई दिशाएँ मिलीं। एक दिशा तो यही कि सम्मेलन के बाद हर छठे मास एक विज्ञप्ति प्रसारित हो। जिससे लोगो की सुस्ती दूर होगी। उनमें हरकत पैदा होगी। दिशा निर्देश मिलेंगे। वे अच्छा काम करने को प्रेरित होंगे। अन्यथा सगठन लडखडाने लग सकता है।

हमको यह बात लग गई। हमने दूसरी विज्ञप्ति तैयार करना शुरू किया। विज्ञप्ति पाँच मुद्रित पृष्ठों की थी। उस समय इसका नाम विज्ञप्ति रखा था।

इसीलिए आज भी विज्ञप्ति कह रहा हूँ। अन्यथा यह एक अच्छा खासा 'बुलेटिन' था। इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। पर कतिपय पक्षों का जिक्र किये बिना बात अधूरी लगेगी। इसको प्रथम सम्मेलन की अनुशंसाओं पर हुई प्रगति के ब्यौरे से शुरु किया गया। फिर सघ की पजीयन सम्बन्धी कार्यवाही को अकित किया गया। इसके बाद उदयपुर-कन्वेशन का जिक्र किया गया। फिर राज्य के ग्यारह जिला में स्थायी इकाइयों के गठन पर प्रकाश डाला गया। कतिपय में समितियों के चुनाव हो चुके थे। उनके पदाधिकारियों के नाम भी अकित किये गये। सदस्यों को लाभकारी काम में लगाने के लिए तैयार हो रहे 'पेनल्स' के मुख्य विन्दु और प्रगति विवरण दिया गया। पठनीय सामग्री के रूप में दो बातें इंगित की गईं। बोर्ड जनल दिसम्बर 1980 में प्रकाशित श्री एस पी शर्मा - सयुक्त मंत्री का लेख - शिक्षा सेवा निवृत्त अब प्रवृत्त और उनकी रचना - शिक्षा में कुशिक्षा के तत्त्व विज्ञप्ति में जिला इकाइयों से अपने क्षेत्र की प्रगति का ब्योरा मागा गया था। इसके लिए एक छोटा सा प्रारूप भी उसमें शामिल किया गया। ऐसी विज्ञप्ति हर तीसरे मास प्रसारित करने की आकांक्षा भी व्यक्त की गई। विज्ञप्ति का प्रकाशन हुआ। डाक से सभी इकाइयों को रवाना कर दी गई। लगने लगा कि सगठन खडा हाने लगा है। और फिर हम लोग दूसरे राज्य स्तरीय सम्मेलन की तैयारी में लग गये।

इस बार का सम्मेलन आसान था। पिछला अनुभव हमारे पास था। आने वाला लाग जाने पहचाने थे। वे सघ के उद्देश्यों से परिचित थे। पिछले सम्मेलन का प्रतिवेदन भेजा जा चुका था। उसके पश्चात् दो विज्ञप्तियाँ प्रसारित हो चुकी थीं। उनसे उनको प्रगति की जानकारी थी। इसलिए आधार पत्र बनाने में ज्यादा सोच विचार नहीं करना पडा। कुछ नई बातों से उसको शुरु किया गया। ऐसी बातें जो हमारे काम की मौलिकता को उजागर करें। जिनसे सदस्यों में उत्साह पैदा हो। वे अधिक आशा विश्वास के साथ सम्मेलन में भाग ले सकें। इस सघ के गठन के पश्चात् सहज ही हम लोग ऐसे तथ्य इकट्ठा कर रहे थे।

आधार पत्र की भूमिका में कतिपय तथ्य अकित किये गये। भारत की सन् 1981 की जनगणना से साठ वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोग ग्यारह प्रतिशत हैं। यह संख्या लगभग 8 करोड़ है। इनके कल्याण के लिए भारत में हुआ कार्य गण्य है। महाराष्ट्र में सन् 1977 में प्रथम बार एक शुरुआत हुई। वहा के डाम्बीवाली कस्बे में 'सीनियर सिटीजन्स क्लब' का गठन हुआ। इस घटना के 3-4 वर्ष बाद दिल्ली में 'इंडिया इन्टरनेशनल सेटर' ने ऐसा ही एक कदम उठाया। इसने एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। राजस्थान में 'पेनर समाज' है। यह सभी वर्ग के रावानिवृत्तों का है। उनके आर्थिक अधिकारों के लिए सघर्षरत है। इसके सदस्यों की पृष्ठभूमियाँ अनंत आयामी हैं। उनके पदों के स्तर भी अनेक प्रकार के

है। परन्तु एक व्यवसाय के लोगो का मिलना अपने आपमे महत्वपूर्ण है। उनके कल्याण के लिए उनके ही कार्यक्षेत्रो से अवसरो को जुटाना अपने आपमे मौलिक है। इतना ही तो पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा और भी तो कई काम हैं जिनको अब तक छुआ नहीं गया है। वे इस सघ के कार्य क्षेत्र मे आते हैं। उनको हाथ मे लेना आवश्यक है। इससे अन्य सेवाओं के सेवानिवृत्ता को भी प्रेरणा मिलेगी। हम लाग कोइ अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। अत सम्मेलन मे आपकी उपस्थिति आवश्यक है। अनिवार्य है।

इसके पश्चात् सम्मेलन मे करणीय कार्यों पर प्रकाश डाला गया। सम्मेलन स्थल अवधि एव समय-सारिणी को स्थान दिया गया। निमंत्रण पत्र डाक सं रवाना कर दिया गया। सम्मेलन पुष्कर मे ही हुआ। स्थान अवश्य बदला। इस बार हायर सैकण्डरी स्कूल के 'हाल मे यह सम्पन्न हुआ। दो वर्ष पूर्व यह जून मास मे किया गया था। इस बार भी वही महीना। पहले तीसरा सप्ताह ही था इस बार दूसरा सप्ताह। जून मास मे स्कूल भवन खाली-खाली। सुनसान। सम्मेलनो के लिए सहज सुलभ। वहा क दृश्य-दर्शनस्थल सलानिया से भरपूर। सारे देश के सैलानियो की आवाजाही। युवक-युवतियो की बहुरंगी पोशाको से आकर्षक। मंदिर आश्रम व पुण्यस्थल दर्शनार्थी बुजुर्गों से खचा खच भरे हुए। अपने आप ही जहा आनंद का स्रोत बहता रहे। ऐसे अवसर पर हमारा सम्मेलन आयोजित हुआ।

यह सम्मेलन प्रथम द्वितीय और तृतीय दिवस पूर्वाह्न तक पुष्कर मे ही आयोजित हुआ। तृतीय दिवस अपराह्न सत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर मे सम्पादित हुआ। बोर्ड-अध्यक्ष ने आमंत्रित किया था।

भारत मे कोई भी चिंतन हो। उसको अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य मे देखे बिना वह अधूरा रहता है। इस अधूरेपन को भरने का प्रयास यहा भी इस सम्मेलन मे भी हुआ। इसमे मुख्य भूमिका एक वरिष्ठ सदस्य ने निमाई। उन्होने बताया कि अमरीका मे सेवानिवृत्तो का एक आन्दोलन चल रहा है। नाम है - रिकल्ड रेडिकल मूवमेट । इसका हिन्दी रूपान्तरण है 'दुर्शीदारो का मूलभूत आन्दोलन'। इसको एक महिला मारग्रेट कहू संचालित कर रही है। आयु सम्बन्धी भेदभाव के विरुद्ध यह आन्दोलन है। इसका उद्देश्य है एक नई स्थिति लाना। ऐसी स्थिति जिसमे काम कर सकने योग्य व्यक्तियो को काम पर लगाये रखना। तब तक जब तक वे काम करने योग्य हो। उन्होने रूस का उदाहरण दिया। वहा की काम देने की गारटी का जिक्र किया। उन व्यक्तियो को भी जो सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी काम करने को सक्षम हो। इसी क्रम मे जापान का जिक्र हुआ। वहा पर वृद्धो के लिए विश्वविद्यालय खोले गये। उनका उद्देश्य वृद्धो का पुनर्वासन है। इन सम्मेलन

ते वर्ष (1982) को ही विचार-समय समझा। जूझा जाय पर चर्चा-विचार था। हमारे सम्मेलन में कुछ समय पूर्व सम्मेलन में भी एक पहल की थी। रायई मारिह मंडिरल गलेज जगपुर में एक सम्मेलन किया। इसमें दूको के सारथ्य सुधार की सुविधाओं व ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों का विचार किया गया। पूरे एक सप्ताह वह कार्यक्रम चला था।

इस चर्चा के चलते 'तीवरी और वाम पर मातापीत शुरू हो गई। सवाल था - वाम के लिए तीवरी है या तीवरी के लिए वाम ? प्रथम में काम महत्वपूर्ण है। दूसरे में तीवरी महत्वपूर्ण है। कोई किसी एक तजरिये से देखता है। दूसरा कोई किसी दूसरे तजरिये से देखता है। एक वर्ग मानता है - तीकरिया बढ़ाने में हमारी सुरक्षा है। तीवरी बढ रहे हैं। वाम घट रहा है। तीकर तीवरी देने वाले का सगा बाता है। काम का सगा नहीं। आदमी से जब राजीति जुडती है तो आदमी महत्वपूर्ण बाता है। वाम से जब आदमी जुडता है तो काम महत्वपूर्ण बनता है। प्रथम विकल्प से नियोजन सबल होता है। दूसरे से राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है। वाम विचार की धिक्क पहले करता है इस पर राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है। सत्ता से बाहर रहते राष्ट्रीति और राष्ट्ररिह की बात याद रहती है। सत्ता में आते ही उही लोगो की भाषा बदलने लगती है। रथान बदलने से भाषा का बदलना रक्ता चाहिए। वाम रोवे ? वैसे रोवे ? यह तो बाद की बात है। पहले लोकशक्ति जागरण होता चाहिए। इस जागरण में शिक्षा-सेवानियुक्तों की भी भूमिका होनी चाहिए। ऐसे ही कई दिलचस्प प्रकरणों पर चर्चाए हुई। कतिपय निर्णय लिए गये। अनुशासाए की गई।

प्रसंगवश एक आयाम और भी। सहभागियों में कोई जल्दी सबेरे सध्या-पूजा करता। कोई देर रात एकांत में बैठकर उपासना करता। कोई अपने विछौने में बैठा-बैठा ही कुछ गुन-गुनाता। कोई हाथ में माला लेकर मन्त्र-जाप करता। कोई जाप करता और अपनी अंगुलियों पर ही गणना करता। कुछ ऐसे भी थे जो कुछ न करते। ये जब तब कहते - इन सतों की ज्ञान की पुटलिया खुलवानी है। प्रत्येक की पुटलियो में क्या है ? कैसे है ? कहा से लाया है ? क्या अनुभव हैं ? कहां तक पहुँचा है ? किसकी आस लगा रखी है ? क्या मिलेगा ? क्या होगा ?

ये प्रश्न चुहुलबाजी का ही अंग थे। पर थे महत्वपूर्ण। इन पर अनौपचारिक चर्चा होती। यह चर्चा गभीर रूप में ले लेती। सब मानते कि अध्यात्म की बातें बहुत होती हैं। हर कोई आध्यात्मिक है। पर है अपने-अपने तरीके से। होने दीजिये। उसे रोकता कौन है ? पर उसका कोई अर्थ तो होगा। उसकी कोई वर्णमाला तो होगी। इन प्रश्नों पर भी सम्मेलन में सारगर्भित चर्चाए होती।

सहभागियो मे एक धर्मध्यान मे ज्यादा रुचिशील थे। हम सभी उनके पीछे पड गये। हमने कहा - गुरु ! आज तो हमको भी कुछ 'ज्ञान' दीजिये। ज्ञान न सही ज्ञान का 'गुरु' ही सही। पर बताना तो पडेगा। वे बोले - यह मामला गभीर है। घुहुलबाजी का नही। जिज्ञासु की तरह बैठने को तैयार हो ? अगर हा तो मैं बताता हूँ। हम सबने कहा - हाँ जरूर।

उन्होंने बताया कि ससार मे एक परमतत्व है। उसीको 'परमात्मा' कहते हैं। यही परमात्मा जब शरीर की सीमा मे आता है तो आत्मा कहलाता है। इसी आत्मा को जब यह भ्रम पैदा होता है कि मैं शरीर हूँ तो उसे 'जीवात्मा' कहते हैं। सक्षेप मे परमतत्व का समष्टिरूप परमात्मा है। उसी का व्यष्टिरूप आत्मा है। आत्मा का जीवभाव उसको जीवात्मा बना देता है।

अध्यात्म का बार-बार जिक्र होता है। परन्तु यह है क्या ? इसका उत्तर देना आसान न हो फिर भी इसकी एक वर्णमाला ह। उसको हम आध्यात्मिक वर्णमाला कह सकते हैं। आध्यात्मिक का अर्थ है आत्मा-सम्बन्धी। जीवधारी की सक्रियता का आधार उसकी आत्मा है। आत्मा को कई जगह अन्तःकरण भी कहते हैं। अन्तःकरण ही स्मरण विकल्प निश्चय सुख-दुख का अनुभव करता है। अन्तःकरण की चार वृत्तियाँ स्वीकारी गई हैं। वे हैं - मन बुद्धि अहम् और चित्त। हमने आज तक जो कुछ देखा सुना और किया उसका लेखा मन के पास है। वह जन्मातर से साथ है। वही इच्छाओ का उद्गम स्थल है। उसी मे इच्छा की प्रतीति होती है। इसको 'सकल्प' कहते हैं। सकल्प की विरोधी या समानान्तर इच्छा की प्रतीति विकल्प कही जाती है। मन मे सकल्प-विकल्प पैदा होते रहते हैं। कोई सकल्प हो या विकल्प हो उसकी क्रियान्विति यकायक नही होती। उसकी परख 'बुद्धि' करती है। बुद्धि जन्मातर की साधना का फल है। यह स्वाध्याय-सत्सग के द्वारा शुद्ध होती है। सामान्य बुद्धि तोलती है कि सकल्प के अनुसार कार्य करने मे लाभ है या विकल्प के अनुसार। जैसा बुद्धि का स्तर वैसा उसका निर्णय। सुद्र बुद्धि लालची होती है। वह नीचे से नीचा स्तर अपना कर लाभ उठाने को ललचाती है। शुद्ध बुद्धि व्यापक लाभ की ओर प्रवृत्त करती है। बुद्धि के निर्णय की एक परख और होती है। इसमे व्यक्ति के अहम् की भूमिका मुख्य होती है। अहभाव किसी निर्णय को ऊँच-नीच की दृष्टि से देखता है। यह भी स्वार्थपरक होता है। अहम् से अर्थ है मैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की यह सबसे सशक्त वृत्ति है। 'बुद्धि के निर्णय का व्यक्ति के अहम् की दृष्टि से तालमेल आवश्यक है। अगर तालमेल है तो उस अनुरूप कार्य की शुरुआत होगी। अन्यथा विचाराधीन सकल्प विलीन हो जायेगा। सकल्प उठना उसकी परख क्रियान्विति या विलीनीकरण लगातार चलते हैं। समक्षणिकता से चलते हैं। श्रेष्ठ सकल्प शुद्ध बुद्धि और निस्पृह अहम् से सम्पादित काय श्रेयस कार्यों की परिधि मे आते

हैं। इनके अन्तर्विरोध पर स्वार्थपरता कार्य सम्पान्ति हाते हैं। ये प्रेयस् कार्यो की परिधि मे आते हैं। श्रेयस्कार कार्य यशस्तीर्ति का अर्जन करते हैं। यह सारी प्रक्रिया चित्त पर प्रतिबिम्बित होती है। चित्त को एक ऐसा दर्पण समझना चाहिए जिसमे सूर्य का प्रकाश पड रहा हो और अन्य विषयो का प्रतिबिम्ब आ रहा हो। 'चित्त' भी मूलत वासनाओ-इच्छाओ से चित्रित है। इस प्रकार चित्त से ही सब व्यवहार चलते हैं। उसीमे सब वासनाए रहती हैं। परन्तु इन सब का प्रारम्भ 'मन' से होता है। मन के लिए कहा जाता है कि वही बन्धन और मुक्ति का कारण है। तात्पर्य यह है 'मन' जीवात्मा के भीतर ब्रह्म को और बाहर इन्द्रियो के माग से देखता है। इन्द्रिया मन को अपने विषयो की ओर ले चलती हैं। मन बड़े वेग से इन्द्रियो के विषयो का जीवात्मा को बोध करता है। इससे आत्मा की वृत्ति बड़े वेग से चलती है। यही वृत्ति बन्धन का कारण है। जब मन थक जाता है तो परमात्मा के नियमानुकूल वह भीतर की ओर वाप करने लगता है। उस समय उसका इन्द्रियो से सम्बन्ध कट जाता है। इससे 'मन' का काम रुक जाता है। तब उसका ब्रह्म से सम्बन्ध होता है। इस स्थिति मे उसको आनन्द मिलता है। यह स्थिति मुक्ति का कारण है। जब मन की थकावट ब्रह्म के आनन्द से दूर हो जाती है तब मन फिर से क्रियाशील होता है। मन के साथ ही उसकी बुद्धि और अहम् क्रियाशील होते हैं। इससे वह दुःख-सुख का अनुभव करने लगता है। ऐसी अदल-बदल स्थिति का अहसास रहना। इस पर नियन्त्रण का अभ्यास साधना की शुरुआत है। 'मन' को अपनी पसन्द की सर्जनात्मक प्रवृत्ति मे लगाए रखना। इस प्रकार लगाए रखना कि दूसरा विचार न आये। यह एकाग्रता है। सत कबीर रैदास नामदेव सजना कराई और पीपाजी ऐसी ही सर्जनात्मक प्रवृत्ति मे लगे रहते थे। इससे उनके मन की एकाग्रता बनी रहती थी। यह ब्राह्म विषय पर केन्द्रित एकाग्रता है। इसका लगातार अभ्यास वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ने मे सहायक होता है। इस एकाग्रता को भी समेट लेना वृत्ति-निरोध है। इस स्थिति के आने पर 'मन' के जड तत्त्व से सयोग का नाश हो जाता है। उसका सयोग आंतरिक चेतन तत्त्व से होता है।

दुःख-सुख के अनुभव से मुक्ति करके ब्रह्म की शरण मे ले जाना। वह जाता है। मात्र ब्रह्म ही बच रहता है अनुभव होने लगता है। इस अनुभव का है। परन्तु 'मन' समाप्त जिससे उसकी की शरण मे सिद्धि है।

मार्ग है
का

अपने स्वयं के प्रयत्न के द्वारा मन को शांत बुद्धि को शुद्ध अहम् को निस्पृह और चित्त को वासना रहित बना कर की गई अन्तर्यात्रा ब्रह्मानन्द की प्राप्ति का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने का अम्यास जीवात्मा की वह पूजा है जो शरीर को छोड़ने के पश्चात् भी साथ जाती है।

ऐसी पूजा को प्राप्त करना सेवानिवृत्त जीवन का सबसे ऊँचा उद्देश्य है। बात समाप्त हुई। सबने प्रवचन को खूब सराहा।

अब तो जब तब घर्चा होती। साधक सभागी अपने और अन्यो के अनुभव सुनते-सुनाते। कुछ ध्यान से सुनते। कोई-कोई बीच में तुक्के मारता। कोई मजाक उड़ाता।

फिर भी इस सब-कुछ ने वहाँ के वातावरण में आध्यात्मिकता की एक विशेष छाप छोड़ दी। वह भी ऐसे सम्मेलनों का एक आवश्यक अंग था।

सम्मेलन-अवधि समाप्त हुई।

इसी पृष्ठभूमि में दो वर्ष के पश्चात् हमने तीसरा सम्मेलन भी कर डाला। हर बार सहभागियों में नवीन उत्साह का संचार होता। हमें लग कुछ नये काम लेकर घर लौटते। सम्मेलन की अनुशंसाओं को सम्बन्धित स्थानों को भोजना। पत्र व्यवहार करना। अनुत्तरित पत्रों के लिए स्मरण-पत्र भेजना। जिला-इकाइयों को प्रेरणा प्रोत्साहन देना। जहाँ लोग चुप थे उनकी चुप्पी तोड़ना। उनको हरकत में लाना। जिला सगठन खड़ा करने के लिए राजी करना आदि आदि। ये सारे काम यहाँ महामंत्री-कार्यालय का था। इसको हम सब स्थानीय साथी मिलजुल कर करते। कार्य को करने का व्यवस्थित रूप में करने का कुशलता से करने का और उसकी पूर्णता का हमें लोग आनंद लेते।

सम्मेलन हर दो साल बाद होता था। विधान में प्रावधान था। चौथा सम्मेलन होना था। पिछले सम्मेलनों में मेरी नगरी से हर बार चार साथी गये थे। अजमेर नगर से 3-4 साथी पुष्कर आते। शेष राजस्थान से मात्र तीन सदस्य इकट्ठे होते। आसपास के शिक्षक-वर्ग को जुटाने पर सम्मेलन जैसा माहोल बनता था। इस उपस्थिति-संख्या ने हमको लगातार निराश किया। सम्मेलन तो हम कहते थे। सारे राजस्थान में न्योते भेजते। पर एकत्रित होते मात्र 10-12 सदस्य। इन इतने से लोगों के लिए इतनी बड़ी मशक्कत।

राज्य व्यापी कागजी सगठन तो खड़ा हो गया। आखिर छ वर्ष तक साधना की थी। पर उसमें प्राणप्रतिष्ठा का चमत्कार न हो सका। जिदादिल साथियों ने निर्जीव संस्था को ढोने से इन्कार कर दिया। और फिर बस।

जीवन्त साथी अब भी जिला-इकाइया चला रहे हैं।

वे चलेगी। चलती रहेगी।

है। इनके अन्तर्विरोध पर स्वार्थपरक कार्य सम्पादित होते हैं। ये प्रेयस् वायों की परिधि में आते हैं। श्वेतरकर कार्य यशवीर्ति का अर्जन करते हैं। यह सारी प्रक्रिया चित्त पर प्रतिबिम्बित होती है। चित्त में एव ऐसा दर्पण समझना चाहिए जिसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो और अन्य विषयों का प्रतिबिम्ब आ रहा हो। चित्त भी मूलतः वासनाओं-इच्छाओं से चित्रित है। इस प्रकार चित्त से ही सब व्यवहार चलते हैं। उसीमें सब वासनाएँ रहती हैं। परन्तु इन सब का प्रारम्भ 'मन' से होता है। मन के लिए कहा जाता है कि यहीं बन्धन और मुक्ति का कारण है। तात्पर्य यह है 'मन' जीवात्मा के भीतर ब्रह्म को और बाहर इन्द्रियों के मार्ग से देखता है। इन्द्रिया मन को अपने विषयों की ओर ले चलती हैं। मन बड़े वेग से इन्द्रियों के विषयों का जीवात्मा को बोध करता है। इससे आत्मा की वृत्ति बड़े वेग से चलती है। यही वृत्ति बन्धन का कारण है। जब मन थक जाता है तो परमात्मा के नियमानुकूल वह भीतर की ओर काम करने लगता है। उस समय उसका इन्द्रियों से सम्बन्ध बट जाता है। इससे 'मन' का काम रुक जाता है। तब उसका ब्रह्म से सम्बन्ध होता है। इस स्थिति में उसको आनन्द मिलता है। यह स्थिति मुक्ति का कारण है। जब मन की थकावट ब्रह्म के आनन्द से दूर हो जाती है तब मन फिर से क्रियाशील होता है। मन के साथ ही उसकी बुद्धि और अहम् क्रियाशील होते हैं। इससे वह दुःख-सुख का अनुभव करने लगता है। ऐसी अदल-बदल स्थिति का अहसास रहना। इस पर नियन्त्रण का अभ्यास साधना की शुरुआत है। 'मन' को अपनी पसंद की सर्जनात्मक प्रवृत्ति में लगाए रखना। इस प्रकार लग रखना कि दूसरा विचार न आये। यह एकाग्रता है। सत कवीर रैदास नाम सजना कसाई और पीपाजी ऐसी ही सर्जनात्मक प्रवृत्ति में लगे रहते थे। उनके मन की एकाग्रता बनी रहती थी। यह बाह्य विषय पर केन्द्रित एकाग्रता इसका लगातार अभ्यास वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ने में सहायक हो इस एकाग्रता को भी समेट लेना वृत्ति-निरोध है। इस स्थिति के आने के जड़ तत्त्व से सयोग का नाश हो जाता है। उसका सयोग आंतरिक से होता है।

दुःख-सुख के अनुभव से मुक्ति का एक ही मार्ग है 'मन' द करके ब्रह्म की शरण में ले जाना। वहाँ पहुँचने पर मन का अस्तित्व जाता है। मात्र ब्रह्म ही बच रहता है। इस स्थिति में व्यक्ति को अनुभव होने लगता है। इस अनुभव को स्थायित्व देना ही अध्यात्म है। परन्तु 'मन' इस स्थिति को समाप्त करने को छटपटाता है। बा जिससे उसकी सत्ता कायम रहे। साधक बार-बार उसको अन्तर्मुक्त की शरण में स्थापित करने का लगातार यत्न करता है। इस यत्न में 'सिद्धि' है।

चाहिए। सरकार का दरख्कारत देना गया था। दे आया। शुल्क भी जमा करा आया। कालेज खोलने की स्वीकृति तो मिलेगी। परन्तु यह परिषद् तब हमारी क्या मदद करेगी ?

मैंने तब तपाक से उत्तर दिया था -- आपका कालेज खुलवा आयेगे। सम्मेलन समाप्त हुआ। सब विदा हुए।

बरस पर बरस बीतते गये। बाद में दो सम्मेलन भी हुए। आदिलोक का कोई प्रतिनिधि नहीं न वे न कोई और। न कालेज के प्रकरण की कोई सूचना। न कोई बात। मैं पूरी तरह भूल चुका था।

तीसरा सम्मेलन हुआ। उसके बाद प्रतिवेदन लिखा। टंकित और चक्रांकित कराया। पोस्ट करके घर आया। यह काम भी पूरा हुआ। इराकी खुशी थी। मैं सुस्ता रहा था। तभी दरवाजे की घटी बजी। मैं दरवाजे पर पहुँचा। दरवाजा खोला। सामने वही व्यक्ति। आदिलोक का प्रतिनिधि। मेरे लिए अप्रत्याशित अतिथि। मैंने कहा -- आइये। वे आये। मेरे कार्यालय में एक कुर्सी पर इत्मीतान से बैठ गये। पखा चल रहा था। बाहर से आये थे -- मैंने मटकी से गिलास भरा। सामने कर दिया। वे गटागट पी गये। मैंने पूछा और ? उन्होंने कहा -- हा ! बाहर बहुत गर्मी है। मैंने दूसरा गिलास पिलाया। उन्होंने पीकर कहा बस। अब मैंने भीतर सूचना दी चाय-नाश्ते के लिए।

- वे बोले -- आपने हमारे बीएड कालेज की विज्ञप्ति देखी। मैंने अचम्भे से पूछा -- क्या कालेज मिल गया ? मैं तो विज्ञप्ति नहीं देखी।

- मिल गया न। एक यूनिट साठ का मिला है। राजस्थान पत्रिका के बारह सितम्बर (1984) के अंक में विज्ञप्ति निकाल दी। चौबीस तक प्रवेश होगा। फिर कालेज शुरू।

- गुरुदेव ! आपको बधाई।

- कोरी बधाई नहीं। आपको चलना है।

- मैं क्यों चलू ? मैं निवृत्त हो गया सो हो गया। अब नौकरी नहीं करता।

- नौकरी का किसने कहा ? यह तो सेवा है। परिषद् की सहिता मेरे पास भी है। आपने भी कबूला है कि किसी सदस्य के द्वारा अपने हाथ में ली गई योजना में अन्य सदस्य अपनी विशेष योग्यता का लाभ पहुँचायेगे। आपने प्रथम सम्मेलन में वादा किया था।

- किस अवसर पर क्या वादा ?

आदिलोक में

पुष्कर में हम लोग प्रथम बार मिले थे। प्रथम सम्मेलन का अवसर था। सम्मेलन की पूर्व संध्या हम सरस्वती कालेज पहुँच। सम्मेलन वही होना था। बहुत बड़ा भवन था। नया-नया बना था। दूसरी मजिल हमें मिली। यहाँ चारों ओर बरामदे थे। पीछे कमरे। कमरों के दरवाजे बरामदे में खुलते थे। भवन के पिछले भाग में एक बड़ा कमरा। इसका हमने अपना आवास बनाया। बाहर बरामदा। बरामदे के एक ओर प्रवेश द्वार था। इसको भीतर से बन्द करने पर अपना एक सप्ताह बन गया। सेवानिवृत्तों का सप्ताह अमृतपूर्व सप्ताह। रात्रि विश्राम के पूर्व हमने बरामदे का दरवाजा भीतर से बन्द कर दिया। फिर देर रात तक चुहुलबाजी करते रहे। हँसते-हँसते आतों में बल पड़ गये। सो गये।

दूसरे दिन सवेरे साथी देपुरा ने बरामदे का दरवाजा खोला। खोलते ही उन्होंने कुछ देखा। वह वापस कमरे में आये। बोले - कोई बेचारा देर रात आया होगा। कहीं जगह नहीं मिली दिखती है। दरवाजे के बाहर सोया खराटे ले रहा है। बिछौना नजर नहीं आता। सिर तक धोती ओढ़ रखी है। हम में से एक-एक दो-दो जाते देखते भीतर आ जाते। किसी ने कहा - सोने दो यार। बेचारा जगगा चला जायेगा।

परन्तु हुआ उल्टा। वह आदमी भीतर आया। हमने उसको पहचाना। मैंने पूछा - आप बाहर सो रहे थे। उत्तर मिला - हाँ। जयपुर साइड से आया हूँ। बहुत देर से पहुँचा था। कुन्दी भीतर से बन्द थी। मैंने सोचा - क्यों सताऊँ। गर्मी का मौसम है। बाहर ही सो जाऊँ। सो गया। बड़ी बढिया नीद आई। अमी-अमी जगा। भीतर चला आया।

घाह गुरु। खूब आये। देखो भाई ये आदिलोक से आय हैं। तीन वेद के ज्ञाता हैं। शिक्षा की सबसे ऊँची उपाधि इनके पास है। आलेख तैयार करने में माहिर हैं। सबे भूमि गोपाल की रटते रटते तुम सबकी जबान घिस गई। किसी ने करके नहीं दिखाया। इन्होंने करके दिखा दिया। मान गये हमतो। आपका स्वागत - हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा।

य नव-आगतुक भी हमारे साथ हो गये। प्रथम सम्मेलन में आलेख बनाने में उनकी खास भागीदारी रही। तभी एक दिन उन्होंने कहा और पूछा भी - हमारे यहाँ एक सस्था है। उसमें बीएड कालेज खोलना है। अनापत्ति प्रमाण पत्र

चाहिए। सरकार का दरखास्त देने गया था। दे आया। शुल्क भी जमा करा आया। कालेज खोलने की स्वीकृति तो मिलेगी। परन्तु यह परिषद् तब हमारी क्या मदद करेगी ?

मैंने तब तपाक से उत्तर दिया था - आपका कालेज खुलवा आयेगे। सम्मेलन समाप्त हुआ। सब बिदा हुए।

बरस पर बरस बीतते गये। बाद में दो सम्मेलन भी हुए। आदिलाक का कोई प्रतिनिधि नहीं न वे न कोई और। न कालेज के प्रकरण की कोई सूचना। न कोई बात। मैं पूरी तरह भूल चुका था।

तीसरा सम्मेलन हुआ। उसके बाद प्रतिवेदन लिखा। टकित और चक्राकित कराया। पोस्ट करके घर आया। यह काम भी पूरा हुआ। इसकी खुशी थी। मैं सुस्ता रहा था। तभी दरवाजे की घटी बजी। मैं दरवाजे पर पहुँचा। दरवाजा खोला। सामने वही व्यक्ति। आदिलोक का प्रतिनिधि। मेरे लिए अप्रत्याशित अतिथि। मैंने कहा - आइये। वे आये। मेरे कार्यालय में एक कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गये। पखा चल रहा था। बाहर से आये थे - मैंने मटकी से गिलास भरा। सामने कर दिया। वे गटागट पी गये। मैंने पूछा और ? उन्होंने कहा - हा। बाहर बहुत गर्मी है। मैंने दूसरा गिलास पिलाया। उन्होंने पीकर कहा बस। अब मैंने भीतर सूचना दी चाय-नाश्ते के लिए।

- वे बोले - आपने हमारे वीएड कालेज की विज्ञप्ति देखी। मैंने अचम्भे से पूछा - क्या कालेज मिल गया ? मैंने तो विज्ञप्ति नहीं देखी।

- मिल गया न। एक यूनिट साठ का मिला है। राजस्थान पत्रिका के बारह सितम्बर (1984) के अंक में विज्ञप्ति निकाल दी। चौबीस तक प्रवेश होगा। फिर कालेज शुरू।

- गुरुदेव ! आपको बधाई।

- कोरी बधाई नहीं। आपको चलना है।

- मैं क्यों चलूँ ? मैं निवृत्त हो गया सो हो गया। अब नौकरी नहीं करता।

- नौकरी का किसने कहा ? यह तो संवा है। परिषद् की सहिता मेरे पास भी है। आपने भी कबूला है कि किसी सदस्य के द्वारा अपने हाथ में ली गई योजना में अन्य सदस्य अपनी विशेष योग्यता का लाभ पहुँचायेंगे। आपने प्रथम सम्मेलन में वादा किया था।

- किस अवसर पर क्या वादा ?

तभी पीतल से चाय-पार्ले की ट्रे आ गई। मैंने पार्ले की प्लेट उनको आगे बढ़ा दी। हम पार्ले करते लगे। चाय की प्याली उन्होंने खुद ही पकड़ ली। चाय-पार्ले शुरू हो गया। थोड़ी देर हम घुप रहे। मैंने प्रश्न तो कर दिया था। पर मैं जान रहा था कि गलती मेरी थी। मुझे ऐसा वादा नहीं करना था। नौकरी करता तो अब तक वाफ़ी कुछ कर लेता। और कुछ गरी तो पैसा तो बचा ही लेता। पर मन स्वतन्त्र रहना तय किया। पाच-छ साल में मैंने अपना जीवन इसी तन्त्र में ढाल लिया। आज यह व्यक्ति सामने है। एक ओर बादे से मुकरने की स्थिति दूसरी ओर अपने निर्णय के छिगने की बात। मैं असमजस में पड़ गया। मैंने स्वयं से कहा - तूने जो अब तक नौकरी के न्योते नहीं माने वे तो उनके थे जिनसे तेरा वादा नहीं था। तू ना कर सकता था। परन्तु यह तो वो न्योता है जिसके लिए तू कभी का वादा कर चुका है। तू कह चुका - आपका कालेज खुलवा आयेगे। तू बच कर कहा जा सकता है ? मैं फस गया। मैंने अपने आप स पूछा - आचार सहिता तो बाद में बनी उसके पहले ही तू वादा कर चुका। आचार सहिता में विकसित 'दर्शन' यही तो है कि सेवानिवृत्त सेवानिवृत्तों की मदद करेगा। वादा मेरा आचार सहिता हमारी सबकी मेरे अतर से निर्णय हुआ - जाना तो होगा।

चाय की घुप्पी उन्होंने तोड़ी ।

- वे कहने लगे - मैं सम्मेलन में यह विश्वास लेकर आया था कि कालेज खालन में यहाँ से मदद मिलेगी। आपने वादा किया था।
- मैंने हारे हुए की तरह कहा - हाँ जी ! कहा भी था। तब मैंने सोचा था - 'कब मरेगी सासू-कब आयेगे आसू। आप तो सास के मरने की आखिरी खबर लेकर चले आये। बीच में हारी-बीमारी की खबर देते तो हमारा भी मानस बना हुआ मिलता।
- वे बोले - हमारे यहां तो चिट्ठी लिखते ही नहीं। लिखे तो कई-कई दिनों से ठिकाने पहुँचती है। कभी आप पत्र लिखना। साथ-साथ तार भी मुझे भेजना। दोनों साथ-साथ मिलेंगे। इस लिए कोई जरूरी काम हो तो मैं खुद ही चला जाता हू।
- मैंने कहा - स्वीकृति वगैरा के कागजात तो दिखाइयें ।
- वे तो गंभी हैं।
- तब फिर क्या लेकर आये ?
- यह सदेश लेकर आया हू कि प्रिंसिपल आप बनेंगे। आप पात्र हैं। आपको ऐसे कालेज का अनुभव है।

— मैंने कहा — ऐसा नहीं हो सकता। रोगा धोना पुरोहित जी के घर। आप भी पात्र हैं। आपका मैनेजमेन्ट आप वहाँ के स्थाई निवासी मेरी ओर से आप प्रिंसिपल। एक शर्त के साथ कि आप जो पैसा लेंगे उससे मैं एक पैसा भी कम नहीं लूँगा। रहने की सारी व्यवस्था आपकी।

— उन्होंने उत्तर दिया — हाँ ! इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब बताइये कब चलेंगे ?

— मैंने कहा — ऐसे कैसे चले ? गुरुजी ! आजकल बी एड कालेज में क्या होता है किस स्तर का होता है कैसे होता है किन साधनों से होता है कितने नमूने के व्याख्याताओं से होता है कौसी-कौसी भौतिक सुविधाओं में होता है ये और इनके अलावा भी बहुत कुछ जाने बिना मैं कैसे आ सकता हूँ ? एक बात और। यहाँ एक सेवानिवृत्त साथी और है। पहले उनके यहाँ चले। आप उनको भी ले चलें।

— उन्होंने कहा — हाँ ! उनसे भी मिलना है। मैं तो भूल ही गया था। चलो उनसे मिलें।

हम दोनों उनके आवास पर गये। वे मिल गये। तैयार भी हो गये। बराबरी का पारिश्रमिक तय हुआ। तैयारी के साथ जाना था। जितना जानकर जाने की बात मैंने गुरुजी से कही थी उतना जानने के बाद जाने के समय का अन्दाजा लगाया। पचास देखा। चार-पाच दिन बाद एक अच्छा मुहूर्त था। सर्वार्थसिद्धि योग था उस दिन। उस दिना जाना तय रहा। गुरुजी को आग्रह करके उन मित्र न अपने यहाँ रोक लिया। वे रुक गये। उन्होंने कहा — मेरा काम हो गया। अब मैं चला जाऊँगा। मैंने सहमति दी। मैं चला आया। मैं कालेज खुलवा आने की उधेड़-बुन में लग गया।

उदयपुर में तब चार कालेज थे। एक-एक दिन एक-एक कालेज में जाता। जानकारी हासिल करता। जो मिलता इकट्ठा करता जाता। बी एड पाठ्यक्रम आशार्थियों का चयन-मानदण्ड प्रशिक्षणार्थियों के अध्ययनार्थ पुस्तकें सदर्म साहित्य पाठ-योजना-प्रारूप पाठ-परिरीक्षण-प्रारूप क्रियात्मक पाठों की मूल्यांकन-विधि सत्रीय कार्य की रूप-रखा क्रियात्मक और सैद्धान्तिक परीक्षाओं में अक विभाजन दृश्य-श्रव्य सामग्री-सूची सनीय कार्य-वैलेण्डर पाठ-योजना और 'सेशलन वर्क'—के नमूने यूनिट-प्लान्स के नमूने यहाँ तक कि एक कालेज में कुल जितने विषय की फाइले सधारित होती हैं उनकी सूची। यह भी कि खरीदने और मुद्रित कराने में कौन-कौन सी कम्पनी या दूकान से सम्पर्क करके अच्छी और सस्ती खरीद हो सकती है। एक सूची मैंने उदयपुर के उन पात्र आशार्थियों की पते सहित भी तैयार करली जो व्याख्याता के पद के लिए सहज उपलब्ध हो सकते थे।

भाग में तैयार था। मैं भी तैयार था। त्रिभुक्त तैयार हो बस से हम
 रवाना हुए। रात में 70 रात में था। गर्मी का मौसम था। हमारे मित्र आगे की सीट
 पर थे। मैं पीछे की सीट पर था। उनके पीछे बैठा था। रात में वृत्ति के छ वर्ष
 बाद यह पत्नी वामराजी माता थी। परन्तु जीवित में हम लोग रामा गये थे।
 प्रत्येक के आगे सीटी से जीवित वर रजाम रर लिया था। एक त्रिभुक्त दिनवर्ष
 का धुंधी थी। मैंने अपना दृष्टिकोण से सींग सम्बन्ध बना लिया था। इस सम्बन्ध के
 बीच में कभी रातवार हुआ करती थी। वह कभी की हट चुकी थी। आज फिर
 एक छोटी रातवार सामने थी। पिछला किन्ना कराया गडबड उजर आ रहा था।
 मैं इन विचारों में खोया जाकर कर रहा था। तभी मेरे पास बैठे एक यात्री ने मुझे
 कोहनी से सचेत करके कहा - बयो ! तबियत तो ठीक है आपकी ! मैंने कहा-
 हाँ ! बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने प्रश्नवाचक लहजे में कहा - फिर ? मैंने कहा-
 फिर क्या ! उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर उँचाई से नीचाई की ओर और
 ऊर्ध्व लोक से अधलोक की ओर जा रहा हूँ। उन्होंने मेरी बात पर गौर किये बिना
 पूछा - वहाँ का टिकिट लिया है ? मैंने उत्तर दिया - बासबाडा का।

वे कहने लगे। फरते चले गये। उन्होंने बताया कि वे वहाँ पर अधिकारी
 हैं। इंजीनियर हैं। मशीन प्रोजेक्ट में काम करते हैं। वहाँ नियुक्त होने से उस दिन
 तक के अनुभव सुनाते गये। अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए मैं कभी प्रश्न कर
 लेता। उसका वे उत्तर देते। ऐसे ही ऐसे में चार घंटे गुजर गये। मेरा नई जगह
 से ओरिएटेशन हो गया। नियत स्थान आ गया। उनकी जीप वहाँ मौजूद थी।
 उन्होंने कहा - उतरिये। उनके साथ हम दोनों भी उतरे। जीप पहले उनके
 आवास पर पहुँची। हमको चाय पिलाई गई। वे रुक गये। उसी जीप से हम
 गुरुदेव के यहाँ जा पहुँचे। यात्रा पूरी हुई। गुरुदेव ने उनके आवास के सामने एक
 मकान में हमको ठहराया। मकान सारा खाली। सब सुविधाएँ पर झाड़ू मुझे ही
 निकाशना पडता। भोजन-चाय की व्यवस्था गुरुदेव करते। पहुँच के दिन अपराह्न
 से ही हम लोग काम में लग गये।

मैंने गुरुदेव से पूछा - एक यूनिट के लिए कितने व्याख्याता यहाँ हैं।
 कितने बाहर से बुलाने पड़ेगे। उन्होंने बताया सेवानिवृत्त 3 यहाँ हैं। दो आप आ
 गये। दो युवा वर्ग के व्याख्याता और चाहिए। एक महिला यहाँ है। एक को बाहर
 से लाना होगा। गुरुदेव आगे कहने लगे - व्याख्याता पद के लिए पात्र तो आप
 और मैं दो व्यक्ति हैं। जो बाहर से लायेंगे वह पात्र लायेंगे। नौष चार एमएड
 ता नहीं हैं। पर काम में नये एमएड से कई गुना अच्छे हैं। वहाँ के सेवानिवृत्तों
 से हम परिचित थे। युवा वर्ग की एक स्थानीय व्याख्याता से गुरुदेव का पुराना
 परिचय था। उनका बुलाकर बातचीत करली गई। मेरे पास उपलब्ध नामों में से
 एक आशाश्री को उदयपुर से बुलाकर साक्षात्कार किया। उसको भी चुन लिया
 गया। हमारी सख्या सात हो गई।

व्याख्याताओं की व्यवस्था हुई। फिर भवन चाहिए — कालेज का भवन छात्रावास के लिए भवन। काम शुरू करने के लिए सरस्था के पास अपना स्कूली भवन था। छात्रावास के लिए भवन किराये लिया गया। भवन के अलावा भी बहुत—कुछ की जरूरत थी। फर्नीचर पुस्तकें पाठ—सहायक सामग्री स्टेशनरी भोजन के लिए बर्तन और क्या कुछ नहीं। सारी व्यवस्था क्रमशः होती गई। जो वहाँ होनी थी वह वहाँ हुई। जो उदयपुर से होनी थी उसका मेरा जिम्मा था। उसको मैंने बखूबी निभाया। जल्दी ही प्रवेश प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति की समय सीमा समाप्त हुई। मेरिट—सूची बनाना घालू हुआ। बिना ज्यादा इन्तजार कराये विभागीय प्रतिनिधि आये। कालेज द्वारा तैयार सूची की जाच की। प्रवेश सूची को अंतिम रूप दे गये। घयनित आशार्थियों को पत्र भेजे गये। आशार्थी आने लगे। शुल्क जमा होने लगा। क्रमशः साठ की संख्या पूरी हुई। भारी—भरकम राशि जमा हुई। अभाव से ग्रस्त संस्था समृद्धि में झूलने लगी। समृद्धि में सलाहकार बढ़ने लगते हैं। ऐसा वहाँ भी गजर आने लगा। नगर में कालेज को 'कामधेनु' के रूप में देखा जाने लगा। अभाव ग्रस्त संस्थाएँ तब भी एड कालेज इसी उद्देश्य से शुरू करने के यत्न करती थीं। इस संस्था का क्षेत्र राष्ट्रीय नीति में प्राथमिकता का क्षेत्र था। संस्था का मनोरथ प्राथमिकता से पूरा हुआ था।

बी एड कालेज के केलेण्डर का रूप एक विशेष प्रकार का होता है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होते ही एक परिचय दिवस। इसमें प्रशिक्षणार्थी और कालेज स्टाफ एक—दूसरे से परिचित होते हैं। फिर सैद्धान्तिक शिक्षण — यह अभ्यास—शिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थियों को तैयार करता है। इसके बाद प्रदर्शन—पाठ इनको देखकर प्रशिक्षार्थी पढ़ाने का आदर्श प्रदर्शन देखते हैं। फिर अभ्यास पाठ इस अवसर पर ये पाठ योजना बनाकर कक्षाओं को स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं। व्याख्याता वहाँ पहुँच कर मार्गदर्शन देते हैं। इसके बाद समालोचना पाठ। ऐसा दो विषयों के लिए दो बार होता। इकाई योजना बनाने का अभ्यास ब्लॉक प्रेक्टिस टीचिंग माइक्रो टीचिंग सेशनल वर्क टेस्ट ओपन एयर रोशन शैक्षिक—यात्रा आदि—आदि। फिर क्रियात्मक परीक्षा और उसके पश्चात् सैद्धान्तिक परीक्षाएँ। इन सभी कर्मकाण्डों में गुजरने पर एक सत्र पूरा होता। फिर धीरे प्रतीक्षित ग्रीष्मावकाश आता। हम लोग विसर्जित होते। इसी प्रक्रिया में गुजरते—गुजरते चार सत्र गुजारे। मेरे पास पहले भी तीन साल का अनमोल अनुभव था। वह था भारतीयता पर अग्रेजियत की छाया में काम करने का अनुभव। परन्तु इन चार सालों का उससे कोई मुकाबला नहीं। यह था भारतीयता पर आदिलोक की छाया में काम करने का अनुभव। दोनों की दो दिशाएँ। दो दिशाओं में भी कल्पनातीत दूरियाँ। पर जीवन में रस घोलने को पूरा सरजाम। कल्पनातीत घटनाएँ —

आया। गुरुदेव से बात हो गई। मेरा कमरा उनके आवास के बाहर बरामदे में खुलता था। जाते हुए प्रशिक्षणार्थी को मैंने रोक कर पूछा क्या बात थी ? उसने स्थिति बताई। यह भी बताया कि गुरुदेव ने कल रात आने को कहा है। वह चला गया।

मैंने गुरुदेव को भीतर से बुलाया और कहा - यह बीमार लड़की आपके कालेज की है। कोई ऐरी-गैरी नहीं। रात को ही उसको कुछ हो गया तो आपका मुह काला होगा। कहा जायेगा कि आपको सूचना दी और आप वहाँ जाकर खड़े तक नहीं हुए।

गुरुदेव ने कहा - तब क्या करूँ ?

मैंने कहा - आपको अभी वहाँ जाना चाहिए। मैं भी चलता हूँ।

हम लोग पहुँचे। देखा कि बीमार के ड्रिप चढ़ रही थी। डाक्टर से हालत के बाबत जानकारी ली। दवा का इन्तजाम किया। वहाँ उपस्थित छात्रों को निर्देश दिये। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को घर से बुलाया। उसकी वहाँ रात भर की ड्यूटी लगाई। इसमें रात के एक-दो बज गये। हम घर चले आये।

मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा चिंतन करने लगा। मेरे मन में एक प्रश्न आया - क्या गीता का स्थितप्रज्ञ इसी नमूने का इंसान होता है ? और अगर ऐसा ही हाता है तो फिर इसने इतने जजाल क्यों पाल रखे हैं ? मुझे कब नींद आई याद नहीं।

कालेज का स्टाफ रूम अब ज्ञान-चर्चा का स्थल नहीं होता। उस अवसर के सिवा जब वहाँ ऐसी ही कोई बैठक हो। हम स्टाफ रूम में बैठते खूब बातें करते। उस क्षेत्र के लोगों का मजाक उड़ाते। गुरुदेव भी सुनते। पर अनसुना कर दते। कभी थोड़ा मुस्करा दते। उस क्षेत्र के दो-तीन व्यक्तियों के प्रति उनमें अपनत्व था गहन अपनत्व। माही-बोंध की डूब में आई भूमि के मुआवजे का वे एक उदाहरण देते। एक आदिवासी को मुआवजे का करीब तीन लाख का चेक मिला। उसने कहा - मुझे तो नोट दीजिये रुपये दीजिये। चेक मेरे किस काम का ? चेक भुनवाया गया। नरुद रकम सौंपी गई। अब पहला काम उसने दूसरी शादी करने का किया। पहली पत्नी से सुन्दर पत्नी लाया। सुन्दर पत्नी का ज्यादा रुपया दिया जाता है। वह द दिया। अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया इकट्ठा किया। खाओ पीओ और नाचो गाओ के दौर शुरू हुए। ये दौर चलते रहे। तब तक जब तक कि तीन लाख की इतिश्री नहीं हो गई। इतिश्री होने पर कहा - बस अबे पधारो व्हेगियो।

गुरुदेव इस व्यक्ति को वहाँ की सस्कृति के प्रतिनिधि व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया करने थे। ये कहते - वर्तमान में जीना ही वहाँ की सस्कृति का प्रतीकात्मक व्यवहार है। इससे वहाँ के बाबत जितना कुछ समझा जा सके समझा जाना चाहिए।

चौथा सत्र भी पूरा हुआ। दो-तीन दिन के बाद घर आना था। गुरुदेव और मैं सध्या वो आँपघारिक बातें करते। आज भी कर रहे थे। मैंने गुरुदेव से कहा - अगले सत्र आपको एक काम तो करना ही है। गुरुदेव ने पूछा - क्या ? मैंने कहा - इन युवा और 'क्वालिफाइड' व्याख्याताओं को अपने ही बराबर वेतन देना शुरू करना है। गुरुदेव ने पूछा - क्यों ? मैंने कहा - इस कारण कि उनके सामने भविष्य है। गृहस्थी है। हम लोग अपनी पारी खेल चुके। पेशान मिल रही है। यहाँ पारिश्रमिक ले रहे हैं। हमें युवा वर्ग का शोषण नहीं करना चाहिए। वे यहाँ टिककर काम करे ऐसा कुछ आप कीजिये।

गुरुदेव ने कहा - आप नहीं समझते। यह सरथा चलाने का मामला है। सस्थाएँ ऐसे ही चलती हैं।

मैंने सहज भाव से कहा - हाँ। मैं शायद न समझता हूँ।

पर मैंने यह भी समझ लिया कि अब कालेज चल निकला है। मेरी यहाँ आवश्यकता नहीं है। दो-तीन दिन बाद मैं घर आ गया।

- मेरे लडके ने पूछा - आप आ गये बाबूजी।

- मैंने कहा - हाँ। और अब जाना भी नहीं है।

- मेरे लडके ने तपाक से कहा - यह सबसे अच्छी बात है।

- मैंने पूछा - कैसे कँवर साहब ?

- वह कहने लगा - मेरे 3-4 दोस्त हैं। हमने साथ-साथ 'टेकनिकल ट्रेनिंग' ली थी। एक ही आदेश से नौकरी मिली। उन दोस्तों की 'पोस्टिंग' उस क्षेत्र में हुई। वे 5-7 साल वहाँ रहे। फिर प्रयत्न करके हमारे सस्थान में स्थानान्तरण कराया। खुशी-खुशी आ गये। पर वे न तो सस्थान समय पर आते। न कक्षा पढ़ाने जाते। जाते तो पढ़ाते नहीं। न पढ़ाने के लिए छात्रों से रोजाना कोई न कोई बहाना बनाते। कक्षा को छुट्टी दे देते। खुद किसी खाली कमरे में जाकर सो जाते। प्राचार्य जी ने उन पर दबाव डाला। समय पर आना होगा। कक्षा पढ़ानी होगी। सम्बन्धित काम भी करने होंगे। तब फिर वे भाग खड़े हुए। निदेशालय जाकर अपना स्थानान्तरण वही पुराने स्थानों पर कराया। जान बची लाखों पाये। उस क्षेत्र में जो लम्बे समय रह लेता है इधर के लिए काम का नहीं रहता है। उस ओर क्रियात्मक परीक्षा लेने में और मेरे साथी कई दार जा चुके हैं। हमें स्पष्ट नजर आया है - पढ़वाने वाले की पढ़वाने में रुचि नहीं। पढ़ाने वाले की पढ़ाने में रुचि नहीं। पढ़ने वाले की पढ़ने में रुचि नहीं। फिर भी चल रहा है। इस चलन में बदलाव लाने में ही अभी वर्षों चाहिए।

- मैंने कहा - तुम ठीक कहते हो। मैं वक्त पर आ गया।

गुरुदेव ने आगे कभी मुझसे आग्रह नहीं किया।

मुझको एक बार फिर आजादी मिली। पहली सत्र जब मैं राज्य सेवा से निवृत्त हुआ था। और दूसरी बार अब।

आया। गुरुदेव से बात हो गई। मेरा कमरा उनके आवास के बाहर बरामदे में खुलता था। जाते हुए प्रशिक्षणाथी को मैंने रोक कर पूछा क्या बात थी ? उसने स्थिति बताई। यह भी बताया कि गुरुदेव ने कल सवेरे आने को कहा है। वह चला गया।

मैंने गुरुदेव को भीतर से बुलाया और कहा - वह बीमार लडकी आपके कालेज की है। कोई ऐसी-गैरी नहीं। रात को ही उसको कुछ हो गया तो आपका मुह काला होगा। कटा जायगा कि आपको सूचना दी और आप वहाँ जाकर खड़े तक नहीं हुए।

गुरुदेव ने कहा - तब क्या करूँ ?

मैंने कहा - आपको अभी वहाँ जाना चाहिए। मैं भी चलता हूँ।

हम लोग पहुँचे। देखा कि बीमार के ड्रिप चढ़ रही थी। डाक्टर से हालत के बाबत जानकारी ली। दवा का इन्तजाम किया। वहाँ उपस्थित छात्रों को निर्देश दिये। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को घर से बुलाया। उसकी वहाँ रात भर की ड्यूटी लगाई। इसमें रात के एक-दो बज गये। हम घर चल आये।

मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा चिंतन करने लगा। मेरे मन में एक प्रश्न आया - क्या गीता का स्थितप्रज्ञ इसी नमूने का इंसान होता है ? और अगर ऐसा ही होता है तो फिर इसने इतने जजाल क्यों पाल रखे हैं ? मुझे कब नींद आई याद नहीं।

कालेज का 'स्टाफ रूम अब ज्ञान-धर्मा का स्थल नहीं होता। उस अवसर के सिवा जब वहाँ ऐसी ही कोई बैठक हो। हम स्टाफ रूम में बैठते खूब बात करते। उस क्षेत्र के लोगों का मजाक उड़ाते। गुरुदेव भी सुनते। पर अनसुना कर देते। कभी थोड़ा मुस्कुरा देते। उस क्षेत्र के दो-तीन व्यक्तियों के प्रति उनमें अपनत्व था गहन अपनत्व। माही-बोध की डूब में आई भूमि के मुआवजे का चे एक उदाहरण देते। एक आदिवासी को मुआवजे का करीब तीन लाख का चेक मिला। उसने कहा - मुझ ता नाट दीजिये रुपये दीजिये। चेक मेरे किस काम का ? चेक भुनवाया गया। नकद रकम सौंपी गई। अब पहला काम उसने दूसरी शादी करने का किया। पहली पत्नी से सुन्दर पत्नी लाया। सुन्दर पत्नी का ज्यादा रुपया दिया जाता है। वह दे दिया। अपने सार रिश्तेदारों को बुलाया इकट्ठा किया। खाओ पीओ और नाचो गाओ के दौर शुरु हुए। ये दौर चलते रहे। तब तक जब तक कि तीन लाख की इतिश्री नहीं हो गई। इतिश्री होने पर कहा - बस अबे पधारो व्हेगियो।

गुरुदेव इस व्यक्ति को वहाँ की संस्कृति के प्रतिनिधि व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया करते थे। वे कहते - वर्तमान में जीना ही यहाँ की संस्कृति का प्रतीकात्मक व्यवहार है। इससे वहाँ के बाबत जितना कुछ समझा जा सके समझा जाना चाहिए।

एक आयाम यह भी

मैंने घर आकर सतोष की सास ली। खास कर इस कारण कि वापस नहीं जाना था। मैं अपने कार्यालय में स्थापित हो गया। इसमें सबसे रुचि पूर्ण एक ही स्थान था। वह था मेरा आसन। मेरे मित्र अब इसको व्यासासन कहने लगे थे। खास कर इस कारण कि इस पर बैठकर लिखी मेरी रचना 'पडाव और मजिल पुरस्कृत हो चुकी थी। राजस्थान साहित्य अकादमी ने मुझे सम्मानित किया था। इसके अलावा भी लेखन की श्रेणी में आने वाले मैंने कई काम किये। अवसर आने पर उनका जिक्र करूँगा।

हाँ। तो घर आ जाने का मुझे एक बड़ा लाभ हुआ। आदिलोक की छाया से मैं मुक्त हो गया। परन्तु जो छाया मुझ पर पड़ चुकी उसका प्रभाव साथ था। उससे मुक्ति मिलनी थी। फिर भी मैंने अपने पूर्व जीवन-क्रम की नये सिरों से शुरुआत की।

स्वास्थ्य की सभाल और साधना का क्रम तो वहाँ भी चलता था। परन्तु यहाँ का मेरा जीवन क्रम बहु-आयामी था। मैं व्यासासन पर बैठता। मौलिक रचना कार्य करता। सेवा-निवृत्त अधिकारी परिषद् के काम-काज देखता। गैरसरकारी सस्थाओं की बैठकों में भाग लेता कभी कार्यकारिणी समिति की बैठक कभी स्टाफ घयन समिति की बैठक कभी कोई और। विभिन्न समारोहों में भाग लेता। किन्ही बाहर से पधारे दिग्गज विद्वानों की वार्ताएँ सुनने जाता। अपने ज्ञान के विकास के इन स्रोतों का पूरा लाभ लेता। आमत्रण मिलने पर मैं स्वयं वार्ताएँ देने जाता। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा सौंपे गये सैकण्डरी स्कूलों के निरीक्षणों के लिए दूर-दूर की यात्राएँ करता। लोक सेवा आयोग राजस्थान के राजकीय सैकण्डरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के घयन में विशेषज्ञ की तरह भाग लेता। मेरे कुटुम्ब के बच्चों के लिए डिबेट्स लिखता। उनको बोलने का अभ्यास कराता। शहर में आयोजित योगाभ्यास-शिविरो में सहभागी बनता। शहर के आसपास के रमणीय स्थलों पर मित्रों के साथ-साथ 'पिकनिक' पर जाता। सिद्ध-सन्तों के आश्रमों पर चुनिंदा दोस्तों के साथ तीन-तीन चार-चार दिन के लिए जाता। साधना की विधि का अभ्यास करता। ऐसे सतों को अपने यहाँ आमत्रित करता। उनसे घंटों सत्साग करता। उनके द्वारा कही गई मेरी पसंद की बातों के नोट्स लेता। मित्रों से मिलने उनसे हास्य-विनोद और विचारों के आदान-प्रदान के किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देता।

ऐसे प्राकृतिक बहाव मे मेरी जीवन नैया बहती चली जा रही थी। मुझे बैठको मे भाग लेने के आमत्रण मिलते रहते थे। ऐसी बैठके समाज मे जीवत रहने का माध्यम है। मैं अधिकाशत शामिल होता। बैठक की शुरुआत के पहले और समाप्ति के बाद की अनौपचारिक बात-चीत जीवन मे आनंद घोलती है। एक बार मुझे सभागीय आयुक्त कार्यालय मे आयोजित 'चर्चा-समूह' मे भाग लेने का निमत्रण मिला। लिखा था - नीति सम्बन्धी कतिपय पहलुओ पर चर्चा की जानी है। कृपया अवश्य भाग लीजिये। मुझे अच्छा लगा। मुझे यह भी लगा कि ऐसा न्योता मिलना गौरव की बात है।

मैं 'चर्चा-समूह' की बैठक मे शामिल हुआ। वहाँ कई साथी मौजूद थे। अधिकाश सेवा निवृत्त थे। सभी शिक्षा विभाग के थे। कुछ बाहर से भी बुलाये गये थे। बैठक निर्धारित समय पर शुरु हुई। आयुक्त ने अध्यक्षता की। चर्चा का श्रीगणेश वहाँ के उपनिदेशक ने किया। कतिपय औपचारिकताएँ सम्पन्न हुईं। फिर जन-जाति शैक्षिक विकास की विभिन्न प्रवृत्तियाँ का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। एक-एक पर चर्चा हुई। किसी पर संक्षेप मे। किसी पर विस्तार से। मूल प्रश्न थे - इनको प्रमादी कैसे बनाये ? इनमे किन प्रवृत्तियो को जोडा जा सकता है ? इनके फलितो की गुणात्मकता और परिमाणात्मकता को कैसे बढ़ाया जाये ? प्रत्येक सहभागी ने चर्चा मे भाग लिया। आयुक्त ने चर्चा मे एक मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने गुणात्मकता की अनदेखी करके परिमाणात्मकता की दिशा मे जाती चर्चाओ को नियत्रित किया। बैठक सयत वातावरण मे हुई। सचालित प्रवृत्तियो के स्वरूप पर कई सुझाव आये। कई प्रवृत्तियाँ नई सुझाई गईं। कई प्रवृत्तियो की प्रशंसा की गई। बैठक करीब दो घंटे चली। फिर हम सभी विसर्जित हुए। मेरे लिए यह एक बिल्कुल नया अनुभव था। सच्चाई यह भी कि जिस आदिलोक मे मैं रह आया था उस पर ये चर्चाएँ थी। सच्चाई यह भी कि सरकार कितना कुछ कर रही है। और मैंने वहा जो देखा और अनुभव किया वह भी कितना सच है।

मेरा बहु आयामी जीवन-क्रम चल रहा था। मैं सभागीय आयुक्त के यहा आयोजित बैठक को भूल चुका था। उस बैठक का बीस-पचीस दिन हुए होंगे। तभी मेरे एक नजदीकी मित्र का टेलीफोन आया। य जयपुर से आत रहते थे। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे मिलने आना है। मैंने उत्तर दिया - जब चाहो आ जाओ। मैं यही हूँ। उन्होंने कहा - आता हूँ। वे मिलने चले आये। काफी देर तक बातचीत होती रहीं। वे भी उस दिन कमिश्नर के कार्यालय मे आयोजित चर्चा-समूह मे शामिल थे। उनके द्वारा आज भेद खोला गया कि वह चर्चा तो मात्र एक माध्यम थी। यह जानने के लिए आप लोगो मे कौन उनके काम को बखूबी कर सकता है। किसी भावी पद के लिए साक्षात्कार लेना वह भी आप

जैसो का वह सम्मानजनक नहीं था। आपको उन्होने निदेशक—प्रशिक्षण के लिए चुना है। आपके द्वारा जनजाति के आशार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने हैं। मैंने पूछा — क्या आपने उनको मेरी ओर से स्वीकृति दे दी ? उत्तर मिला — क्या करता । वैसे मैं आप उदयपुर वालो की उनस काफी तारीफ करता रहा हूँ। उसी आधार पर मुझे कहा गया — ऐसे अच्छे लोग किस काम के जो राष्ट्र के महत्वपूर्ण कार्य मे भागीदार न बने। आप राजी कीजिये उनको। अत मैं भी मजबूर हा गया। आपको यह चुनौती स्वीकारनी होगी।

मैंने कहा — आदिलोक के फदे से कुछ समय पहले ही तो छूटा हूँ। मुश्किल से एक साल हुआ होगा। फिर नया फदा।

मित्र बोले — कुछ भी कहो। जितने दिन चले चलाना । वहा का कारोबार समझ मे न आये छोड देना। वैसे ही बाहर तो जाना नहीं है। आप कल ही पहुँचिये। सभागीय आयुक्त से मिलिये। वहाँ पर शिक्षा उपनिदेशक हैं। उन्हे आप जानते हैं। वे आपकी मुलाकात करा देगे।

मैं एक बार फिर मजबूर हो गया। मैंने मित्र की बात मान ली। वे खुश हुए। वे कहने लगे — मुझे डर था। आप अनेक बार अनको के सामने कह चुके हैं पेशन के बाद नोकरी नहीं करूँगा। आजादी का अभ्यास करूँगा। अपनी मौलिकता से प्रमाणित करूँगा कि आजादी आजादी है। एक बार आप फदे मे फस चुक। दूसरी बार क्यो तैयार हाग । पर मैं आया इसलिये कि मुझे आना पडा। आपने मेरा भार हल्का कर दिया।

वे और भी कुछ कहते। पर मन उनके कथन पर विराम लगाया। मैं बोला — ऐसा तो कुछ नहीं है। परन्तु सेवा से निवृत्ति की अब असली उम्र आ चुकी है। मेरे मित्र ने कहा — एक—दो साल उसे आगे धकेलिये। मैंने उनको अनमने भाव से उत्तर दिया — यही तो मजबूरी है आपकी भी और मेरी भी।

हमारी बात—धीत पूरी हुई। मैं दूसरे दिन ठीक दस बजे सभागीय आयुक्त के कार्यालय पहुँचा। शिक्षा—उपनिदेशक से मिला। मुझे उन्होने ससम्मान एक कुर्सी पर बिठाया। मेरे काम की प्रकृति की जानकारी दी। वहाँ के सम्बन्धित व्यक्तियो से परिचय कराया। फिर आयुक्त महोदया के वैयक्तिक सहायक से सम्पर्क किया। मेरी वहाँ पहुँच की सूचना देकर मेरे लिए आयुक्त महोदया से मिलने का समय तय कराने को कहा। उत्तर मिला — निवेदन करके आपको सूचना देता हूँ।

इस बीच मुझे कुछ समय मिला। मैंने आयुक्त महोदया की प्रकृति कार्यशैली और वहाँ की विशिष्ट औपचारिकताओ के बाबत जानकारी हासिल की। मेरी कार्यशैली के अनुसार मैंने वही से एक नया स्लिप पेड प्राप्त कर लिया। मेरा

अपना पेन मेरे पास था। बुलावा आते ही हम दोनों आयुक्त महादेया के चेम्बर में पहुँचे। यह चेम्बर इस पद के अनुरूप था — बहुत बड़ा। मैं अब तक किसी अधिकारी का इतना बड़ा चेम्बर नहीं देखा था। समय—समय पर आने वाले उच्च पदधारक अधिकारियों और उनकी समाहित संख्या की दृष्टि से वहाँ यथेष्ट व्यवस्था थी। हमने आयुक्त महादेया को अभिवादन किया। सकेत मिलने पर हम सामन कुर्सी पर बैठ गये।

उन्होंने मेरी ओर सम्बोधन करके कहा — आज आपने 'कोर्स ड्राईरेक्टर का चार्ज ले लिया ?

मैंने उत्तर दिया — जी मैडम ! पहले आपके सामने उपस्थित होकर मार्गदर्शन लेना जरूरी समझा। ज्वार्डनिंग रिपोर्ट मैं आज ही प्रस्तुत कर दूँगा।

उन्होंने उपनिदेशक की ओर सम्बोधन करके कहा — आज ही ज्वार्डनिंग रिपोर्ट लीजिये। फिर उन्होंने भावी प्रतियोगिता — परीक्षाओं का जिक्र किया। एक शुरुआती 'कोचिंग कोर्स' की बात कही। उसकी प्रवेश विज्ञप्ति उसी दिन तैयार करने का आदेश दिया। इस कोर्स से सम्बन्धित कार्यों का केलेडर बनाने का कहा। यह भी चाहा कि इसकी एक समग्र योजना तैयार करूँ। मुझे को यह भी कहा कि इस कोर्स के लिए जरूरी व्याख्याताओं की तलाशी शुरू कर दूँ — आदि आदि।

मैं उनके द्वारा कही बातें लिखता जाता। किसी बात पर अधिक जानकारी लेता। किसी पक्ष पर स्वयं भी प्रश्न करता। यह भेट करीब आधा घटा चली। काफी—कुछ स्पष्ट हो गया था। उनकी तरफ से ज्योही विराम आया मैंने उनसे इजाजत मागी यह कहते हुए कि मुझे तो आपसे काफी मार्गदर्शन लेना होगा। इस कथन में गंभीर वातावरण को कुछ हल्का बना दिया। हमने झुक कर वहाँ से बिदाई ली। हम चेम्बर से बाहर हो गये। मुझे लगा कि मैं जिम्मेदारियों के शिकजे में फस गया हूँ। परन्तु बचने का कोई रास्ता भी नहीं था।

उपनिदेशक के कार्यालय में बैठकर मैं काम पर जुट गया। मेरा प्रथम काम था प्रवेश विज्ञप्ति तैयार करना। एक विज्ञप्ति तैयार करना मेरे लिए काफी था। इसको तैयार करने में मुझे वहाँ की काफी जानकारी मिल गई। उदाहरणतः किस दिन विज्ञप्ति प्रकाशित होगी। प्रार्थना पत्र किस दिनांक तक प्राप्त होगा। किस दिनांक को चयनित आशार्थियों की सूची प्रकाशित कर दी जायेगी। सूचना के प्रकाशन के पश्चात् 'कोचिंग' सेटर पर पहुँचने को कितने दिन दिये जायेंगे। किस दिनांक से आर ए एस जनजाति आशार्थियों के 'कोचिंग' की शुरुआत होगी। यह कितने सप्ताह का होगा। किस स्थान पर यह संचालित होगा आदि आदि।

उपनिदेशक और मैं हम दोनों आयुक्त से मिलने गये। विज्ञप्ति के प्रारूप पर उनका अनुमोदन प्राप्त किया। उसी के साथ-साथ कोचिंग के प्रारंभ होने तक के केलेण्डर पर भी बातचीत हो गई। उन्होंने केलेण्डर पर भी अपनी सहमति व्यक्त की। कई वर्षों के पश्चात् इतना व्यस्त दिन आज का था। कार्यालय समय पूरा हुआ। मैं घर आया।

अब निश्चित समय पर तैयार होता। कार्यालय पहुँचता। दिन भर व्यस्त रहता। थक कर घर आता। यह सिलसिला शुरू हो गया। कोचिंग सेटर की कल्पना आयुक्त की थी। उसको साकार मुझे करनी थी। जरूरी था कि मैं एक आलेख तैयार करूँ उस 'कार्य-योजना' का जो मैंने उनसे समझी थी। मैं 'कार्य-योजना' का आलेख तैयार करने में जुट गया।

योजनाएँ मैंने खूब बनाई हैं। इनका मुझको अभ्यास है। जो योजना मैं बना रहा था उसके सारे तथ्य मेरे पास थे। सिवा एक तथ्य के कि यह 'कोचिंग केंसे' होता है। यह 'शिक्षण' से भिन्न है। यह 'प्रशिक्षण' भी नहीं है। यह 'अनुशिक्षण' (ट्यूशन) भी नहीं है। यह इतना-कुछ नहीं है इसीलिए शायद 'कोचिंग' है। इस पक्ष पर मैं लगातार चिंतन करता। परन्तु 'कार्य-योजना' के अन्य पक्षों को लिखता भी जाता। सोचा था - शहर में कई 'कोचिंग सेटर' चलते हैं। एक-दो सेटर्स पर जाऊँगा। कोचिंग तकनीक का अवलोकन करूँगा। कतिपय 'कोचेज' से मिलूँगा। उनसे 'कार्य' करने के गुर जानने की कोशिश करूँगा। वे बता सकें न बता सकें मैं सार निकाल लूँगा। मैं 'सेटर्स' के संचालकों से मिलूँगा। व्यवस्थात्मक पक्षों पर जानकारी लूँगा। इस प्रकार मैं अपने-आपको 'कोचिंग सेटर' का कुशल निदेशक बना लूँगा। वैसे मैं जमाने की रविश को पहचानता हूँ। कोई इन तीनों कामों में से एक भी न करे। सिर्फ लफाजी करदे - मेने यह सब-कुछ किया है। तब भी सामान्य व्यक्ति उसे विशेषज्ञ मानने लगता है।

मैं समय निकाल कर कोचिंग सेटर्स पर जाता। उनको अच्छी तरह देखता। संचालक से और कोचेज से मिलता। अपने नोट्स लेता। यह प्रक्रिया चल रही थी। तभी एक - - - हुआ।
मिले। वे आर ए एस अधिकारी थे। मे ही है
आप 'कोर्स-डायरेक्टर' बने हैं। मैं हूँ म
तपाक से कहा - मैं काम के व्यक्ति
प्रकार अनुगृहीत करेंगे ? कहने लगे
चलाता था। कई
अधिकारी बन हुई
दी। प्रथम प्रयत्न

विभाग में है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने कहा - आप दर असल मेरे लिए काम के हैं। मुझे 'कोचिंग सेक्टर पर 'व्यवस्था और 'कोचिंग-तकनीक पर मार्गदर्शन दीजिये। बताइये कब ? सच्चाई तो यह है कि मेरी योजना के ये दो अंग ही बचे हुए हैं। यह कह कर मैंने अपना आलेख उनके सामने रख दिया। ये रुचि के साथ उसको पढ़ने लगे। एक के बाद एक पृष्ठ पढ़ते गये।

योजना को पढ़ चुकने पर उन्होंने कहा - आपका काम बड़ा सिस्टेमेटिक है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जैसे योजना-निर्माता को कहने को मेरे पास ज्यादा नहीं है। बिन्दुवार बात करनी है। आइये। अभी ही यह काम करले। मैं भी यही चाहता था। मैंने कहा - आप लिखेंगे या मैं लिखूँगा। उन्होंने कहा - आप लिखिये। मैं अपनी बात कहता जाता हूँ। आप अपनी भाषा में लिखते चलिये। इस प्रकार मेरी योजना में 'व्यवस्था' और 'कोचिंग तकनीक' के अंश पूरे हुए। मेरी बहुत बड़ी गुत्थी सुलझ गई। सेक्टर चलाने का मार्ग सुस्पष्ट और कारगर बन गया। यह आयाम मेरे लिए बिल्कुल नया था। फिर भी मुझे लगने लगा कि मैं कुछ न कुछ कर गुजरूँगा।

दूसरे दिन मैंने 'कार्य-योजना' को ठीक ठाक किया। अब वह आयुक्त को भेजने योग्य थी। मैंने मार्गदर्शनार्थ उनको भेज दी। फिर मैं अन्य कार्यों में लग गया। अन्य काम भी कम नहीं थे। प्रशिक्षण के लिए निर्धारित भवन की आवृत्ति। वहाँ पर वांछित कक्षों की सुविधा का आकलन करना। लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति कराना। छात्रावास की ओर वार्डन की व्यवस्था तथा अन्य कई छोटी-बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति की गई।

इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण काम था व्याख्याताओं का चुनना। आयुक्त ने यह काम मुझे पर छोड़ दिया था। इसलिए मेरी जिम्मेदारी ज्यादा थी। प्रथम चरण परीक्षा वैसे आसान थी। एक अनिवार्य प्रश्न पत्र होता था। इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान विषय थे। परन्तु इनका क्षेत्र बहुत व्यापक था। इसमें - वर्तमान घटनाक्रम सामान्य विज्ञान भूगोल प्राकृतिक ससाधन कृषि और आर्थिक विकास तथा इतिहास और संस्कृति को स्थान था। इतने व्यापक क्षेत्र को करीब दो मास में पढ़ाना - एक बड़ा काम। पढ़ाने के साथ प्रश्न पत्र के प्रश्नों के स्वरूप के अनुसार उत्तर देना सिखाना - गुरुतर काम। और जनजाति-छात्रों के स्वभाव को देखते हुए यह गुरुतर काम था। मैंने अतिथि-व्याख्याताओं की बजाय पूर्ण समय व्याख्याता रखना सोचा। एक प्रश्न-पत्र की विषय-वस्तु के चार विभाग किये। प्रत्येक विभाग का एक-एक व्याख्याता चुना। मैंने 'कोचिंग' की शैली सीखी थी। उस शैली पर उनका अभिमुखीकरण किया। उनके साथ बैठकर उस शैली के लेसन नोट्स तैयार करने की विधा विकसित की। इस प्रकार चारों सहायकों को 'कोच' के रूप में प्रतिष्ठापित किया। यो हमारी तैयारी पूरी हुई।

हमको कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी। सिवा इसके कि दिखाने की सारी सामग्री दिखाने को इकट्ठी की। उसको व्यवस्थित किया। क्रमबद्ध किया। कक्षा-शिक्षण यथा क्रम चल रहा था। मेरे साथी स्टाफ रूम में अपने अपने काम में व्यस्त थे।

आयुक्त का यथासमय आना हुआ। मैंने उनका स्वागत किया। पहले उनको मेरे कक्षा में लाया। उनको कार्य संचालन की प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत किया। फिर प्रत्येक कोष द्वारा दी गई वाताओं के आलेख दिखाये। चारों के ऐसे आलेख चार फाइलों में सुरक्षित थे। मैंने उनको बताया कि ये आलेख चक्राकित कराये जाने हैं। फिर जित्द बधाई जावेगी। प्रत्येक को एक-एक पाठ्यक्रम के अंतिम दिन वितरित किये जायेंगे। दैनिक-समय-विभाग-घंटा की उनको जानकारी दी। फिर उनको कक्षा में ले गया। वहाँ चल रहे शिक्षण-कार्य का उन्होंने अवलोकन किया। इसी अवसर पर मैंने एक-दो छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाएँ उनको दिखाई। उनके कार्य को उन्होंने देखा। फिर कक्षा से बात-चीत करने को मैंने उनसे निवेदन किया। उन्होंने एक-एक छात्र से बात की। उनकी प्रतिक्रिया जानी। फिर मैं स्टाफ रूम में उनको ले गया। वहीं इस पाठ्यक्रम के लिए इकट्ठे किये गये साहित्य का उन्होंने अवलोकन किया। मेरे साथियों का उनसे परिचय कराया। अनौपचारिक बातचीत चाय की टेबल पर होती है। इसकी भी व्यवस्था की गई थी। इस अवसर का लाभ लेकर मैंने कमिश्नर से निवेदन किया - आपकी इस पाठ्यक्रम पर कोई टिप्पणी सुझाव या मार्गदर्शन मेंडम। उनका सक्षिप्त उत्तर था - आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं अपने साथियों को भी इस 'कोर्स' को देखने भेजूंगी। फिर वहाँ के अन्य अधिकारी भी आने लगे। जन-जाति विकास मंत्री महोदय ने इस पाठ्यक्रम के दिनों पधार कर जानकारी हासिल की। छात्रों से सम्पर्क किया। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी पाठ्यक्रम चलाते रहने के निर्देश दिये।

इस केन्द्र की ख्याति बढ़ने लगी। एक के बाद एक पाठ्यक्रम चलाने का दायित्व आता गया। आर ए एस प्रथम चरण का कार्य सम्पन्न हुआ। फिर कनिष्ठ लेखाकार विशेष भर्ती प्रतियोगिता के लिए पाठ्यक्रम का दायित्व सभाला। यह पाठ्यक्रम चल ही रहा था कि आर ए एस प्रथम चरण परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया।

इस परिणाम ने हमारे 'कोचिंग सेंटर' के उत्कृष्ट कार्य का डका बजा दिया। यहाँ प्रवेश प्राप्त ग्यारह में से चार छात्र उत्तीर्ण घोषित हुए। यह इस वर्ग की सफलता का सर्वोच्च कीर्तिमान था।

समाचार-पत्रों में विज्ञापित दिनांक तक प्रवेश कार्य चला। उस दिन से ही कोचिंग शुरू किया गया। परन्तु बाद में भी प्रवेश खुले रखे गये। इससे लाभ लेने वालों की संख्या बढ़ती गई।

इस कार्यक्रम में शिक्षण तकनीक को विशेष रूप दिया गया। परीक्षा में उत्तर दो सौ शब्दों में पचास शब्दों में और पंद्रह शब्दों में भागे जाते थे। इन तीन प्रकार के उत्तरों को कक्षा-शिक्षण का आधार बनाया। वार्ता की तैयारी इसी अनुसार की जाती। प्रत्येक शीर्षक पर शुरुआत विहगम चित्र प्रस्तुत करके की जाती। फिर उससे समाहित वे प्रश्न जिनका उत्तर दो सौ शब्दों का हो सकता था उन पर अभ्यास कराया जाता। शुरुआत 'काच' के द्वारा श्याम-पट्ट पर नमूने के उत्तर लिखकर की जाती। फिर छात्रों से कक्षा में अभ्यास कराया जाता। कभी मौखिक उत्तर प्राप्त करके कभी उत्तर को श्याम-पट्ट पर लिखवाकर कभी वही पर अभ्यास पुस्तिका में लिखवा कर और बारी-बारी से वाचन करवा कर यह कार्य होता। यही तरीका पचास शब्दों वाले और पंद्रह शब्दों वाले उत्तरों के लिये भी अपनाया जाता। प्रत्येक वार्ता के लिए कड़ाई से इसी तरीके का पालन किया जाता। किसी भी एक शीर्षक की विषय-वस्तु इस प्रकार चार बार कक्षा के सामने प्रस्तुत हो जाती। ऐसा होना आवश्यक था। आवश्यक ही नहीं अनिवार्य था। कारण कि हमारी योजना में यह अनुमान भी शामिल था कि गृह-कार्य करा पाना शायद संभव न हो। अतः सारा जोर कक्षा-कार्य पर दिया गया था।

पाठ्यक्रम चलते छः सात दिन हुए होंगे। आयुक्त ने मुझ को मिलने के लिये बुलाया। मैं उस दिन पूर्वाह्न में ही उनके कार्यालय पहुँचा। मैंने अपनी पहुँच की उनको सूचना भेजी। मुझे बुलाया गया। मैं उनके चेम्बर में उपस्थित हुआ। वहाँ के शिक्षा-उपनिदेशक भी साथ थे। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया - कहिए ! कोर्स कैसा चल रहा है ? मेरे मुँह से शब्द निकले - मैडम ! मैं यह कोर्स आपकी ओर से चला रहा हूँ। आप देखिये। आप अपनी राय बनाइये। इस कथन पर उन्होंने पूछा - तब फिर आज अपराह्न में हम आये ? मैंने कहा - अवश्य। आप जितनी जल्दी पधारेंगी सुधार के लिए सुझाव हमको उतने ही जल्दी मिलेंगे। उतना ही ज्यादा सुधार हम कर पायेंगे। उत्तर मिला - अच्छा है ! हम आ रहे हैं।

आयुक्त से मिलकर मैं अपने 'कोचिंग सेक्टर' आया। मेरे साथियों को जानकारी दी। सभी अपने-अपने विषय के महारथी थे। कहने लगे - वितनी अच्छी बात है ! हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ! वे देखने आयेगी तभी तो जाओगी कि हमारे प्रयत्न में कोई कोर-कसर नहीं है। आगे तो विद्यार्थियों का प्रयत्न और उका भाग्य।

हमको कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी। सिवा इसके कि दिखाने की सारी सामग्री दिखाने को इकट्ठी की। उसको व्यवस्थित किया। क्रमबद्ध किया। कक्षा-शिक्षण यथा क्रम चल रहा था। मेरे साथी स्टाफ रूम में अपने अपने काम में व्यस्त थे।

आयुक्त का यथासमय आता हुआ। मैंने उनका स्वागत किया। पहले उनको मेरे कक्ष में लाया। उनको कार्य संचालन की प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत किया। फिर प्रत्येक कांच द्वारा दी गई वातांश का आलेख दिखाये। चारों के ऐसे आलेख चार फाइलों में सुरक्षित थे। मैंने उनको बताया कि ये आलेख चक्रांकित कराये जाने हैं। फिर जित्द बधाई जावेगी। प्रत्येक को एक-एक पाठयक्रम के अंतिम दिन वितरित दिये जायेंगे। दैनिक-समय-विभाग-चक्र की उनको जानकारी दी। फिर उनको कक्षा में ले गया। वहाँ चल रहे शिक्षण-कार्य का उन्होंने अवलोकन किया। इसी अवसर पर मैंने एक-दो छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाएँ उनको दिखाई। उनके कार्य को उन्होंने देखा। फिर कक्षा से बात-चीत करने को मैंने उनसे निवेदन किया। उन्होंने एक-एक छात्रा से बात की। उनकी प्रतिक्रिया जानी। फिर मैं स्टाफ रूम में उनको ले गया। वहीं इस पाठयक्रम के लिए इकट्ठे किये गये साहित्य का उन्होंने अवलोकन किया। मेरे साथियों का उनसे परिचय कराया। अनौपचारिक बातचीत चाय की टेबिल पर होती है। इसकी भी व्यवस्था की गई थी। इस अवसर का लाभ लेकर मैंने कमिश्नर से निवेदन किया - आपकी इस पाठयक्रम पर कोई टिप्पणी सुझाव या मार्गदर्शन मेडम! उनका सक्षिप्त उत्तर था - आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं अपने साथियों को भी इस 'कोर्स' को देखने भेजूगी। फिर वहाँ के अन्य अधिकारी भी आने लगे। जन-जाति विकास मंत्री महोदय ने इस पाठयक्रम के दिनों पधार कर जानकारी हासिल की। छात्रों से सम्पर्क किया। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी पाठयक्रम चलाते रहने के निर्देश दिये।

इस केन्द्र की ख्याति बढ़ने लगी। एक के बाद एक पाठयक्रम चलाने का दायित्व आता गया। आर ए एस प्रथम चरण का कार्य सम्पन्न हुआ। फिर कनिष्ठ लेखाकार विशेष भर्ती प्रतियोगिता के लिए पाठयक्रम का दायित्व सभाला। यह पाठयक्रम चल ही रहा था कि आर ए एस प्रथम चरण परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया।

इस परिणाम ने हमारे 'कोचिंग सेटर' के उत्कृष्ट कार्य का डका बजा दिया। यहाँ प्रवेश प्राप्त ग्यारह में से चार छात्र उत्तीर्ण घोषित हुए। यह इस वर्ग की सफलता का सर्वोच्च कीर्तिमान् था।

अब आर ए एस द्वितीय चरण परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम शुरू करना पड़ा। जब यह पाठ्यक्रम पूरा हुआ तो आयुक्त ने मुझे आदेश दिया कि इस केन्द्र को स्थाई रूप दिया जाना है। इसके लिए मैं एक व्यापक योजना तैयार करू। मैंने उस कार्य का श्रीगणेश किया। इसके साथ-साथ तीनों पाठ्यक्रमों के प्रतिवेदन तैयार किये। उनको कमिश्नर को प्रेषित किया।

उन्होंने मुझसे अगली आर ए एस प्रथम चरण परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम चलाने को कहा। वह योजना मैंने बनाई। उनको प्रेषित कर दी। कुछ दिन बाद कमिश्नर का स्थानान्तरण हो गया। जाते हुए उन्होंने मुझसे आग्रह किया - आप काम करते रहिये। मैंने साभार उत्तर दिया - जी मेडम। वे चली गईं। महीनो बाद नये कमिश्नर महोदय ने मुझे बुलाया। आदेश दिया - आप पाठ्यक्रम शुरू कीजिये। मैंने उत्तर दिया - जी जरूर। पहले यह पता लगाना होगा कि परीक्षा कबसे है? उन्होंने कहा - ठीक है।

मुझे मालूम हुआ कि उस दिन के बीस दिन बाद परीक्षा शुरू होनी है। मैंने आयुक्त महोदय को वस्तुस्थिति बताई। पाठ्यक्रम नहीं करना तय हुआ। कहा गया - आपकी सेवाएँ द्वितीय चरण के अवसर पर ली जावेगी। मैंने मन में कहा - अब तो न ली जाये वही ठीक है।

अब तक का सारा घटनाक्रम नियोजन और कर्मचारी की भूमिका को उजागर करता है। वास्तविक उपभोक्ता - जनजाति विद्यार्थी को जानना भी जरूरी है। सिखाने-सीखने की प्रक्रिया के हमारे अनुभव मौलिक थे। अनुभव अनेक हैं। कई ऐसे जिनकी लगातार आवृत्ति हुई। उनके नमूने प्रस्तुत करना ठीक होगा। दैनिक शिक्षण-कार्य प्रथम कालाश से शुरू होता है। परन्तु इस पाठ्यक्रम का प्रथम कालाश ऐसा रहा जिसमें सभी छात्र कभी उपस्थित नहीं हुए। कई के पास घड़िया थी। समय की पाबदी में कभी किसी से और कभी किसी से गफलत हो ही जाती। हमने इस कालाश के प्रारंभ का समय तो वही रखा। परन्तु अवधि अघोषित रूप में बढ़ाकर काम चलाया। मध्या भोजन अवकाश के बाद के कालाश में भी यही होता। इसका कारण भिन्न था। भोजन के पश्चात् वे अपने-अपने कमरे में सो जाते। मेरे स्टाफ में सबसे कम आयु के व्याख्याता ने उनको जगाने की सेवा खुद ही सभाल ली। वे जाते। कमरों के दरवाजे खटखटाते। वे लोग जगकर शर्मिन्दगी की हैंसी हँसते हुए आते। हम सभी आपस में इस स्थिति का आनंद लेते। लिखने का अभ्यास गृह-कार्य और कक्षा-कार्य से कराया जाता है। हमने कोशिश की। पूरी कोशिश की। परन्तु किसी ने भी गृह-कार्य करके नहीं दिखाया। हमने कक्षा-कार्य को व्यापक बनाया।

तब परीक्षा में तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे। किसी प्रकार का प्रश्न किसी भी पाठ पर हो सकता था। हम प्रत्येक पाठ पर तीन प्रकार के प्रश्न तैयार करते। तीनों प्रकार के उत्तर लिखने का काम हम कक्षा में ही कराते। कक्षा-कार्य का यह विराट रूप था। बड़ा कष्टसाध्य था। पर सफल रहा। सार्थक रहा।

हमारा प्रथम टेस्ट लेने का अनुभव अभूतपूर्व था। प्रथम बार हमने छात्रों को अग्रिम सूचना दी। जिससे वे तैयारी कर ले। टेस्ट का दिनांक बता दिया था। उस दिन सोमवार था। ग्यारह बजे शुरू करना था। कोई भी उपस्थित नहीं। अपराह्न में एक-एक करके आने लग। पूछा तो बताया - सर। देर हो गई। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके पश्चात् हमने कभी भी सूचना देकर टेस्ट नहीं लिया। वे कभी पूछते तो हम टाल जाते। पर एक निश्चित अन्तराल के पश्चात् टेस्ट जरूर लेते। हम 'टेस्ट-पेपर तैयार रखते। जिस दिन सभी उपस्थित होते टेस्ट लिया जाता। उस दिन भोजन-अवकाश नहीं होता। उनको नाश्ते की पूरी व्यवस्था मैं अपनी ओर से कक्षा में ही करता। यह सब इसलिए कि सभी टेस्ट पेपर का पूरा-पूरा उत्तर लिखे। हमें खुशी इस बात की कि सभी शामिल थे। वे खुश इस बात पर कि हमने सर की ओर से घाय नाश्ता किया।

इस सब कुछ ने आदिलोक के मेरे अनुभवों में रुई नये आयाम जोड़े। शिक्षा विशेषज्ञ के रूप में एक सीख भी - जनजाति शिक्षा का विकास सर्वत्र जनित अनुशासन के अधीन समभव नहीं है। वह तो जनजाति जन्य अनुशासन को स्वीकार कर के ही किया जा सकता है। यह तब समभव है जब शिक्षक उतने धैर्यवान और कार्यकुशल हो जैसे इस केन्द्र ने जुटाये थे।

आयुक्त-कार्यालय से बाद में बुलावा नहीं आया।

मैंने सोचा पीछा छूटा। यह मेरी तीसरी बन्धन-मुक्ति थी।

लेखन का लेखा

मैं अधिकांश समय कार्यालय में गुजारता । इसमें मेरा आसन था। इस आसन के बाबत मैं पहले बता चुका हूँ। आसन के सामने मेरी टेबिल। यह लेखक की टेबिल थी। लेखन-सामग्री इस पर व्यवस्थित। सामने दीवार पर सिद्धगणपति का चित्र टंगा था। मेरे क्लिपबोर्ड पर फुलस्क्रेप साईज के कागज लगे थे। बराबर कटे हुए स्वच्छ धवल। मैंने अपना पार्कर-पेन उठाया। मैं लिखना शुरू करूँ कि मेरी दृष्टि सिद्धगणपति के चित्र पर जा टिकी। अन्तरात्मा के अतल गह्वर से कोई गणपति को सम्बोधन कर बोल पड़ा -

ए विवेक के देवता । आप कभी 'स्टेनो' बने थे। तब कृष्णद्वैपायन व्यास ने आपको डिक्टेड दिया था। महाभारत जैसे महान् ग्रन्थ की रचना हुई थी। आप 'स्टेनो' बन कर बरी जिम्मा नहीं हुए। किसी को डिक्टेड देना भी वाकी है। वह मैं हूँ। आज से आप मुझको डिक्टेड देंगे। मैं आपका स्टेनो। मैं सस्मरण लिख रहा हूँ। पचास वर्ष के। उस दिन तब मैं स्कूल गया। और ये दिन जब निवृत्त होकर घर आया। पूरी आधी शताब्दी - अनेक पड़ाव अनेक मजिल। मेरी यही - एक शैक्षिक यात्रा । जब मैं स्कूल गया बमुश्किल पाच वर्ष का था। आपकी अर्चना पूजा कर स्कूल गया था। आप तब से मेरे साथ हैं। पचपन वर्ष पूरे किये। मैं बहुत-कुछ भूला पर आपको याद है। लिखाइये । लिखता हूँ।

सरकारी कार्यालय का समय मेरे लिखने का समय होता। उस समय में भी कोई मिलने आता मैं लिखना बंद कर देता। घर से बाहर निकलना पड़ता काम बन्द रहता। शहर से बाहर जाता कई दिनों लिखना बन्द रहता। हारी-बीमारी में लिखने का काम नहीं। छोटा-बड़ा लिखने का काम आ पड़ता उसको पहले निपटाता। अन्यथा एक शैक्षिक यात्रा चलती रहती। अनवरत रूप से चलती।

जब-जब मैं लिखने बैठता गणपति जी का आह्वान करता । कहता - आइये । लिखाइये । मैं लिखने लगता। मैं लिखने का लेखा रखता। बड़ा आसान काम। हाशिये पर दिनांक लिखता। फिर लिखना शुरू करता। लेखन में किसी एक दिन कई अन्तराल आते। पर दिनांक वही बना रखता। दिन बदल जाता तो तारीख बदल जाती । शर्त एक ही कि मैं लिखना शुरू करूँ । कभी लिखने का काम नहीं होता। उस दिन का दिनांक हाशिये

पर नहीं लिखता। कई दिन तक लिखना नहीं होता। कई दिनाक हाशिये से नदारद रहते। पांडुलिपि के प्रथम पृष्ठ पर लिखना शुरू करने का दिनाक अंकित होता। अंतिम पृष्ठ पर समाप्ति दिनाक लिखता। कब से कब तक उस पर काम किया ? इसके लिए प्रथम और अंतिम पृष्ठ पर अंकित दिनाक काफी थे। लेख हो वार्ता हो या अन्य किसी प्रकार का आलेख क्यों न हो हाशिये पर दिनाक लिख कर शुरू करता। क्रमशः दिनाक लिखते जाना। जिस दिन पूरा हो उस दिन का दिनाक लिखना मेरी आदत का अंग है। लेखन की श्रेणी में आने वाली प्रत्येक इकाई का लेखा मेरे पास मौजूद है।

हाँ ! तो मैं एक शैक्षिक यात्रा के लेखों की बात कर रहा था। यह काम काफी लम्बे अर्से तक चलने वाला था। कौन इतने लम्बे अर्से तक एक ही काम चलने देता है ! बीच-बीच में दूसरी तरह के कई काम आये। कुछ को इच्छा से कुछ को अनिच्छा से कुछ को मजबूरी से निपटाये। एक काम लिखने का ही आटपका। उसने शैक्षिक यात्रा पर रोक लगा दी।

मेरे एक पुराने मित्र पधारे। चोमू के रहने वाले। चोमू पूर्व जयपुर रियासत का एक महत्वपूर्ण ठिकाना। बड़ा प्रसिद्ध। प्रसिद्धि भी कई प्रकार से। श्री राव चोमू से जयपुर रहने लगे थे। उनका किसी काम से उदयपुर आना हुआ। वे मिलने घर आये। कहने लगे — मैं इस बार आपके लिए एक काम लाया हूँ। असल में काम तो मेरा है। पर आपका भी उतना ही है। उन्होंने मुझे बताया कि वे जयपुर में एक मकान में रहते हैं। मकान मालिक एक इजीनियर साहब हैं। बड़े भले आदमी हैं। वे आपके समाज के हैं। वे चाहते हैं कि उनके पिताश्री पर एक स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशित हो। उन्होंने करीब साठ गणमान्य व्यक्तियों के आलेख एकत्रित किये। एक दिन वे मुझको कहने लगे कि इस ग्रन्थ का सम्पादन मैं करूँ। मैंने उनसे कहा — मुझसे यह काम नहीं होगा। इस पर वे कहने लगे — उस व्यक्ति को बतलाओ जिससे यह काम हो सकता है। इस पर डा साहब मैंने आपका नाम सुझाया। वे कहने लगे — मेरा उनसे परिचय नहीं है। आप ही राजी कीजिये। मैं उनको मुहमागा महनताना देने का तैयार हूँ।

अब डा साहब ! आप कहिये ? — मित्र ने प्रश्न किया।

मैंने उत्तर दिया — देखिये ! साफ बात है। आपको सीपा काम है। आप न सही मैं करदूँ तो क्या फर्क पड़ेगा ? जिनका काम है वे मेरे समाज के हैं। उन्हें मैं नहीं जानता। अब जानूँगा। स्मृति-ग्रन्थ के संपादन का काम उसका माध्यम बन कर आया है। यह अपने आप में दुर्लभ अवसर है। जब तक उस पर काम करूँगा उस व्यक्तित्व का सानिध्य रहेगा। भले वे किसी भी लोक में हो। अंत में यह सेवा करूँगा निशुल्क सेवा।

मित्र जयपुर लौट गये। उहाँ सारे आलेख मुझ को भेज दिये। मैं स्मृति-ग्रन्थ के सम्पादन में लग गया। मेरी आदत है एक बार में एक काम। अब मैं लेखकों के खाते में मात्र यही काम करने लगा। मैंने आलेखों को सरसरी तौर से देखा। उहाँ लिखने वालों को जाना। स्मृति-ग्रन्थ के मुख्य पात्र के जीव परिचय को पढ़ा। मुझे लगा कि मैं एक बटुमुखी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व की यादों को ताजा कर रहा हूँ। सभी वर्गों के नागरिकों को उन्होंने प्रभावित किया था। जीवन की सार्थकता सिद्ध करने वाला वीरसा गुण ऐसा है जो इस व्यक्तित्व में समाहित नहीं था। ऐसे व्यक्ति के स्मृति-ग्रन्थ का सम्पादन सत्संग में एक माध्यम है। यह मुझे पहले याद नहीं था।

यों तब यह काम हल्का-पुल्का ही होता है। सामान्य भापाई जातकार इसे कर सकता है। पर इसमें भी पारगति लाने के अवसरों की कमी नहीं। मैंने इस काम में अच्छी मेहनत की। इस रचना के मुख्य तीन अंश थे - सम्पादकीय जीवन परिचय और आलेख। सम्पादकीय में मैंने अनुराधान-विद्या अपनाई। प्रकरण अध्ययन की तरह लिखा। अविज्ञित तथ्यों का आधार आलेखों को बनाया। तथ्यात्मक प्रत्येक वाक्य या वाक्य-समूह के अंत में आलेख सख्या लिखी। साहित्य और अनुराधान का योग विठाया। जीवन परिचय को क्रम-बद्ध और रोचक बनाया। आलेखों की क्रमबद्धता व्यक्तित्व के गुणों के महत्त्वक्रम से निर्धारित की। इस प्रकार दो माह में दो सौ पृष्ठों की पांडुलिपि तैयार हुई। वह डाक से रवाना कर दी गई। यह था शंकरलाल शर्मा स्मृति ग्रन्थ। यह मुद्रित होकर प्राप्त हुआ तब 132 पृष्ठ का था। मुद्रित होने और विमोचन तक आठ मास और लग गये। बाद में शुरु और पहले समाप्त इस ग्रन्थ ने मेरे पुस्तक-रचना क्रम में प्रथम स्थान हथिया लिया। जो सही था। किसी बड़े काम को करते हुए बीच में आने वाले छोटे-छोटे काम निपटाते जाना अच्छा होता है। इससे बड़े काम में देरी भले हो पर वह दुरुस्त होता है।

एक शैक्षिक यात्रा फिर चल पड़ी। जिस परिपाटी से शुरु की वह चल रही थी। किसी भी दिन जब लिखना शुरु करता गणपतिजी का आवाहन करता। फिर लिखता जाता। कहीं तक पहुँचना है इसका आग्रह कभी नहीं। प्राथमिकता वाला कोई काम जब सामने नहीं होता तो मैं लिखने लगता। जब लगता कि क्या करूँ ? तब मेरा आसन लिखने का सामान और लिखना शुरु। जब तक प्रथम पाँच अध्याय पूरे नहीं हुए मैंने किसी को नहीं बताया। डर का काम हो न हो। पाँचवा अध्याय पूरा हुआ। कुछ विश्वास जगा। मेरे मित्रों में एक-एक रत्न है। प्रत्येक बिरला अपने करीने का एक। साहित्य में पारगत एक डा. राजेन्द्र शर्मा। वे एक दिन घर आये। अब तक का लिखा उतावले सुनाया। उन्होंने प्रशंसा की प्रोत्साहित किया। अब तो वे जब-तब आते प्रगति

पूछते। मैं बताता गया लिखा - सुनाता। कभी-कभी वे खुद माग कर पढ़ने लगते। यह पिकल्प मुझे मुफ़ीद था। मार्ग दर्शन मिलता। नुटियों दूर होतीं। एक-एक पडाव और एक-एक मजिल को पार करती शैक्षिक-यात्रा आखिरी पडाव पर आ पहुँची। यह पचास वर्ष की अवधि थी। प्रथम आलेख में 484 पृष्ठ। भारी भरकम पाडुलिपि। दो वर्ष का समय लगा। वह भी तब जब अनवरत लेखन नहीं हुआ। कई अन्तराल आये। अन्य कई काम निपटाये।

मेरे दो और सेवानिवृत्त मित्र हैं। उनका मेरे यहाँ आना करीब-करीब नियमित। दोनों अध्ययन शील। नई-नई पुस्तकें पढ़ने के शौकीन। साहित्य के मर्मज्ञ। चिट्ठी-पत्री की बात छोड़े पर लेखन की श्रेणी में आने वाला प्रत्येक आलेख मैं उनको दिखाता। आज भी दिखाता हूँ। एक शैक्षिक यात्रा वे देखते। उस पर राय देते। सशोधन में मदद करते।

मेरी यह पाडुलिपि कई हाथों में गुजरी। मेरे एक और मित्र हैं। मूल रूप में भूगोल के विशेषज्ञ। सरकारी नौकरी में उनके साथ खूब काम किया। किन्हीं विशेष अवधारणाओं पर उनकी पकड़ का मैं हमेशा से कायल रहा। एक दिन मैं उनके घर गया। पाडुलिपि उनको सौंप आया। उन्होंने पढ़ी। कहीं-कहीं पर सुझाव दिये। परन्तु अंत में लिखा - सत्यम् शिवम् सुन्दरम्

इन्हीं दिनों डा. एल. के. ओड उदयपुर आये। वे बनस्थली (जयपुर) रहते थे। मेरे शिक्षा-गुरु थे। मैंने डाक्ट्रेट उनके ही मार्गदर्शन में किया था। वे जब-तब उदयपुर आते। मुझको भी इत्तला देते। मैं मिलने जाता। कभी-कभी भोजन पर आमंत्रित करता। इस बार भी आमंत्रित किया। आज मध्याह्न -भोजन था। बहुत देर तक बातें होती रहीं। सेवारत और सेवानिवृत्त की बात-चीत आखीर में एक ही बिन्दु पर आकर टिकती है - समय कैसे कटता है ? डा. ओड मेरी जीवन शैली को जानते थे। वे समझते थे कि मैं 'स्वरोजगार' पर प्रयोग कर रहा हूँ। मेरे प्रयोग में पात्र अन्य कोई नहीं स्वयं मैं था। उन्होंने पूछा - आपका प्रयोग कैसा चल रहा है ? मैंने तपाक से उत्तर दिया - सर ! अब तक मैं बात करता था। अब काम देख लीजिये।

मैंने एक शैक्षिक यात्रा की पाडुलिपि आगे बढ़ा दी। पन्ने उलटने लगे। एक-एक दा-दा करके प्रथम से अंतिम पृष्ठ तक जा पहुँचे। उनको पढ़न की कला मालूम थी। किस सामग्री को कब किस तरह पढ़ना चाहिए इसमें वे दक्ष थे। दस मिनट बाद बोले - कल रात्रि को मैं स्वतंत्र था। मेरे पास पढ़ने को कुछ नहीं था। कल देते तो सारी पाडुलिपि पढ़ लेता। इस पर मैंने कहा - आप इसको बनस्थली ले जाइये। तसल्ली से पढ़कर भेजिये। डाक-खर्च होगा तो होगा।

उन्होंने राहमति व्यक्त की। वे उठ पड़े हुए। चलते-चलते कहते गये - कमाल के आदमी हो। सेवानिवृत्त हुए दो वर्ष हुए और 484 पृष्ठ की पाडुलिपि लिखदी। इस कथा पर मुझे लगता कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ।

मैं राध्या को रेल्वे स्टेशन गया। पाडुलिपि दे आया।

लिखने का काम मैं हमेशा जिम्मेदारी से किया है। इस लिए पाडुलिपि से दूर होकर मैं हल्का महसूस करने लगा। अन्य काम मैं सहज भाव से करता हूँ। मैं उनमे लग गया। मेरी दिक्कत एक ही थी। आज भी है। लिखने के काम को ही मैं काम माता हूँ। अन्य किसी काम को काम नहीं। मुझे महसूस होता कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने मन को बहुत समझाता - अगर तुमसे वायु सेवन मालिश आसन-व्यायाम और धारणा-ध्यान हो जाये तो मानलो कि सारा काम हो गया। यह सोच कर मत उलझो कि काम नहीं किया। पर मन ही तो है। मानता ही नहीं। वह टस से मस नहीं। उसका मानना है कि तुम जो कुछ लिखते हो वही तो तुम्हारी राज्य सेवा का विकल्प है। वही तो तुम्हारा मौलिक है। और तो सब सामान्य है। सामान्य चर्चा मैं पूरे मनोयोग से निभाता। लिखने का समय मैं पढ़ने में लगाता। अच्छी बातें डायरी में लिखता पर उधेड़-बुन मात्र एक - मौलिक लेख या रचना अब क्या हो ? परन्तु एक सकट आ खडा हुआ।

सकट गहन था। मेरी मातु श्री बीमार हुई। बीमारी बढ़ती गई। घर के सब सदस्य चिंतित। चिकित्सालय में भर्ती कराया। दो मास वहाँ इलाज हुआ। लाभ भी हुआ। परन्तु वे बच न सकी। उनकी मेरे नाम एक आज्ञा थी। स्वर्गवासी होने के तीन-चार दिन पूर्व उन्होंने मेरे पुत्र को कहा था। तेरे बाबूजी को कहना - मेरा श्राद्ध गया मे करे। मैं स्वयं इस समय प्रथम सकटकालिक अवधि से गुजर रहा था। मातु श्री के स्वर्गवासी होने से मैं हरावल में आगया। मुझे जल्दी से जल्दी आज्ञाकारी पुत्र प्रमाणित करने की चिंता लगी। उनको तीन मास होते ही मैं यात्रा पर निकल पडा। हम छ सदस्य थे। उदयपुर से गया पुरी कलकत्ता पटना वाराणसी इलाहाबाद लखनऊ हाते हुए दिल्ली लौटे। वहाँ दो दिन ठहरे। नई सड़क गये। वहाँ मेरे प्रकाशक 'यगमैन एण्ड कम्पनी' की दूकान है। कम्पनी के मालिक से मिला। उनके लिए मैंने कई पुस्तके लिखी। वे शिक्षक प्रशिक्षण पर थी। प्रशिक्षण का स्वरूप बदला। मौलिक पुस्तको में प्रशिक्षणार्थियों की रुचि घटी। बाजार में नोटस का प्राचुर्य हुआ। प्रकाशको को सस्ते लेखक मिलने लगे। मेरी पुस्तको का प्रचलन समाप्त हो गया। प्रकाशक चाहते थे कि मेरी एक पुस्तक उनके पास अब भी हो। मुझे काम चाहिए था। मैंने स्वीकति दी। यह तय रहा कि पुस्तक का नाम विषय आदि बाद में भेजूंगा। हम दिल्ली से रवाना हुए। सीधे

उदयपुर पहुँचे। यात्रा सानद पूरी हुई। कुल बीस दिन लगे। मातुश्री की आज्ञा का पालन हुआ। मुझे दिली खुशी थी। दो दिन बाद दिवाली थी। दिवाली अब भी आगतुक—दिवस होता था। घर पर अच्छा खासा मजमा जम जाता। वेसी ही तैयारी घर पर भी होती थी। मे सेवानिवृत्त था। तीसरा वर्ष पूरा होने जा रहा था। अब भी उतने ही लोग स्नेह करते थे। शिक्षा विभाग भी मुझे जब तब याद करता था। मैं कई समितियों का सदस्य था। मेरी व्यस्तता में कमी नहीं थी। फिर भी एक बात खलती थी। मौलिक ग्रंथ रचना का काम रुका पडा था। एक शैक्षिक यात्रा की पांडुलिपि में सशोधन सम्पादन बाकी था। पर वह तो अन्यो के हाथ था। इस बीच मैं क्या करूँ ? यही एक प्रश्न था। इस प्रश्न का भी समाधान हुआ।

मैंने सेवा निवृत्ति के दस वर्ष पूर्व पीएचडी की थी। तब थीसिस अग्रेजी में लिखते थे। प्रकाशक कठिनाई से मिलते थे। एक को अनुनय—विनय करके राजी भी किया। पर काम आधे में रुक गया। फिर आगे न बढ़ा। मैं उसी थीसिस को सक्षिप्त स्वरूप देने लगा। यह कार्य मैं हिन्दी लिपि में करने लगा। अब मैं फिर से व्यस्त था। मैं अपनी पूर्व लखन शैली से इस काम का भी करता। इस बार ज्यादा समय नहीं लगा। प्रथम आलेख तीन मास में तैयार हुआ। इस रचना का नाम था मानवीय सम्बन्ध और विद्यालयी व्यवस्था।

प्रथम आलेख को मैंने खुद ने सुधारा — सवारा। इसको अपने मित्रो को पढवाया। इसका सशोधन — सधान मेरे गुरु डा एलकेओड से करवाया। इस प्रक्रिया में चार मास और लग गये। इस अवधि में लेखनेतर सारी प्रवृत्तियाँ सहज रूप से चलती रही। इस दृष्टि से यह अवधि भी कम है। अततोगत्या मैंने पांडुलिपि दिल्ली रवाना कर दी। मेरे वही पुराने प्रकाशक जिनको एक रचना भेजने का वादा कर चुका था।

एक शैक्षिक यात्रा की अब बारी थी। डा ओड ने उसको देख लिया था। इस रचना का विचार मेरा भले था। पर प्रेरणा—प्रोत्साहन डा राजेन्द्र शर्मा का था। वे राजस्थान हिन्दी साहित्य अकादमी में सचिव थे। वे कहा करते थे मुझे आपमें साहित्यकार नजर आता है। नौकरी में आपने शिक्षाविद् के रूप में नाम कमाया। सेवानिवृत्ति में आपके अन्तर के साहित्यकार को जाग्रत करता है। मुझको यह बात बहकावा लगती। पर बहकावे ही बहकावे में मैंने पुस्तक लिख दी। यो तो डा राजेन्द्र शर्मा ने पांडुलिपि थोड़ी—थोड़ी कभी—कभी देखी थी। परन्तु उसके सम्पादन का जिम्मा मैंने उनको सौंपा हुआ था। आखिर वह काम भी शुरू हुआ। मैं प्रात 900 बजे उनके घर जाता। हम इस कार्य को रोजाना बारह बजे तक करते। चार—पाच दिन हुए होंगे कि एक दिन वे कहने लगे — अब आप कष्ट न कीजिये मैं अकेला ही इस काम को कर दूँगा। मैंने पूछा — ऐसी क्या बात

है ? पहले साथ-साथ काम करने की बात थी अब आप कहते हैं अकेला कर दूँगा। पहले तो मुस्कुराये फिर बोले - शर्माजी ! साहित्यकार बड़ा दुर्गम्य होता है। पैरा और वाक्य तो क्या एक-एक शब्द के लिए अडता है। उसके लिखे की कभी काट-छाट की हो तो आप जाने ! एक आप है जो कुछ बोलते ही नहीं इतने दिन हो गये। अब फिर आपको बुलाने में क्या तुक है। मैंने कहा - जब आपको सम्पादन का जिम्मा सौंप दिया तो फिर बहस से क्या लाभ। आप स्थापित साहित्यकार हैं। मैंने ऐसा बड़ा काम पहली बार किया है। अतः शेष सब आपको ही करना है। मेरी छुट्टी हो गई।

शायद एक सप्ताह के बाद मैं डा. राजेन्द्र शर्मा के घर गया। उन्होंने कहा - आपका काम हो चुका। मैंने पांडुलिपि देखी। उसके 484 पृष्ठ अब कट छट कर 365 रह गये थे। डा. शर्मा ने कहा - अब यह बहुत अच्छी है। अब इसके लिए प्रस्तावना लिखिए। मैंने प्रस्तावना लिख ली थी। उसको उनके सामने रख दी। वे पढ़ने लगे। सारी पढ़ गये। उन्होंने कहा - यह प्रस्तावना शिक्षाविद् की है। इसे साहित्यकार की बनाना होगा। मैं बना दूँगा। कल आइये।

मैं दूसरे दिन पहुँचा। प्रस्तावना तैयार थी। मैंने उसको ध्यान से पढ़ा। इसलिए भी कि वह मेरी ओर से लिखी गई थी। मेरे अन्तर के साहित्यकार को भी अच्छी लगी। मैंने कृतज्ञ भाव से डा. शर्मा की ओर देखा। वे कहने लगे - अभी बहुत कुछ बाकी है शर्माजी ! पहला काम तो यही है कि आप प्रकाशक तलाशिये।

मैं प्रकाशक की खोज में लग गया। मेरी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं। मेरा लेखक के रूप में रुतबा था। पर वह रुतबा इस बार काम नहीं आया। साहित्यिक पुस्तकों के प्रकाशक कहते - यह तो एक शैथिल यात्रा है। हम शिक्षा के क्षेत्र की पुस्तकें नहीं छापते। शैक्षिक प्रकाशकों से सम्पर्क साधा। उनका प्रश्न था - इसके पाठक किस स्तर या कक्षा के विद्यार्थी होंगे ?

मैं किसको क्या उत्तर दूँ - यह मेरी समस्या थी। मैं विद्वानों से बहस कर सकता था। उनको अपनी बात पर कायल करना मुझे खूब आता था। पर लक्ष्मीपुत्रों को मैं इस पुस्तक के प्रकाशन पर राजी नहीं कर सका। मैं किसी अन्य विकल्प की तलाश करने लगा। मित्रों को समस्या बतलाई। तय रहा कि राजस्थान साहित्य अकादमी (उदयपुर) को प्रकाशन सहायता हेतु निवेदन करना चाहिए। वह भी किया गया। पर सफलता नहीं मिली। आखिर तय रहा कि खुद को ही प्रकाशित करना चाहिए। इसके लिए सहकार प्रकाशन का गठन करना पडा।

सहकार प्रकाशन गतिशील हुआ। पुस्तक के प्रकाशन के लिए मुद्रको से पत्र व्यवहार हुआ। मुझको और मेरे एक मित्र को अजमेर एक बैठक में जाना पड़ा। यह बैठक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में आयोजित थी। तब माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक विषयों का प्रचलन था। वैकल्पिक विषय भूगोल में दो प्रश्न पत्र होते थे। हमको माध्यमिक भूगोल प्रथम भाग का लेखक नियुक्त किया गया। इस भाग में भौतिक भूगोल के सिद्धान्तों को स्थान दिया गया था। मेरी एक शैक्षिक यात्रा कभी की पूरी हो चुकी थी। अब मैं अपने मित्र के साथ इस पुस्तक के लेखन-कार्य में जुट गया। इस कार्य में पाच-छ माह लगे। मार्च सन् 1984 में इस पुस्तक की पाण्डुलिपि बोर्ड को सौंप दी। बोर्ड ने उसी वर्ष उसे प्रकाशित कर दी। हमारा पारिश्रमिक हमको प्राप्त हुआ। वह भी एक मुश्त। कितना सुखद अनुभव !

इसके पूर्व ही एक सुयोग हुआ। आचार्य तुलसी का भीलवाड़ा में चातुर्मास था। उसमें कई भव्य आयोजन थे। उनमें एक आयोजन शैक्षिक था। उद्देश्य था - विद्यार्थियों में जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करना। विज्ञान और तकनीकी के विकास के बावजूद जीवन मूल्यों के ह्रास से आचार्य तुलसी चिंतित थे। इस समस्या के समाधान के लिए उनकी एक मौलिक योजना थी। उस पर अनुसंधानकार्य तत्कालीन युवाचार्य महाप्रज्ञ ने किया था। युवाचार्य महाप्रज्ञ अब तेरा पथ सम्प्रदाय के आचार्य हैं। उनके अनुसंधान के अनुसार एक नये विषय का उद्भव हुआ। विषय का नाम रखा गया - जीवन विज्ञान। वहां भीलवाड़ा में ही शिक्षाधिकारियों की एक सगोष्ठी आयोजित थी। मुझे भी निमंत्रण मिला। आचार्य तुलसी ने मुझे आग्रह पूर्वक बुलाया था। मैं वहां पहुँचा।

इस अवसर पर जीवन विज्ञान पर प्रशिक्षण शिविर था। हम लोग उसमें शामिल हुए। शिविर के अनुभवों को दृष्टि में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। पुस्तक लेखन की योजना भी वहीं तैयार की गई। लेखन-कार्य में संयोजन और लेखन दो दायित्व मुझे सौंपे गए। मैंने इन्को निभाया। कक्षा छ से आठ तक के लेखन कार्य का संयोजन किया। कक्षा आठ की पुस्तक के लेखन में भागीदारी निभाई। न्यूनाधिक रूप से यह कार्य तीन वर्ष तक चला। मेरी भागीदारी से लिखी गई पुस्तक का सन् 1987 में प्रकाशन हुआ।

मुझे बड़ी प्रसन्नता रही कि मैं आचार्य श्री तुलसी की अपेक्षाएँ पूरी कर सका।

इधर 'सहकार प्रकाशन' भी रग लाया। इसके बेनर तले एक शैक्षिक यात्रा प्रकाशित हुई। इसका प्रकाशन वर्ष सन् 1983 था। इस पुस्तक का लेखन शुरू करने और प्रकाशन तक पाच वर्ष लग गये। इस अवधि से कोई

शिकवा-शिकायत नहीं। पर प्रकाशक पर एक मुक्त खर्चा करना एक-एक या अधिसंख्य पुरतके क्षेत्र में बिखेर देना एक-एक की राशि को वापस इकट्ठा करना और वह भी मुझ जैसे व्यक्ति के द्वारा जो ऐसे काम का अभ्यस्त नहीं। इस प्रकार धन-संग्रह कितना मुश्किल इसका अन्दाजा तो कोई भुक्त-भोगी ही लगा सकता है। परन्तु ऐसा करने का मलाल भी खत्म हुआ जब मैं मार्च 1985 में पुरस्कृत हुआ। हिन्दी साहित्य अकादमी राजस्थान ने मुझे कन्हैयालाल सहल पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार 'संस्मरण विधा' से लिखी रचना पर देय होता है। इस पुरस्कार में प्राप्त राशि ने सहकार प्रकाशन के घाटे को बराबर कर दिया। परन्तु सन् 1983 में प्रकाशित इस रचना की चार सौ प्रतियाँ सन् 1991 तक बची पड़ी थीं। इनसे मैं ज्यों-त्यों मुक्ति चाहता था।

मैं किसी काम से जयपुर गया। वहाँ मेरे एक पुस्तक प्रकाशक मित्र थे। उनसे भी मिलना हुआ। एक शैक्षिक यात्रा के प्रकाशन को अब आठ वर्ष हो चुके थे। वह अब मेरे लिए समस्या थी। न बिकी तो उसके खाद हो जाने का भय था। मैंने प्रकाशक मित्र से कहा मेरे पास अब भी 'एक शैक्षिक यात्रा' की चार सौ प्रतियाँ हैं। यह पुरस्कृत पुस्तक है। मास्को अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (10-15 सितम्बर 1985) में प्रदर्शित 550 पुस्तकों में एक यह भी थी। इस मैं आपको सौपना चाहता हूँ। वह भी आपकी शर्तों पर। मेरी कोई शर्त नहीं।

मुझे प्रकाशक ने उत्तर दिया - मुझको आपका प्रस्ताव मजूर है। मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मैंने वे प्रतियाँ उनके पास भिजवा दीं। मैं प्रकाशक के बाने से मुक्त हुआ। अब मैं वापस अपने पूर्व बाने में था। वह है एक लेखक का बाना।

वैसे मैं राज्य सेवा के अंतिम वर्षों प्रशासनिक पदों पर रहा। परन्तु बारह वर्ष मैंने अनुसंधान का काम किया था। मेरी खाजू दृष्टि जीवन्त रही। आज भी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में सचिव के पद पर रहते मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हुआ - बोर्ड परीक्षा में मेरिट प्राप्त छात्र छात्राओं की मेरिट-प्राप्ति का सर्वाधिक श्रेय किसको? मुझे उत्तर तलाशना था। इस प्रश्न का सटीक उत्तर मेरिट प्राप्त करने वाले ही दे सकते थे। मैंने उनके लिए एक प्रश्नावली तैयार की। उसमें दो बातें मुख्य थीं। आप अपनी मेरिट-प्राप्ति का सर्वाधिक श्रेय किसको देते हैं और क्यों? ऐसे प्रत्येक छात्र-छात्रा को प्रश्नावली भेजी गई। उत्तर दान को एक प्रारूप और टिकिट लगा लिफाफा भेजा गया। अधिकांश ने उत्तर भेजे। उन्होंने अपने स्वतंत्र विचार अंकित किये। इन उत्तरों ने मेरा उत्साह बढ़ाया। फिर क्या था। मैं इस प्रक्रिया को दुहराने लगा। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही मैं ऐसा करता। सात वर्ष तक ऐसा करता रहा। अपनी रचना को वैध एवं मानक बनाने के लिए यह जरूरी था। इस प्रकार एकत्रित उत्तर मैंने सुरक्षित रख छोड़े थे।

सोचना था - कभी कोई अच्छा काम होगा होगा तो होगा। जब लेखनेतर प्रवृत्तियों से फुरसत मिलती तो उनको पढ़ता। मैंने देखा कि अभिभावक वर्ग को श्रेय देने वालों का प्रतिशत 15 है। अध्यापक और स्कूल को श्रेय देने वाले 20 प्रतिशत हैं। सबसे बड़ी राख्या 65 प्रतिशत छात्र-छात्रा वे थे जिन्होंने कहा - इस उपलब्धि का श्रेय हमें ही है सब कोई सब कुछ करते और हम सब कुछ न करते तो मेरिट कहाँ से मिलती !

मैंने तीन पुस्तकें लिखना तय किया। सबसे पहले लिखी अभिभावकों के लिए। नाम रखा आपके बच्चे मेरिट कैसे प्राप्त करें ? उसके पश्चात् लिखी अध्यापक और स्कूल के लिए। उसका नाम रखा मेरिट के विकास में अध्यापक और स्कूल की भूमिका। प्रथम का प्रकाशन सन् 1988 में हुआ। द्वितीय का प्रकाशन प्रथम के आठ वर्ष बाद 1996 में हुआ। तीसरी पुस्तक का नाम है विद्यार्थियों की मेरिट प्राप्ति के सूत्र। उसका प्रकाशन अभी बाकी है।

इस युग में लिखना आसान है। किसी पुस्तक की पाठ्यलिपि तो एक 'कुंवारी कन्या' की तरह होती है। प्रकाशन पर वह 'सौभाग्यवती' बनती है। जब लेखक को उसकी रायल्टी मिलने लगती है तो वह 'कमाऊ' बन जाती है। ऐसा भाग्य बड़ा मुश्किल। फिर भी मेरा भाग्य कुछ-कुछ ऐसा है। थोड़ी-थोड़ी ही सही पर जमा बन्दी होती है। होती रही है। होती रहने का विश्वास है। परन्तु अच्छी पुस्तक से यशकीर्ति में वृद्धि होती है। असली लाभ वही है।

पुस्तक लेखन का तो मोटा-मोटा यही लेखा है। अलबत्ता इसमें 'पलकों में बन्द पल' का जोड़ लगाना बाकी है। इसके अलावा कई लेख लिखें। वे प्रकाशित हुए। कई वार्ताएँ लिखीं। वे आकाशवाणी पर प्रसारित हुईं। कई सभाओं सम्मेलनों सगोष्ठियों और कार्यशालाओं में भाषण दिये। आज भी देता हूँ। ये छोटे-छोटे काम मैं ज्यादा अच्छे मानता हूँ। इनकी गिनती मेरे पास नहीं। परन्तु वजन है। इस युग में बस्ते के बोझ की बात चलती है। तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि मेरी इन छोटी-छोटी रचनाओं के बस्ते का बोझ साढ़े चार किलो है। पर एक हैरतअगेज बात - इनसे मुझको जो आर्थिक लाभ होता है वह पुस्तक-लेखन से मिलने वाले लाभ से कई गुना ज्यादा होता है।

बस यही मेरे लेखन का लेखा है।

पाठक यह तो समझते ही हैं कि यह आज अभी तक का ही है। बहुत कुछ शेष है और अब आगे ।

शिकवा-शिकायत नहीं। पर प्रकाशन पर एक मुश्त खर्चा करना या अधिसख्य पुस्तक के क्षेत्र में बिखेर देना एक-एक की राशि का करना और वह भी मुझ जैसे व्यक्ति के द्वारा जो ऐसे काम का अम्य प्रकार धन-संग्रह कितना मुश्किल इसका अन्दाजा तो कोई भुक्त-सकता है। परन्तु ऐसा करने का मत्ताल भी खत्म हुआ जब मैं पुरस्कृत हुआ। हिन्दी साहित्य अकादमी राजस्थान ने मुझे कन्हैय पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार 'सम्भरण विधा' से लिए देय होता है। इस पुरस्कार में प्राप्त राशि ने सहकार प्रकाशन बराबर कर दिया। परन्तु सन् 1983 में प्रकाशित इस रचना की घासन 1991 तक बची पडी थीं। इनसे मैं ज्यो-त्यो मुक्ति चाहता था

मैं किसी काम से जयपुर गया। वहाँ मेरे एक पुस्तक प्रकाशनसे भी मिलना हुआ। एक शैक्षिक यात्रा के प्रकाशन को अचुके थे। वह अब मेरे लिए समस्या थी। न बिकी तो उसके खाद हथा। मेने प्रकाशक मित्र से कहा मेरे पास अब भी एक शैक्षिक रसौ प्रतियाँ हैं। यह पुरस्कृत पुस्तक है। मास्को अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक सितम्बर 1985) में प्रदर्शित 550 पुस्तकों में एक यह भी थी। सौंपना चाहता हूँ। वह भी आपकी शर्तों पर। मेरी कोई शत नई

मुझे प्रकाशक ने उत्तर दिया - मुझको आपका प्रस्ताव कोशिश करुगा। और मैंने वे प्रतियाँ उनके पास भिजवा दी। मैं से मुक्त हुआ। अब मैं वापस अपने पूर्व बाने में था। वह है एक त

वैसे मैं राज्य सेवा के अंतिम वर्षों प्रशासनिक पदों पर २ वर्ष मैंने अनुसंधान का काम किया था। मेरी खोज दृष्टि जीवन्त है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में सचिव के पद पर रहते मेरे पैदा हुआ - बोर्ड परीक्षा में मेरिट प्राप्त छात्र छात्राओं की सर्वाधिक श्रेय किसको ? मुझे उत्तर तलाशना था। इस प्रश्न में मेरिट प्राप्त करने वाले ही दे सकते थे। मैंने उनके लिए एक प्रश्नाव उत्सम दो बातें मुख्य थीं। आप अपनी मेरिट-प्राप्ति का सर्वाधिक श्रेय हैं और क्यों ? ऐसे प्रत्येक छात्र-छात्रा को प्रश्नावली भेजी गई। उन एक प्रारूप और टिकिट लगा लिफाफा भजा गया। अधिकांश ने उन उन्होंने अपने स्वतंत्र विचार अंकित किये। इन उत्तरों ने मेरा उत्साह बढ़ाय क्या था। मैं इस प्रक्रिया को दुहराने लगा। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही मैं करता। सात वर्ष तक ऐसा करता रहा। अपनी रचना को वैध एवं मानक के लिए यह जरूरी था। इस प्रकार एकत्रित उत्तर मैंने सुरक्षित रख छोडे

बची भी रही। उनमें डायरी लिखना भी एक है। आदत भाव की डायरी लिखना मेरी आदत बन गया था। अब भी एक जेबी की ठीक वैसी जैसी कि नौकरी में खरीदता था। एक टेबिल-डायरी थी वैसी अब भी है। शुभेच्छु मित्र लाते हैं। वे जिनको कई सालों हैं। वे मुझे भेट कर जाते हैं। मेरा डायरी लिखना साल की एक एक-एक जेबी डायरी। हर साल की ही दो अलमारियों में दोनों सजी-धजी सुरक्षित हैं। मेरा जीवन का इतिहास कहने का माता होता है। इतिहास है भी। तब से आज तक का इतिवृत्त इनमें भरा पड़ा है।

५ से लिखता हूँ। प्रोजेपी नायक को शिक्षा के क्षेत्र ही शिक्षा आयोग (1964-66) के सदस्य राधिव थे। सम्मेलन में भाषण था। मैं भी उसमें उपस्थित था। इनके स्रोतों का जिक्र कर रहे थे। उसी प्रसंग में उन्होंने प्रोजेपी का नाम लेकर बताया कि वे नियमित रूप से मेरे छोटी-छोटी बातें भी लिखते। जैसे इतना गेहूँ इतनी दाल लाया। इतनी-इतनी कीमत चुकाई। जैसे इतने पैसे चुकाये। इनकी सफाई के नौकरानी के लिए इतना पैसा चुकाया। ऐसे ही घर में की जाने वाली वह व्यक्ति विस्तृत विवरण लिखता। प्रोजेपी के पूर्व के भाव-भाव का उस व्यक्ति की डायरियाँ ही मात्र एक मौलिक स्रोत है।

५ यह मैं इसी भाषण से समझा। सरकारी सेवा में सम्बन्धी बातें लिखता था। बाद में डायरी में

व्यक्ति का विस्तृत विवरण लिखता। किसी मित्र के नाम और आने के उद्देश्य लिखता। जैसे भी हो। विदेश की हो देश की हो जैसे भी हो। घर की हो - मैं डायरी में शादी ब्याह जन्म हारी-बीमारी होता अवश्य लिखता। मेरा सवेरा सुपाठ से शुरू होता। इस वर्णन के कारण से इनमें से किसी प्रवृत्ति का ज्ञान। राष्ट्र-विश्राम के पूर्व

डायरी का दायरा

मेरे लेखन का एक आयाम और भी है। मैं डायरी लिखता हूँ। डायरी लिखना मैंने शुरू नहीं किया। वह तो शुरू करवाया गया था। जब मैं मास्टर बना। पन्द्रहपन वर्ष पहले की बात है। मुझे स्कूल में एक डायरी मिली। वह शिक्षक डायरी थी। शिक्षा विभाग ने इसे लागू किया हुआ था। सभी अव्यापक लिखते थे।

इस डायरी में मुझे मेरी कक्षाओं को पढ़ाने के विषयों का पूरा ब्यारा लिखना पड़ता। सत्र भर का ब्योरा उसका उपसत्रवार विभाजन फिर मासिक और अंत में सप्ताहवार विभाजन। उसमें अध्यापकी से सम्बन्धित सभी कर्तृत्व लिखता। बड़ा मुश्किल काम। मेरे लिए ही नहीं अन्य अध्यापकों के लिए भी। लिखते-लिखते डायरी लिखना आ गया। यह समझ भी पैदा हुई कि डायरी भरी होना जरूरी है। भरी हुई डायरी की प्रधानाध्यापक जी की टेबिल पर पहुँच जरूरी है। प्रति सप्ताह सोमवार को। बस। बस इतना ही।

ऐसी डायरी मैंने 12 वर्ष तक भरी। फिर मेरी पदोन्नति हो गई। मैं हेडमास्टर बन गया। मेरा उस डायरी से पीछा छूटा। अब एक नई डायरी से पल्ला पड़ा। नाम था 'लॉग बुक'। लॉग बुक का शाब्दिक अर्थ है - रोजानामा यात्रा-दैनिकी या कार्य-पत्रिका। लॉग बुक संस्था का एक गोपनीय दस्तावेज होता था। 'एजुकेशन कोड' में निर्देश था। प्रत्येक प्रधानाध्यापक लॉग बुक का संधारण करेगा। उसमें विद्यालय संचालन सम्बन्धी सामान्य आर विशेष घटनाओं को प्रतिदिन लिखेगा। उसके आलेख आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्य के रूप में माने जायेंगे। जब तक प्रधानाध्यापक रहा लॉग बुक भरता। फिर और ऊँचा अधिकारी बन गया। लॉग बुक भरना भी बन्द।

अब एक की बजाय दो-दो डायरियाँ रखता। अपनी खुद की इच्छा से। एक जेबी डायरी। वह ऐसी खरीदता कि उसके आवरण में धन रखने को एक बटुआ भी हो। दूसरी टेबिल डायरी। भारी-भरकम। प्रतिदिन के लिए पूरा एक पृष्ठ होना जरूरी था। किसी भी दिन - खुद करने के काम आफिस से लेने के काम ऊपर से बताये हुए काम की अनुपालना यात्रा का ब्योरा आदि-आदि। खुद की सावधानी के लिए यह सब करना जरूरी था। उच्च अधिकारियों के सामने किकर्तव्यविमूढ न होना पड़े इस लिए और भी जरूरी। नौकरी तो नौकरी होती है। वह दी जाती है। एक निश्चित समय सीमा पर वह ले ली जाती है। दूसरे को दे दी जाती है। मैं भी नौकरी से निवृत्त हुआ। नौकरी की अनेक बातें छूट गईं।

परन्तु अनेक बची भी रही। उनमें डायरी लिखना भी एक है। आदत मानव की दूसरी प्रकृति है। डायरी लिखना मेरी आदत बन गया था। अब भी एक जेबी डायरी खरीदता हूँ। ठीक वैसी जैसी कि नौकरी में खरीदता था। एक टेबिल-डायरी भी। जैसी पहले होती थी वैसी अब भी है। शुभेच्छु मित्र लाते हैं। वे जिनको कई ऐसी डायरियाँ भेंट होती हैं। वे मुझे भेंट कर जाते हैं। मेरा डायरी लिखना अनवरत चालू है। हर साल की एक एक-एक जेबी डायरी। हर साल की ही एक-एक टेबिल डायरी। दो अलमारियों में दोनों सजी-धजी सुरक्षित हैं। मेरा उनको मेरे सेवानिवृत्त जीवन का इतिहास कहने का मन होता है। इतिहास है भी। सेवानिवृत्ति के प्रथम दिवस से आज तक का इतिवृत्त इनमें भरा पड़ा है।

मैं डायरी पूरे मनोयोग से लिखता हूँ। प्रोजेपी नायक को शिक्षा के क्षेत्र का कौन नहीं जानता। वे ही शिक्षा आयोग (1964-66) के सदस्य सचिव थे। उनका एक अखिल भारतीय सम्मेलन में भाषण था। मैं भी उसमें उपस्थित था। वे अपने भाषण में अनुसंधान के स्रोतों का जिक्र कर रहे थे। उसी प्रसंग में उन्होंने दक्षिणी भारत के एक महानुभाव का नाम लेकर बताया कि वे नियमित रूप से डायरी लिखते थे। डायरी में वे छोटी-छोटी बातें भी लिखते। जैसे इतना गेहूँ लाया इतना चावल लाया इतनी दाल लाया। इतनी-इतनी कीमत चुकाई। मंडी से घर लाने की मजदूरी के इतने पैसे चुकाया। इनकी सफाई के नौकरानी को इतने पैसे दिये। गेहूँ पिसाई के लिए इतना पैसा चुकाया। ऐसे ही घर में की गई प्रत्येक खरीद-फरोक्त का वह व्यक्ति विस्तृत विवरण लिखता। प्रोजेपी नायक ने कहा कि स्वतंत्रता के पूर्व के भाव-भाव का उस व्यक्ति की डायरियाँ ही भारत सरकार के पास आज मात्र एक मौलिक स्रोत है।

डायरी का इतना महत्व यह मैं इसी भाषण से समझा। सरकारी सेवा तक मैं डायरी में ज्यादातर नौकरी सम्बन्धी बातें लिखता था। बाद में डायरी में लिखने की बातें बदल गईं।

शुरुआती दिनों में मैं घरू खर्च का विस्तृत विवरण लिखता। किसी मित्र से मिलने जाता वह भी लिखता। आगन्तुकों के नाम और आने के उद्देश्य लिखता। महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखता। कहीं की भी हो। विदेश की हो देश की हो राज्य की हो मेरे नगर की हो पास पड़ोस की हो घर की हो - मैं डायरी में लिख डालता। पास-पड़ोस की घटनाओं में शादी ब्याह जन्म हारी-बीमारी मरण या जो भी कार्यक्रम जिसमें मैं शामिल होता अवश्य लिखता। मेरा संवेदा वायुसेवन देवदर्शन आसन व्यायाम और पूजापाठ से शुरु होता। इस वर्णन से प्रत्येक पृष्ठ को शुरु करता। किसी दिन किसी कारण से इनमें से किसी प्रवृत्ति में चूक हो जाती तो यह भी डायरी में लिखा जाता। रात्रि-विश्राम के पूर्व

डायरी का दायरा

मेरे लेखन का एक आयाम और भी है। मैं डायरी लिखता हूँ। डायरी लिखना मैंने शुरू नहीं किया। वह तो शुरू करवाया गया था। जब मैं मास्टर बना। पचपन वर्ष पहले की बात है। मुझे स्कूल में एक डायरी मिली। वह शिक्षक डायरी थी। शिक्षा विभाग ने इसे लागू किया हुआ था। सभी अध्यापक लिखते थे।

इस डायरी में मुझे मेरी कक्षाओं को पढ़ाने के विषयों का पूरा ब्योरा लिखना पड़ता। सत्र भर का ब्योरा उसका उपसत्रवार विभाजन फिर मासिक और अंत में सप्ताहवार विभाजन। उसमें अध्यापकी से सम्बन्धित सभी कर्तृत्व लिखता। बड़ा मुश्किल काम। मेरे लिए ही नहीं अन्य अध्यापकों के लिए भी। लिखते-लिखते डायरी लिखना आ गया। यह समझ भी पैदा हुई कि डायरी भरी होना जरूरी है। भरी हुई डायरी की प्रधानाध्यापक जी की टेबिल पर पहुँच जरूरी है। प्रति सप्ताह सोमवार को। बस। बस इतना ही।

ऐसी डायरी मैंने 12 वर्ष तक भरी। फिर मेरी पदोन्नति हो गई। मैं हेडमास्टर बन गया। मेरा उस डायरी से पीछा छूटा। अब एक नई डायरी से पल्ला पड़ा। नाम था 'लॉग बुक'। लॉग बुक का शाब्दिक अर्थ है - रोजनामचा यात्रा-दैनिकी या कार्य-पजिका। लॉग बुक सस्था का एक गोपनीय दस्तावेज होता था। 'एजुकेशन कोड' में निर्देश था। प्रत्येक प्रधानाध्यापक लॉग बुक का संधारण करेगा। उसमें विद्यालय संचालन सम्बन्धी सामान्य और विशेष घटनाओं को प्रतिदिन लिखेगा। उसके आलेख आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्य के रूप में माने जायेंगे। जब तक प्रधानाध्यापक रहा लॉग बुक भरता। फिर ओर ऊँचा अधिकारी बन गया। लॉग बुक भरना भी बन्द।

अब एक की बजाय दो-दो डायरियाँ रखता। अपनी खुद की इच्छा से। एक जेबी डायरी। वह ऐसी खरीदता कि उसके आवरण में धातु रखने को एक बटुआ भी हो। दूसरी टेबिल डायरी। भारी-भरकम। प्रतिदिन के लिए पूरा एक पृष्ठ होना जरूरी था। किसी भी दिन - खुद करने के काम आफिस से लेने के काम ऊपर से बताये हुए काम की अनुपालना यात्रा का ब्योरा आदि-आदि। खुद की सावचेती के लिए यह सब करना जरूरी था। उच्च अधिकारियों के सामने विकर्तव्यविमूढ न होना पड़े इस लिए और भी जरूरी। नौकरी तो नौकरी होती है। वह दी जाती है। एक निश्चित समय सीमा पर वह ले ली जाती है। दूसरे को दे दी जाती है। मैं भी नौकरी से निवृत्त हुआ। नौकरी की अनेक बातें छूट गईं।

परन्तु अनेक बची भी रही। उनमें डायरी लिखना भी एक है। आदत मानव की दूसरी प्रकृति है। डायरी लिखना मेरी आदत बन गया था। अब भी एक जेबी डायरी खरीदता हूँ। ठीक वैसी जैसी कि नौकरी में खरीदता था। एक टेबिल-डायरी भी। जैसी पहले होती थी वैसी अब भी है। शुभेच्छु मित्र लाते हैं। वे जिनको कई ऐसी डायरियाँ भेंट होती हैं। वे मुझे भेंट कर जाते हैं। मेरा डायरी लिखना अनवरत घालू है। हर साल की एक एक-एक जेबी डायरी। हर साल की ही एक-एक टेबिल डायरी। दो अलमारियों में दोनों सजी-धजी सुरक्षित हैं। मेरा उनको मेरे सेवानिवृत्त जीवन का इतिहास कहने का मन होता है। इतिहास है भी। सेवानिवृत्ति के प्रथम दिवस से आज तक का इतिवृत्त इनमें भरा पड़ा है।

मैं डायरी पूरे मनोयोग से लिखता हूँ। प्रोजेपी नायक को शिक्षा के क्षेत्र का कौन नहीं जानता। वे ही शिक्षा आयोग (1964-66) के सदस्य सचिव थे। उनका एक अखिल भारतीय सम्मेलन में भाषण था। मैं भी उसमें उपस्थित था। वे अपने भाषण में अनुसंधान के स्रोतों का जिक्र कर रहे थे। उसी प्रसंग में उन्होंने दक्षिणी भारत के एक महानुभाव का नाम लेकर बताया कि वे नियमित रूप से डायरी लिखते थे। डायरी में वे छोटी-छोटी बातें भी लिखते। जैसे इतना गेहूँ लाया इतना चावल लाया इतनी दाल लाया। इतनी-इतनी कीमत चुकाई। मंडी से घर लाने की मजदूरी के इतने पैसे चुकाये। इनकी सफाई के नौकरानी को इतने पैसे दिये। गेहूँ पिसाई के लिए इतना पैसा चुकाया। ऐसे ही घर में की गई प्रत्येक खरीद-फरोक्त का वह व्यक्ति विस्तृत विवरण लिखता। प्रोजेपी नायक ने कहा कि स्वतंत्रता के पूर्व के भाव-भाव का उस व्यक्ति की डायरियाँ ही भारत सरकार के पास आज मात्र एक मौलिक स्रोत है।

डायरी का इतना महत्व यह में इसी भाषण से समझा। सरकारी सेवा तक मैं डायरी में ज्यादातर नौकरी सम्बन्धी बातें लिखता था। बाद में डायरी में लिखन की बातें बदल गईं।

शुरुआती दिनों में मैं घरू खर्च का विस्तृत विवरण लिखता। किसी मित्र से मिलने जाता वह भी लिखता। आगन्तुकों के नाम और आने के उद्देश्य लिखता। महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखता। कहीं की भी हो। विदेश की हो देश की हो राज्य की हो मेरे नगर की हो पास पड़ोस की हो घर की हो - मैं डायरी में लिख डालता। पास-पड़ोस की घटनाओं में शादी ब्याह जन्म हारी-बीमारी मरण या जो भी कार्यक्रम जिसमें मैं शामिल होता अवश्य लिखता। मेरा सबेरा वायुसेवा देवदर्शन आसन व्यायाम और पूजापाठ से शुरु होता। इस वर्णन से प्रत्येक पृष्ठ को शुरु करता। किसी दिन किसी कारण से इनमें से किसी प्रवृत्ति में चूक हो जाती तो यह भी डायरी में लिखा जाता। रात्रि-विश्राम के पूर्व

अपनाई जा रही प्रवृत्तियों से प्रत्येक पृष्ठ को समाप्त करता। इन प्रवृत्तियों में खास कर उस धार्मिक पुस्तक का नाम और अध्यायों की संख्या लिखता जो मैं क्रमशः पढ़ता जाता। जब एक पुस्तक पूरी हो जाती तो किसी अन्य को शुरू करता। तब उसका नाम और अध्याय लगातार लिखता जाता। अंत में साधना का वर्णन लिखता। इसका कोई नया अनुभव होता तो वह भी लिख डालता। कब-कब क्या इलहाम हुआ यह भी मेरी डायरी के किसी न किसी पृष्ठ पर अवश्य लिखा मिलेगा।

बाद में एक ऐसा जमाना आया जब मैं पढ़ने लगा। मैंने कम पढ़ाई नहीं की। खूब की। अपने आसन पर बैठता और पढ़ता। सेवा-निवृत्त-जीवन वानप्रस्थी का जीवन होता है। साधु-सन्तों की जीवनियाँ उनके अनुभव उनसे साक्षात्कार उपनिषद् नीति सम्बन्धी पुस्तकें और अलग-अलग सतों के द्वारा बतलाई गई साधना की विधियों पर मैंने कई पुस्तकें पढ़ डाली।

मैं अनुसंधान का विद्यार्थी हूँ। पुस्तक का नाम लेखक संस्करण क्रम और प्रकाशन वर्ष लिखता हूँ। फिर पढ़ना शुरू करता हूँ। उसकी कोई लिखने लायक बात लिखने के पहले पृष्ठ संख्या लिखना नहीं भूलता। इसलिए कि कब किस बात को कहाँ लिखनी पड़ जाये। तब सदर्भ तत्काल उपलब्ध हो जाये।

मैं बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। ऐसा पढ़ता हूँ कि वापस सुना सकूँ। पढ़ने के दिनों की डायरियों पढ़ी गई पुस्तकों के 'गुटके' हैं। कब किस पुस्तक को शुरू की ? पढ़ने में कितने दिन लगे ? कब पूरी की ? कितना दिन तक नई पुस्तक नहीं शुरू की ? कब से नई पुस्तक शुरू की ? जब मैं जानना चाहूँ जान सकता हूँ। दूसरा कोई जानना चाह तो वह भी जान सकता है।

पढ़ाई के समय कोई मिन आ जाता तो उसका स्वागत करता। बातें करता। पूछने पर बताता। उस अध्ययन में भागीदार बनाने का यत्न करता। घरेलू और सामाजिक दायित्व बराबर निभाता। इनका ब्योरा भी डायरी में लिखता। जब किसी पृष्ठ पर जगह कम रह जाती तो अति संक्षेप में लिखता। फिर भी जगह न बचती तो मार्जिन में बची जगह पर ही लिख डालता। पर सदेरे से रात्रि विश्राम तक का विवरण लिखता।

मेरी पढ़ाई के कारोबार में धीरे-धीरे मदी आने लगी। मदी का कारण कारोबार में बदलाव था। पढ़ने की बजाय ज्यादा समय लिखने में लगने लगा। लिखने के काम में भी मैं पीछे नहीं रहा। 'लेखन का लेख' मैंने अलग लिखा है। पर डायरी तो जीवन का लेख है। जो गुजर चुका उसको सुस्पष्ट करती है। जो गुजर रहा है उससे सजग रखती है। जो गुजर सकता है उसकी ओर इंगित करती है। इस लिये डायरी लिखना मेरे लिए सार्वकालिक है। लिखने के

दिना में मैं डायरी में लिखन का ब्योरा लिखता। रचना का नाम लिखता। उसकी प्रगति का वर्णन लिखता। प्रकरण का शीर्षक लिखता। वह जितने दिन चलता प्रतिदिन डायरी में लिखता जाता। जब पूरा हो जाता तो उसको लिखता। प्रत्येक नये प्रकरण का ब्योरा इसी प्रकार लिखता जाता। उसके शोधन-सशोधन का काम करता तो यह पक्ष भी लिखता।

ये सब बातें तब लुप्त हो जाती जब किसी कामकाजी यात्रा पर निकल जाता। उन दिनों यात्रा से सम्बन्धित बातें डायरी में लिखता। टिकिट न किराया दर्जा रवानगी दिनांक और समय गाड़ी का नाम गन्तव्य का स्थान वहाँ पर पहुँच का दिनांक समय और ठहरने का स्थान। वहाँ किये गये कार्य का दैनिक विवरण साथी-सहयोगियों के नाम कुछ नये स्थान देखे गये तो उनके नाम जब किसी नये व्यक्ति से मुलाकात होती और भविष्य के लिए भी उसकी उपयोगिता आकता तो उसका पद व पता विस्तार के साथ लिखता। यात्रा के प्रारंभ के समय लिखी बातें वापसी की यात्रा के अवसर पर भी यथावत लिखता। इस प्रक्रिया को आज तक निमात्ता चला आ रहा हूँ।

कामकाजी यात्राओं से तीर्थ-यात्राएँ भिन्न होती हैं। इन यात्राओं में दिल-दिमाग बहुत-कुछ हल्का-फुल्का। परन्तु डायरी के पते उन दिनों के पूरे भारी भरकम। तीर्थ-यात्रा टोली में होती है। कोई जवान कोई बूढ़ा। किसी को क्या पसंद किसी को क्या नापसंद। किसी की किसी देवता में आस्था किसी की किसी में। कोई फरियाद दिल कोई कजूस। किसी को बार-बार भूख लगे किसी को नींद ही न आये। ऐसी टोली में यात्रा के दिनों को गुजारना बड़ी टेढ़ी खीर। इससे एक कदम आगे। कभी कोई नाक-भौं सिकोड़े कभी कोई अन्यमनस्क और कोई-कोई अपने आपमें ही रमा हुआ। ऐसे हालात में गुजरते चलो और तीर्थ-यात्रा होती चले। ऐसी बातें भी डायरी का भाग तो बनती ही हैं। फिर जो स्थान देखे जिन-जिन देवताओं के दर्शन किये उनका विवरण। पड़ो के द्वारा यात्रियों से रुपये झटकवाने की अनेक शैलियाँ। उन शैलियों में भी कोई-कोई तो ऐसी जिसे पूरी लिखे बिना मन को सतोष न हो। इसके अलावा खरीददारी का लेखा-जोखा। ठहरने के स्थान का नाम-पता। इस सब कुछ के अलावा किसी दूसरे स्थान के लिए रवाना होने पर उस दिन की डायरी में स्टेशन का नाम गाड़ी का नाम टिकिट न किराया आदि का विवरण लिखना तो एक अनिवार्यता थी ही। एक तीर्थ यात्रा कई दिनों तक चली होगी। कई दिनों तक चलने वाली यात्राएँ भी मैंने 3-4 ही की होगी। परन्तु ऐसे अवसरों पर मैंने मेरी डायरी के साथ पूरा न्याय किया।

एक-दो मेरे मित्र यात्रा पर जा रहे थे। मुझसे मिलने आये। अमुक-अमुक स्थानों की यात्रा करेगे - यह भी बताया। मैं भी वहाँ गया हुआ था। मैंने उन स्थानों की यात्रा के वर्ष को याद किया। डायरी निकाली। उनको जानकारी दी। क्या करना है क्या नहीं करना है - यह बताया। लौटकर वे मुझसे मिलने आये। बताया कि अगर आपसे मिलकर नहीं जाते तो भारत सेवाश्रम संघ की धर्मशाला का लाभ नहीं मिलता। स्वामी प्रणवानदजी ने धर्मप्राण तीर्थ-यात्रियों की महान् सेवा की है। पड़ो के शोषण से मुक्ति के लिए ये सुरक्षात्मक किले हैं।

कभी ऐसे भी दिन आते जब मैं ससारी जजाल में खो जाता। कुछ ऐसा व्यस्त हो जाता कि डायरी लिखना भूल जाता। इस भूल को जब मैं शब्दायित करता हूँ तो मुझे शर्म महसूस होती है। पर यह सही है। ऐसा होता है। दो-तीन दिन के अन्तराल के बाद जब डायरी उठाता हूँ तो पिछले पृष्ठ खाली मिलते हैं। ऐसे में कुछ कागज टटोलता हूँ कुछ याद करता हूँ कुछ पूछताछ करता हूँ और उन पृष्ठों पर जब लिखने लगता हूँ तो लगता है जैसे खानापूर्ति कर रहा हूँ। पर ऐसा भी करता हूँ। मात्र इसलिए कि वे पृष्ठ खाली न रहे वे पृष्ठ मेरे अस्तित्व का बोध कराये।

ऊपर लिखी बातों के अलावा भी मेरी डायरियों में बहुत कुछ है। क्या-क्या गिनाऊँ। कैसे-कैसे बताऊँ। एक दिन मेरे रिश्तेदार भैया आये। तीन-चार साल पहले की बात होगी। कहने लगे - मेरे बाबा जिस दिन स्वर्गवासी हुए उस दिनांक में 'कन्फ्यूज' है। आप डायरी लिखते हैं। बताइये वह दिनांक क्या था ? मैंने कहा - मेरी डायरी में लिखा होना क्या जरूरी है ? उन्होंने कहा - उस दिन आप पधारे थे। आपने जरूर लिखा होगा। मैंने उनके द्वारा बताये वर्ष की डायरी निकाली। बताये गये मास के विवरण देखने शुरू किये। निश्चित दिनांक का पता लग गया। मेरी डायरी से उनकी सेवा हो गई। मेरी पत्नी जानती है कि मैं डायरी लिखता हूँ। घरेलू पर्व त्योहारों पर गत वर्ष किन-किन को आमन्त्रित किया था। किस-किस को क्या-क्या भेट सम्मान आदि प्रदत्त किये गये थे यह भी मैं लिखता हूँ। वह जब पूछती है तो मैं उनको बता देता हूँ। मेरे वैयक्तिक जीवन के विभिन्न आयामों के लिए मेरी डायरियों 'रेडी रेकनर' का काम करती हैं। शर्त यही है कि उस प्रकार का अवसर पहले आ चुका हो या आया तो हो मगर लिखना मैं भूला न होऊँ। मेरे पत्र व्यवहार के मामले में तो मेरी डायरी रवानगी रजिस्टर की सेवा करती है। मेरे यहाँ से गये प्रत्येक पत्र का विवरण उसी दिन मैं डायरी में निर्विकल्प रूप से लिखता हूँ। और भी बातें हैं। डायरी लिखना मुनाफे का सौदा है। घाटे का हर्गिज नहीं। शर्त एक ही है कि ईमानदारी से भरी जाये।

डायरियों शायद सैंकड़ों वर्षों से लिखी जाती रही हैं। राजदरबार में तो दैनिक हकीकत लिखने को अधिकारी नियुक्त होते थे। देश के महापुरुष समाज सेवक राजनेता वैज्ञानिक और साहित्यकारों की डायरियों ने समाज पर भारी प्रभाव छोड़ा है। महात्मा गांधी ने तो सत्य के आराधक के लिए डायरी को पहरेदार की उपमा दी है। व्यापारी के लिए वही ऐसी डायरी है जो उसके व्यापार की रीढ़ है।

पिछले दिनों जैन बन्धुओं की डायरी ने भारतीय राजनीति में भूकम्प ला दिया। उस भूकम्प की कपन आज भी लक्षित होती रहती है।

आज के करीब 35 वर्ष पहले मैं अपनी जन्मभूमि गया। वहाँ मेरे एक मित्र थे। मास्टर थे। बड़े मजेदार आदमी। वे भी डायरी लिखत थे। वे डायरी में शेरों-शायरी ज्यादा लिखते। एक पृष्ठ पर उन्होंने लिखा था -

हाथ खाली हो या भरे राही।

मगर साफ होना जरूरी है।।

मेरे मित्र ने अपनी डायरी में इस शेर को जब लिखा होगा तब तो शायद उन्होंने इसका महत्व न भी जाना हो। पर आज तो इसका महत्व सर्वोपरि कह दिया जाये तो भी अत्युक्ति नहीं होगी।

यह भी डायरी की ही करामात है।

मैत्री - नये नये समीकरण

मेरी नगरी की कई विशेषताएँ हैं। इसमें एक शायद सबसे बड़ी विशेषता - यह 'सस्थाओं की नगरी' के नाम से ख्याति प्राप्त है। यहाँ के इतिहासकारों कलावतों शिक्षाविदों प्रशासकों समाजसेवकों ने राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया। उनमें सँ कई न अपन-अपने प्रयोग के लिए सस्थाएँ स्थापित कीं। जो आज उनके नाम से जानी जाती हैं। उनके काम को आगे बढ़ा रही हैं।

मेरे आवास के आसपास भी कई सस्थाएँ हैं। इनमें कतिपय तो बहुत पुरानी। एक दिन एक महिला-सस्था के सस्थापक मेरे आवास पर पधारे। सस्था-मन्त्री भी साथ थी। कहने लगे - आप हमारी सस्था से सहयोग कीजिये। हम महिलाओं और बालकों की शिक्षा का काम करते हैं। इसकी शुरुआत हमने सन 1937 में की थी। आप जैसे योग्य और अनुभवी व्यक्ति हमें चाहिए। हमने आपके अमुक-अमुक मित्रों को सदस्य बनाया है। आपको भी बनना है। इस कथन के पश्चात् हील-हुज्जत की गुजाइश नहीं थी। मैंने स्वीकृति दे दी। किसी सस्था की मेरे अनौपचारिक समूह में यह प्रथम घुसपैठ थी। मैं इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने लगा। मेरे अनौपचारिक समूह के तीन-चार मित्र इन बैठकों में अवश्य मिलते। मित्र-मिलन की इससे आशिक पूर्ति होती। अब हम तीन-चार सदस्य इसकी बैठकों के दिनों के अलावा के दिनों में ही पिकनिक में शामिल हो पाते थे। यह स्थिति मेरी सेवानिवृत्ति को एक वर्ष होते-होते आ गई।

करीब छ माह और गुजरे। एक अन्य सस्था में मन्त्री मेरे आवास पर पधारे। उनकी कार्यकारिणी समिति के तीन सदस्य साथ थे। मुझे आजीवन सदस्य बनाना चाहा। कहने लगे - शुल्क आप दें न दें। हम जब से देगे। पर आपको सदस्य बनना पड़ेगा। अब मैं क्या करता। सदस्य बनना पड़ा। शुल्क भी देना पड़ा। यों मैं दो सस्थाओं से जुड़ गया। अब दो सस्थाओं की बैठकों के दिनों को टालकर ही पिकनिक का आयोजन संभव रह गया। इस सस्था में हमारे पिकनिक-मित्रों की संख्या काफी ज्यादा थी। यहाँ अधिक मित्रों से मुलाकात होती। इसी सस्था के एक महत्वपूर्ण सदस्य तीसरी सस्था की कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण पद सम्भाले हुए थे। उन्होंने मेरा उस सस्था में भी अधिष्ठापन करा दिया। मेरी सेवानिवृत्ति को दो वर्ष पूरे होते-होते मुझे तीन समाजसेवी शैक्षिक सस्थाओं ने अपना सदस्य बना लिया। इसी अन्तराल में हम

लोगो ने अपना सगठन खडा कर लिया। शिक्षा सेवाओं से निवृत्त अधिकांश अधिकारी इससे जुड गये। इस सगठन के बेनर तले हम लोग पिकनिक करने लगे। ये सहज की बजाय औपचारिक थी। इनका आयोजन अधिकारी परिषद् के क्रिया कलापो का अंग था। लोगो को खीच कर इकटठा करना पडता। लेजाना पडता। लोग खिचे हुए नही आते थे।

हमारे अनौपचारिक समूह मे इस प्रकार चार औपचारिक समूहो की घुसपैठ हो गई। अब हमारा प्रत्येक मित्र कई सस्थाओं का सदस्य था।

सस्थाओं के भी अपने-अपने स्वरूप थे। विस्तार मे नही जाना अच्छा हे। अति सक्षम में उनके तीन स्वरूप थे। किसी की आर्थिक स्थिति पहले कभी अच्छी थी। दूरदर्शिता कम बरती गई या नही बरती गई। कार्यकर्ताओं को उदारता स आर्थिक लाभ दिये गये। शायद इस भ्रात धारणा से कि इससे सस्था का रुतबा बडेगा। कालांतर मे आय घट गई। अब ये सस्थाए आर्थिक सकट से उत्पीडित थी। कोई पहले आर्थिक सकट झेल चुकी। अब वे सम्पन्न हो गई। सम्पन्नता शायद दूरदर्शिता खो देती है। आगे क्या होगा इससे वे बेखबर। निरकुशता के साथ खर्वे। अवाछित परिपाटियों का प्रादुर्भाव। ये एकतरह से भावी सकट को आमत्रित कर रही थी। किन्ही सस्थाओं मे खर्चों का नियमन था। वे अधिक व्यवस्थित प्रतीत होती थी। ये सभी समाजसेवी सस्थाए हैं। सस्थापको ने समाज-सेवा के लिए इनका गठन किया था। इनमे सेवाभावी कार्यकर्ता थे। तब बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता था। फिर भी वे सतुष्ट थे। बाद मे सरकार से इनको अनुदान दिया जाने लगा। आर्थिक सहायता देने वाला अपनी शर्तों पर सहायता देता है। कार्यकर्ताओं पर क्रमश सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रचलित नियम लागू होने लगे। सेवाभावी कार्यकर्ताओं का दृष्टिकोण सरकारी कर्मचारियों का दृष्टिकोण बनने लगा। सेवा की भावना इन सस्थाओं के कार्यकर्ताओं से लुप्त होने लगी। ऐसा नजर आने लगा जैसे 'समाज-सेवा' हमारे समाज मे मात्र एक विचार के रूप मे ही प्रतिष्ठापित रहेगी। इस प्रकार की तीन-चार सस्थाओं का मैं सदस्य था।

इन सस्थाओं को सहयोग देना मेरे लिए नया काम था। सस्था के स्वरूप के अनुसार मेरी शैली विकसित होती गई। मे जिस किसी समिति का सदस्य होता उसकी बैठको मे भाग लेता। कानून-कायदे की राय देता। कानून-कायदे से चलन के दो अंतिम छोर थे। कोई इन्हे पूरा निभाती। किसी के मुखिया मानते कि ऐसा ही करने लगे तो सरकारी और निजी सस्थाओं मे अन्तर ही क्या ? इन दो के बीच कई वर्ग। कायदे से चलने वाली सस्था को मेरा सहयोग सहज। अन्य वर्ग की सस्थाओं से मैं किनारा काटता। सस्थाओं से मेरे सहयोग की यही शैली थी। परन्तु इस सहयोग ने हमारे अनौपचारिक समूह का विघटन शुरू कर दिया।

हम लोग अब सस्थाओ की बैठको मे मिलते। जिस सस्था मे हम मे से जितने सदस्य उतनो से ही हमारी मुलाकात होती। कही तीन कही अधिक अधिक से अधिक नो तक भी। इन सस्थाओ के क्रिया-कलाप हमारी मुलाकातो क मुख्य माध्यम थे।

इन बैठको मे परोसी जाने वाली चाय नाश्ते या जलपान का हम लोग आनद लेते। प्रत्येक सस्था मे आमसभा की बैठक होती। यह वर्ष मे एक बार होती। इसमे सत्र भर के कार्यक्रमो का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता। चर्चा होती। सस्था की ओर से सहभोज होता। ऐसे सहभोजो मे हमारे अनौपचारिक समूह क सभी सदस्य मिलते। सस्था क कुछ अन्य सदस्य वहाँ होत। कुछ विशेष आमत्रित भी उनमे शामिल होते। आम सभाओ के पश्चात् के सहभोजो मे हम पहले वाली पिकनिको का आनद दूढते। ये भोज सस्था परिसर मे होते। हमारी पिकनिके रमणीक प्राकृतिक स्थलो पर होती। इन भोजो मे कई वर्गो का प्रतिनिधित्व होता। पिकनिको मे मान मित्रो का समूह होता। इन भोजो मे मिलने-जुलने की अवधि भोजनावधि तक सीमित थी। पिकनिक तो सारे दिन मजा देती थी। पिकनिक का मजा इन सहभोजो मे कहाँ ? हम वैसे कार्यक्रम के लिए तरसते थे। पर कर नही पाते थे। करते भी कैसे।

सस्थाओ मे हर तीसरे साल नई कार्यकारिणी का गठन होता। आम सभा के सदस्य इसको चुनते थे। सस्था मे सदस्य सेवा के लिए होते हैं। आपसी राय से रीति-नीति निर्धारित करते हैं। उस अनुसार सस्था चलती है। सदस्यो मे एक जुटता जरूरी है। चुनाव एक-जुटता पर विपरीत प्रभाव डालते है। एक पद के जितने ज्यादा उम्मीदवार एक-जुटता पर उतना ही विपरीत प्रभाव। कार्यकारिणी के सभी पदो पर ऐसा हो तो एक-जुटता मात्र बात करने को बच रहती है। मतभेद हो पर मनभेद न हो का सिद्धान्त अच्छा लगता है। परन्तु पालने मे असभव जैसा।

पद के लिए चुनाव लडना। मिया-मिडू बनते घर-घर प्रघार कराना। अपनी साख मतो से नपवाना। ऐसी जीत के माध्यम से महत्वपूर्ण बनना। समाज-सेवक कहलवाना। कुछेक की मजबूरी हो सकती है। उनकी जो अपने महत्व से वाकिफ नही। ऐसे कितने से। वे ऐसे झमेले मे नही पडते जो अपना महत्व जानते हैं। मेरे कई मित्र अध्यक्षीय व्यवस्था के पक्षधर थे। सर्वसम्मत अध्यक्ष तय किया जाये। उसको अपनी कार्यकारिणी बनाने का अधिकार दिया जाये। उसके निर्णय को सर्वसम्मत माना जावे। जिससे एक-जुटता बनी रहे। परन्तु हमारे अपने ही अतरंग मित्रो को यह तरीका पसद नही था। वे विरोध करते। परन्तु चुनाव मे सर्वसम्मत अध्यक्ष तय किया जाता। उसको अपनी

कार्यकारिणी घोषित करने का अधिकार दिया जाता। इस प्रकार घोषित कार्यकारिणी आम सभा द्वारा घयनित मानी जाती। ऐसा होता जाता। ऐसा हाने पर अपन ही अतरंग मित्रों से क्षमता-क्षमायाचना के सीधे यत्न नहीं किये जाते। शीत-विरोध बढ़ना स्वाभाविक था। व्यक्ति-व्यक्ति के आपसी सम्बन्ध अतरंग नजर आते। परन्तु दोनों विचारों वाले समूहों का मिलन अब बड़ा मुश्किल। पिकनिक का पुराना रूप अब मात्र स्मृति का अंग रहता रहा। नये-नये समीकरणों में हमारा पुराना औपचारिक समूह काफूर हाँता गया। इसी समूह का कोई सदस्य अब अपनी ही सस्था की पूर्णकालिक सेवा में लग गया। किसी ने अपना ही कारोबार बढ़ा लिया।

पुराने मित्रों की मैत्री अब भी कायम है। इतना अवश्य है कि अब मित्र दो-दो तीन-तीन के समूह में मिलते हैं। शारीरिक शक्ति अब ऋणात्मकता की ओर अग्रसर है। जोश-खरोश घटता जा रहा है। ज्यादा लम्बी यात्रा अब मुफीद नहीं। फिर भी मैत्री का तत्व मडली के रूप में प्रस्फुटित हुए दिना नहीं रहता।

मेरी एक और भी मडली है। अनजाने मित्रों की मडली। इसकी पृष्ठभूमि में स्वास्थ्य और देवदर्शन है। इसीलिए मैं रोजाना सवेरे गुलाबबाग जाता हूँ। वहाँ जाना वर्षों से चल रहा है। तब से जब सेवा से निवृत्त होकर आया था। तब सवेरे जल्दी जगता। जल्दी-जल्दी तैयार होता। चल पड़ता। बगीचे में प्रवेश करता। बगीचे की सीमा पर एक दीवार बनी है। दीवार के अन्दर की तरफ एक पक्की सड़क है। यह सड़क मेरे वायुसेवन का मार्ग था। बीच में एक सधन कुज आता था। उसमें एक बैच थी। उस पर बैठकर मैं 'नादब्रह्म' की उपासना करता। फिर आगे बढ़ता। धीमा दौड़ो-तेज चलो के सिद्धान्त का पालन करता। आज भी करता हूँ। पर तब में और अब में अन्तर है। तब जल्दी जगकर जाता था। अब देरी से जगकर जाता हूँ। अब वायुसेवन का मार्ग कट-छट गया है। इस मार्ग में भी कुछ दर्शनीय स्थल हैं। अब इन पर अधिक समय लगने लगा है। पहले वायुसेवन करके सीधा घर आता था। अब गुलाबबाग में एक पड़ाव भी लगता है। पड़ाव स्थल है हनुमानजी का मंदिर। यहाँ कई बुजुर्ग और युवक इकट्ठे होते हैं। सबके आराध्य देव हनुमानजी हैं। इसी विशेषता ने एक अनौपचारिक समूह का गठन कर दिया। मैं भी इसका सदस्य हूँ। मैं हनुमानजी की उपासना करीब 35 मिनट तक करता हूँ। इतनी अवधि होने से मैंने प्रत्येक को साधना करते देखा है। यह अनुभव भी अतोखा है। इस समूह को मैं सतरंगी समूह कहता हूँ। हम लोग एक दूसरे का नाम नहीं जानते। कौन क्या है ? क्या था ? यह भी नहीं जानते। हम लोग मात्र शवल से एक दूसरे को जानते हैं। उसमें भी पहिनावा मुख्य है। पहचान-पहनावा ही है। कोई नहीं आया तो पूछते हैं - वे पीली पगड़ी वाले नहीं आये क्यो ? इन पहचान चिह्नों से ही हम लोग एक दूसरे के लिए

पूछ-ताछ करते हैं। जो-जो मिले उनसे मिल कर आनंदित होते हैं। अनुभवों का आदान-प्रदान होता है। जीवन जीने का गुरु एक दूसरे से जानते हैं। हँसी मजाक करते हैं। ऐसे निस्वार्थ सदस्यों वाला अनौपचारिक समूह आज की दुनिया में दुर्लभ है। मुझे लगता है इनमें कुछेक निश्चित ही परमहंस हैं। मैं इनकी ओर खिंचा हुआ प्रतिदिन गुलाबबाग घला जाता हूँ। जब लौटता हूँ तो ताजगी प्रसन्नता और आनंद से भरपूर होता हूँ।

ऐसी मडली चलती है। इसमें योजक तत्व अवस्थित है। अतः यह चलेगी। कब तक ? यह नहीं जानता। इतना जानता हूँ कि किसी न किसी घमत्कारिक शक्ति या व्यक्तित्व से मानव समूह सगठित होता है। सगठित रहता है। परन्तु मानव समूह का प्राकृतिक रुझान विघटन की ओर होता है। इस मडली का भी देर-सवेर विघटन होगा। मानव समूह कोई सा भी हो कहीं भी हो उसकी यही नियति है।

मैत्री समूह का विघटन और नये समूह का आविर्भाव तो मात्र उदाहरण हैं। सेवा निवृत्त जीवन की 'नई शुरुआत' से आज तक अनेक समीकरण बने। उनमें कई का रूपान्तरण हुआ। कई विघटित हुए। कई नये-नये रूप में उभरे। कार्यों के अनेक रूप। परन्तु उनमें भी लगातार परिवर्तन। फिर भले वह लेखन हो भाषण हो स्वाध्याय हो साधना की दिशा हो वायुसेवन की सीमा हो योगासन का अनुपान हो सामाजिक कार्यों में भागीदारी का स्वरूप हो मौलिक ग्रंथ रचना का आयाम हो कुटुम्ब की उपादेयता के लिए करणीय कार्य हो या फिर जैसा कि अभी-अभी कहा गया प्रतिदिन मिलने वाले मित्र ही क्या न हा। सभी दिशाओं में अनवरत समीकरण।

जिस प्रकार से सेवारत जीवन के पिछले 25-30 वर्ष लगातार फँलाव की कहानी कहते रहे थे वैसे ही सेवानिवृत्त-जीवन के पिछले 20 वर्ष किसी विशेष प्रकार की वापसी की कहानी कहने लगे। पहले हमने बस्त का बोझ बढ़ाया। सूचनाओं को शिक्षा माना। अब हम बोझ घटाने को महत्व देने लगे। कहने लगे-सूचनाओं को हटाओ सिद्धान्तों को स्थान दोगे तो बस्ते का बोझ घटेगा। पहले पढ़ाने को महत्व था। खूब पढ़ाओ। पढ़ाते चले जाओ। वह जरूरी था। ऐसा करके ही अधिकतम सूचनाओं से भरा पाठ्यक्रम पूरा हो सकता था। मोटी-मोटी पाठ्यपुस्तकें पढ़ाई जा सकती थीं। तब विद्यार्थियों के तेतीस प्रतिशत जानने से ही कक्षोन्नति होजाती थी। अब सीखना महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। ऐसे सिद्धान्तों कि सीखने वाले का सीखना पारगति पर पहुँचे। इसके लिए अधिकतम का स्थान 'न्यूनतम लेने लगा है। 'न्यूनतम अधिगम स्तर अब शिक्षा में महत्वपूर्ण है। इसमें पारगति आवश्यक है। स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा में आर्थ

वाक्य था - थोड़ा पढाओ पर पक्का पढाओ। हम वापस उसी ओर लौट रहे हैं। इस वापसी के लिए नई तैयारियाँ शुरू। इनमें भी शिक्षा के कई आयाम हैं। यह उदाहरण शिक्षा में समीकरण का है। राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक आयाम नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा तो यही कि आजाद होते ही हमने 'राष्ट्रीयकरण' को राष्ट्रीय विकास की कुजी माना। आज 'उदारीकरण' राष्ट्रीय विकास की कुजी माना जा रहा है। जिसका प्रभाव राष्ट्रीय और राजकीय कार्यप्रणाली पर दृष्टिगत हो रहा है। यह व्यापक समीकरण को इंगित करता है।

राष्ट्र की बात हो राज्य की बात हो विभागों की बात हो शिक्षा की बात हो किसी मानव समूह की बात हो सेवारत व्यक्ति की बात हो या सेवानिवृत्त व्यक्ति की कहानी ही बयो न हो समीकरण नये-नये समीकरण ही गति का जीवन्तता का प्रतीक हैं।

प्रत्येक सेवारत का जीवन अनवरत समीकरणों से गुजरता है। अंतिम बिन्दु पर पहुँचता है। जहाँ से उसका सेवानिवृत्त जीवन शुरू होता है। सेवारत जीवन की प्रतिच्छाया के रूप में ही सेवानिवृत्त जीवन अवतरित होता है। सेवारत जीवन के विशिष्ट घटक सेवानिवृत्त जीवन के घटकों के रूप में अकुरित होते हैं। पिकसित होते हैं। फलते-फूलते हैं। उस जीवन की उतनी उससे कम या अधिक परिमाण में सार्थकता प्रतिपादित करते हैं।

किसी व्यक्ति का सम्पूर्ण सेवारत जीवन उसके वैसे सेवानिवृत्त जीवन की तैयारी है जैसा वह जीना चाहता है।

यही उसका समीकरण है।

यह रचना इसी समीकरण को प्रकाशित करती है।

अब मुझे 'अधकूप' के मामले में जोर-जबरदस्ती नहीं करनी पड रही।

एक समीकरण बैठ गया है।

42843
 40/11/2001

